खण्ड–26, अंक–02
मंगलवार, 23 आषाढ़, शक संवत्, 1931
(14 जुलाई, 2009 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2009)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 26 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य–

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	''क''
नियम–310 के अन्तर्गत कतिपय विषयों को सुने जाने की माँग	1–4
प्रश्नोत्तर	4–29
श्री यशपाल बेनाम स0वि0स0 द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने की माँग	29–30
चौ0 यशवीर सिंह स0वि0स0 द्वारा पर्यटन के विकास हेतु प्रत्येक सदस्य को धनावंटन न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	31–35
नियम–299 के अन्तर्गत राजधानी चयन आयोग की रिपोर्ट पर औचित्य का प्रश्न	36–42
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	43
देश में प्रसिद्ध 52वीं चूड़ामणि देवी चुड़ियाला एवं राजा विजय सिंह शहीद स्मारक के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	43
नागार्जुन, नौबाड़ा–दौला, सिनार मोटर मार्ग पर डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद पिथौरागढ़ के तहसील एवं विकास खण्ड, गंगोलीहाट के अन्तर्गत ग्राम सभा रैतोला तथा तोक पीपरतोला की सम्पूर्ण सिंचाई भूमि हेतु पानी की समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	44
कस्बा मंगलौर के राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज के भवन निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	44
जनपद रूद्रप्रयाग के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री केदारनाथ के लिये मोटर मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद उत्तरकाशी में मनेरी एवं जोशियाड़ा जलाशय को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	45
जनपद उत्तरकाशी में नाकुरी–धर्मशाला–खोड़–फलावा–नन्दगाँव–गंगानाणी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	45–46

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम पंचायत कोपा में स्थित मझरा कोपा बसन्ता, कोपा मुनस्यारी खत्ता, नगलटिया खत्ता मझरे में उच्च शिक्षा के लिए मुनस्यारी में एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	46
जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम पंचायत खटोला, विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम राधाकान्तपुर में विद्युतीकरण के समय लगाये गये 25 के0वी0 के ट्रांसफार्मर के स्थान पर उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	46
जनपद ऊधमसिंह नगर के वि0ख0 गदरपुर ग्राम पंचायत कोपा स्थित मझरा कोपा बसन्ता, कोपा मुनस्यारी, कोपा लाल सिंह, न्याप्लाट, सैमलचौड़, कटपुलिया, मुनस्यारी खत्ता, नगलटिया खत्ता मझरे में आने–जाने हेतु हरिपुरा जलाशय डाम में झूलापुल बनाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	46–47
जनपद देहरादून के नई बस्ती लोहारवाला में पीने योग्य पानी हेतु पेयजल लाइन निर्माण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	47
जनपद देहरादून में बिन्दाल नदी तक बहने वाली छोटी बिन्दाल नदी की सफाई व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	47
उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	47
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	48
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	48–80
उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2009	80–83
वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण	83–111
उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2009 (क्रमागत) (पारित)	111–138
पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009, विधान सभा की प्रवर समिति के सुपुर्द	138
जनपद हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र को जंगली जानवरों (वन रोज आदि) से प्रभावित क्षेत्र घोषित कर इनको मारे जाने हेतु विशेष नीति बनाये जाने विषयक नियम–51 के अन्तर्गत चर्चा	139–146
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	146–147
नत्थियाँ	148–156

''क''

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डे
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा
6–श्री ओम गोपाल
7–श्री करन मेहरा
8–सुश्री कैरन मेयर
9–श्री किशोर उपाध्याय
10–श्री केदार सिंह
11–श्री केदार सिंह फोनिया
12–श्री खजान दास
13–श्री खड़क सिंह बोहरा
14–श्री गगन सिंह
15–श्री गणेश जोशी
16–श्री गोपाल सिंह
17–श्री गोपाल सिंह रावत
18–श्री गोविन्द लाल
19–श्री गोविन्द सिह कुंजवाल
20–श्री गोविन्द सिह बिष्ट
21–श्री चन्दन राम दास
22–श्री जोगा राम टम्टा
23–श्री जोत सिंह गुनसोला
24–हाजी तस्लीम अहमद
25–श्री तिलक राज बेहड़
26–श्री दिनेश अग्रवाल
27–श्री दिवाकर भट्ट
28–श्री दिवान सिंह
29–श्री नारायण पाल
30–काजी मौ० निजामुद्दीन
31–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
32–श्री प्रकाश पन्त
33–कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
34–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
35–श्री प्रेमानन्द महाजन
36–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
37–श्री बलवीर सिंह नेगी
38–श्री बिशन सिंह चुफाल
39–श्री बृज मोहन कोटवाल
40–मे०ज०(अ०प्रा०) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए०वी०एस०एम०
41–श्री शेर सिंह
42–श्री मदन कौशिक
43–श्री मनोज तिवारी
44–श्री मयूख सिंह
45–श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महूं भाई''
46–श्री मातबर सिंह कण्डारी
47–श्री यशपाल आर्य
48–श्री यशपाल बेनाम
49–चौ० यशवीर सिंह
50–श्री रणजीत रावत
51–डा० रमेश पोखरियाल ''निशंक''
52–श्री राजकुमार
53–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
54–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
55–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
56–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
57–श्रीमती वीना महराना
58–श्री शहजाद
59–डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल
60–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
61–श्री सुरेन्द्र राकेश
62–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
63–श्री सुरेश चन्द जैन
64–डा० हरक सिंह रावत
65–श्री हरभजन सिंह चीमा
66–श्री हरिदास
67–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 2009 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

नियम–310 के अन्तर्गत कतिपय विषयों को सुने जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत कुल 07 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री मनोज तिवारी, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री करन मेहरा तथा श्री रणजीत सिंह रावत की है, जो हल्द्वानी में दिनांक 27–05–2009 को श्रीमती नौशीन को जलाए जाने के सम्बन्ध में है। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। दूसरी सूचना श्रीमती अमृता रावत, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री बलवीर सिंह नेगी की है, जो प्रदेश में पीने के पानी की भारी समस्या से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में है। (व्यवधान) जब तक माननीय सदस्य स्थान ग्रहण नहीं करते तब तक किसी की बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। (व्यवधान) जब तक स्थान ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आपकी बात आ ही नहीं सकती। तीसरी सूचना श्री किशोर उपाध्याय तथा श्री राजेश जुवांठा की है जो विधायक निधि में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है। (व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) यह तो पी0ए0सी0 का मामला है। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। चौथी सूचना श्री गोपाल सिंह राणा, श्री दिनेश अग्रवाल तथा कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" की है जो प्रदेश में वर्तमान में बिजली की भारी कमी से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के कारण जनता के आन्दोलनरत होने के सम्बन्ध में है। (व्यवधान) पांचवी सूचना श्री राजेश जुवांठा, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री केदार सिंह रावत तथा श्री प्रीतम सिंह की है जो प्रदेश में विगत 6 माह से वर्षा न होने के कारण उत्पन्न सूखे के संकट के सम्बन्ध में है। (व्यवधान) छठी सूचना श्री नारायण पाल, श्री हरिदास, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री तस्लीम अहमद, मौ0 शहजाद

तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की है, जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कर्मचारियों को छठा वेतनमान 1 जनवरी, 2006 से देने के सम्बन्ध में है। (व्यवधान) सातवीं सूचना डा0 हरक सिंह रावत की है, जो दिनांक 13 जुलाई, 2009 को सदन के पटल पर रखी गई भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सरकार द्वारा भारी वित्तीय अनियमितता उजागर होने के सम्बन्ध में है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में समाचार–पत्र तथा उसकी छाया प्रतियाँ लहराई गयी।)

श्री अध्यक्ष–

प्रदेश में पीने की समस्या से जनतंत्र में व्याप्त आक्रोश के कारण श्रीमती अमृता रावत, श्री जोत सिंह गुनसोला तथा श्री बलवीर सिंह नेगी की सूचना, प्रदेश में विगत 6 माह से वर्षा न होने के कारण उत्पन्न सूखे के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री राजेश जुवांठा, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री केदार सिंह रावत तथा श्री प्रीतम सिंह की सूचना, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कर्मचारियों को छठा वेतनमान 1 जनवरी, 2006 से देने के सम्बन्ध में श्री नारायण पाल, श्री हरिदास, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री तस्लीम अहमद, मौ0 शहजाद तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की सूचना को मैं नियम–58 में सुन लूँगा। (व्यवधान) माननीय नेता प्रतिपक्ष ने नियम–310 के अन्तर्गत दिनांक 13 जुलाई, 2009 को सदन के पटल पर रखी गयी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सरकार द्वारा भारी वित्तीय अनियमितता उजागर होने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया इसका संज्ञान लें। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का ध्यान उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–219 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें प्रावधान है कि राज्य के विनियोग लेखे ओर उन पर प्रतिवेदन का निरीक्षण करते समय लोक लेखा समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान कर ले और उन पर भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, जो सदन में रखे गये हैं, जो "भारत के संविधान" के अनुच्छेद–151 (2) के अधीन रखे गये हैं, उन पर विचार करें और उस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करेंगे। लोक लेखा समिति जब तक अपना प्रतिवेदन न दे दे, तब तक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार किया जाना उचित नहीं है।

अतः मैं उक्त तीन सूचनाओं के अतिरिक्त अन्य सूचनाओं को अस्वीकार कर रहा हूँ।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने स्थान पर खड़े होकर तथा "वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण नारे लगाने लगे और अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में इतने घोटाले हुए हैं....।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इन घोटालों की जाँच होनी चाहिए। आज पूरे प्रदेश में सूखे की स्थिति है, किसानों के खेत सूख गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत अपनी–अपनी बात कहने लगे और नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मुझे लगता है कि आज आप किसी भी विषय पर सरकार का पक्ष सुनना नहीं चाहते हैं। मुझे दुःख है और मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश के सामने जो समस्यायें हैं, उन पर आप विचार नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं सदन की कार्यवाही को 11:45 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

श्री मार्शल विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 12 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा कुछ प्रश्नों के गलत और अलग–अलग उत्तर दिये जा रहे हैं। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस गम्भीर प्रश्न को लेने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के बाद बात करें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

उत्तराखण्ड इक्फाई विश्वविद्यालय में मान्यता व अनुमति प्राप्त पाठ्यक्रम तथा शुल्क एवं शिक्षार्थियों को उपलब्ध सुविधाएं तथा प्रशिक्षितों को व्यवसाय के अनुरूप रोजगार

**1–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड इक्फाई विश्वविद्यालय को किन–किन पाठ्यक्रमों को संचालित करने की यू0जी0सी0, ए0आई0टी0सी0, ए0आई0ई0ई0ई0, मानव संसाधन मंत्रालय एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मान्यता एवं अनुमति प्राप्त है ?

इनमें से विश्वविद्यालय किन–किन पाठ्यक्रमों को संचालित कर रहा है ? प्रत्येक पाठ्यक्रम का शुल्क एवं शिक्षार्थियों को उपलब्ध की गयी सुविधाएं क्या हैं ?

विश्वविद्यालय की स्थापना से अब तक कितने शिक्षार्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों का लाभ उठाया एवं कितने प्रशिक्षितों को व्यवसाय के अनुरूप रोजगार प्रदान कराया गया ?

यू0जी0सी0 एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्य राज्यों में संचालित पाठ्यक्रमों पर रोक लगा दिये जाने के फलस्वरूप कितने विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है ?

उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है ?

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

इक्फाई विश्वविद्यालय उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 (अधिनियम संख्या–16) के तहत योजित निजी विश्वविद्यालय है। इक्फाई विश्वविद्यालय यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा लॉ एवं बी0एड0 पाठ्यक्रम क्रमशः बार काउन्सिल आफ इण्डिया तथा एन0सी0टी0ई0 से अनुमोदित है।

इक्फाई विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों के शुल्क एवं शिक्षार्थियों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाएं निम्नवत हैं।

पाठ्यक्रम	शुल्क
एम0बी0ए0 (दो वर्षीय)	रू0 7.5 लाख
बी0टेक0 (चार वर्षीय)	रू0 3.25 लाख

बी0बी0ए0 (तीन वर्षीय)	रु0 0.78 लाख
बी0बी0ए0, एल0एल0बी0 (5–वर्षीय)	रु0 3.0 लाख
बी0एड0 (एक वर्ष)	रु0 0.34 लाख
एम0सी0ए0	रु0 0.40 लाख
एल0एल0एम0	रु0 0.21 लाख
पीजी सर्टिफिकेट	रु0 0.06 लाख

सुविधाएं :–

मेरिट छात्रवृति, स्थायी निवास छात्रवृति वातानुकूलित पुस्तकालय, बी0टेक0 तथा एम0बी0ए0 के सभी छात्रों के लिए लैपटॉप, वाई0फाई0 कैम्पस, ऑडिटोरियम, दो कम्प्यूटर लैब, खेलकूद सुविधाएं आदि।

इक्फाई विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार अब तक लगभग 21,547 छात्रों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया गया है। इक्फाई विश्वविद्यालय द्वारा अपनी पूर्ण कालिक प्लेसमैन्ट सैल की सहायता से 90 प्रतिशत छात्रों को निजी एवं सरकारी संस्थानों में नियुक्तियाँ करवायी गयी हैं।

इक्फाई विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार इक्फाई विश्वविद्यालय के उत्तराखण्ड राज्य के बाहर कोई केन्द्र अथवा कैम्पस नहीं है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय के अनुपालन में इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में संशोधन प्रस्तावित किय गये हैं, जो वर्तमान में विधान सभा की मा0 प्रवर समिति के विचाराधीन है। समय–समय पर इक्फाई विश्वविद्यालय को यथोचित निर्देश भी दिये गये हैं कि वे अपनी समस्त कार्यवाही अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार सुनिश्चित करें।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह था कि क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड इक्फाई विश्वविद्यालय को किन–किन पाठ्यक्रमों को संचालित करने की यू0जी0सी0, ए0आई0टी0सी0, ए0आई0ई0ई0ई0, मानव संसाधन मंत्रालय एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मान्यता एवं अनुमति प्राप्त है ? इनमें से विश्वविद्यालय किन–किन पाठ्यक्रमों को संचालित कर रहा है ? विश्वविद्यालय की स्थापना से अब तक कितने शिक्षार्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों का लाभ उठाया एवं कितने प्रतिशतों को व्यवसाय के अनुरूप रोजगार प्रदान कराया गया ? यूजी0सी0 एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्य राज्यों में संचालित पाठ्यक्रमों पर रोक लगा दिये जाने के फलस्वरूप कितने विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, आप अनूपूरक पूछ लें।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जैसा बताया गया कि इसके कैम्पस किसी और राज्य में नहीं चलते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हैदराबाद में अभी कोई कैम्पस चल रहा है ? यदि चल रहा है तो उसकी जानकारी दें, यदि नहीं चल रहा है तो जिन छात्रों ने वहाँ पर पहले एडमिशन लिया, चूँकि वहाँ पहले चलता रहा है, वहाँ पर कितने शिक्षार्थी थे जो इसमें प्रभावित हुए और उन्हें उसके बाद कहाँ एडमिशन दिलाया गया?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जो सूचना इक्फाई विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई है उसके आधार पर इक्फाई विश्वविद्यालय का उत्तराखण्ड राज्य के बाहर किसी भी तरह का कोई केन्द्र अथवा कैम्पस नहीं है।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हैदराबाद में पहले इनका कैम्पस था, चूँकि वहाँ पर अनेकों शिक्षार्थी ऐसे थे जो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वर्तमान में जो जानकारी है कि उन्होंने वहाँ का कैम्पस बन्द कर दिया है। वहाँ पर बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने वहाँ एडमिशन लिया था।

श्री अध्यक्ष–

यह मामला प्रवर समिति के अधीन है।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रवर समिति में भी हूँ, उनमें जानकारियाँ स्पष्ट तौर पर नहीं आ रही हैं।

श्री अध्यक्ष–

जब तक प्रवर समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक इस विषय को आप यहाँ कैसे उठा सकते हैं।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

मान्यवर, प्रवर समिति की दो–तीन बैठकें हो चुकी हैं, उसमें मैं भी रहा हूँ, उसके माध्यम से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया स्पष्ट कर दें।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जिस एक्ट के तहत यह विश्वविद्यालय गठित हुआ है, इसकी धारा–48 के 2 में इन सारी शिकायतों के सम्बन्ध में प्राविधान किया गया है कि विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्य की पूर्ति में विफल होने एवं आर्थिक कठिनाईयों की पहचान किये जाने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय की प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन जैसी विहित की जाय, अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमापन का निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा। इसके सम्बन्ध में श्रीमन्, सरकार के माध्यम से समय–समय पर सात पत्र विश्वविद्यालय को जारी हुए हैं। जिनके माध्यम से विभिन्न जानकारियाँ एकत्रित की गई। उनके माध्यम से दी गई जानकारियों से स्पष्ट है कि इस समय वर्तमान में कोई भी उत्तराखण्ड राज्य से बाहर कैम्पस संचालित नहीं हो रहा है।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, जो इक्फाई विश्वविद्यालय से सम्बन्धित माननीय श्री प्रेम चन्द अग्रवाल जी ने सवाल किया है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दिया कि लॉ और बी0एड0 पाठ्यक्रम के लिए कौंसिल ऑफ इण्डिया तथा एन0सी0टी0ई0 का अनुमोदन है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अनुपूरक सवाल करना चाहता हूँ जो बी0टेक0 है, बैचलर ऑफ टैक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, इक्फाई विश्वविद्यालय में क्या उनको नैशनल टैक्निकल कौंसिल है, ऑल इण्डिया टैक्निकल कौंसिल की मान्यता है ? विभिन्न कोर्सों के लिए अलग–अलग जैसे बार के लिए कौंसिल ऑफ इण्डिया, बी0एड0 के लिए एन0सी0टी0ई0 की मान्यता, मैडिकल के लिए मैडिकल कौंसिल की उसी तरह टैक्निकल कोर्सेज के लिए, बी0टेक0, एम0बी0ए0 के लिए ऑल इण्डिया नैशनल टैक्निकल कौंसिल की मान्यता अनुमोदन आवश्यक है। मेरी जानकारी में है कि इक्फाई विश्वविद्यालय के पास इस तरह की मान्यता नहीं है। जिस कारण इस विश्वविद्यालय से किये गये बी0टेक0, एम0बी0ए0 व अन्य कोर्सेज, जिन बच्चों ने किया है, वे सरकारी सेवाओं में, सैन्य सेवाओं में इलिजीबल नहीं हैं, योग्य नही हैं। इसी कारण वहाँ आन्दोलन चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, यू0जी0सी0 की और उत्तराखण्ड सरकार की तो मान्यता है, लेकिन अकेले इस मान्यता से काम नहीं चलेगा तो क्या सरकार इस विषय में टैक्निकल कौंसिल की मान्यता न होने के कारण इस दिशा में कोई कदम उठा रही है ? जिससे उन बच्चों के भविष्य पर कुप्रभाव न पड़े।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, उत्तराखण्ड राज्य में 10 जुलाई, 2003 को इसे एक विश्वविद्यालय का दर्जा, प्राईवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और उसमें निहित प्राविधानों के आधार पर ये विश्वविद्यालय संचालित होने लगे। इसके लिए यह आवश्यक है विश्वविद्यालय के लिए कि उसको यू0जी0सी0 के मानकों के आधार पर उसका संचालन किया जाना चाहिए और यू0जी0सी0 द्वारा अपने नोटिफिकेशन के जरिये 22 जुलाई, 2005 को इस विश्वविद्यालय के विभिन्न कोर्सों के लिए विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की गई। इसमें यह प्रतिबन्ध अवश्य लगाया गया कि यह सैल्फ फाइनैंस होगा और इसको कोई भी सहायता यू0जी0सी0 के माध्यम से नहीं दी जायेगी। इसके साथ–साथ श्रीमन्, जब कभी कोई विश्वविद्यालय स्थापित होता है किसी राज्य की सीमा के अन्तर्गत तो उसको स्वतः अधिकार राज्य के एक्ट के माध्यम से दे दिये जाते हैं, जैसा कि इस विश्वविद्यालय को दिया गया है। इसके लिए यह बाध्यता है कि इस विश्वविद्यालय को यू0जी0सी0 के समय–समय पर निकाले गये आदेशों की पूर्ति करनी होती है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि ए0आई0सी0टी0 की मान्यता ले। हाँ, जहाँ तक बार कौंसिल का सवाल है और जहाँ तक बी0एड0 का सवाल है या इस तरह से जुड़े हुए अन्य कोर्सों का सवाल है जिसमें मान्यता इसे लेनी पड़ती है। बार कौंसिल के माध्यम से 21–07–07 को इसे मान्यता मिली। इसके माध्यम से इसको वर्ष 2007–08 और वर्ष 2009–10 के कोर्सेज को चलाने के लिए अनुमति बार कौंसिल द्वारा दे दी गई। इसी तरह से एन0सी0टी0ई0 द्वारा इसको बी0एड0 के कोर्सेज चालू करने के लिए मान्यता प्रदान की गई। इस तरह से जो कोर्सेज वहाँ वर्तमान में तकनीकी विषय के चल रहे हैं, मान्यता प्राप्त हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आप भारत की सेनाओं के सेवाओं के विज्ञापन का अध्ययन कर लें। उसमें स्पष्ट होता है कि ऑल इण्डिया टैक्निकल काउन्सिल से ऐफीलेशन होना चाहिए, उस संस्थान या उस विश्वविद्यालय से। अन्यथा उस बी0टेक0 विद्यार्थी को सेवा में योग्य नहीं माना जाता है। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन एक जनरल टैक्निकल, मैनेजमेंट सबकी गाइड लाइन यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन निर्धारित करती है। लेकिन विभिन्न कोर्सेस के लिए जैसाकि मैनेजमेंट कोर्सेस के लिए टैक्निकल काउन्सिल, बार कोर्सेस के लिए बार काउन्सिल, एम0बी0बी0एस0 के लिए मैडिकल काउन्सिल, इस तरह टैक्निकल काउन्सिल के अनुमोदन के बिना, क्योंकि यह सारे कोर्सेस भी यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के दिशा निर्देश के तहत ही चलते हैं। चाहे लॉ हो, बी0एड0 हो, बी0कॉम0 हो, बी0एस0सी0 हो ये सारे कोर्सेस भी यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के तहत ही चलते हैं।

इनको प्रदेश सरकार से एक्ट के तहत मान्यता होती है। लेकिन टैक्निकल कोर्सेस के लिए राज्य सेवाओं में यह आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय से जिसने बी0टेक0, एम0बी0ए0 किया है क्या उसको उत्तराखण्ड सरकार की सेवा के लिए या भारत की किसी सेवा के लिए योग्य मानेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जो विश्वविद्यालय किसी राज्य के कानून के अन्तर्गत स्थापित किया गया है, उसमें संचालित किये जाने वाले विषयों में जो उसके एक्ट के अन्दर प्राविधानित है, अगर वो विश्वविद्यालय को संचालित करता है। अगर कहीं कोई उसका इन्स्टीट्यूट खुल रहा है। उसको आवश्यक है कि वह ए0आई0सी0टी0ई0 की मान्यता लें। अगर कोई विश्वविद्यालय ऐसे कोर्सेस संचालित कर रहा है तो इस विषय पर एक स्पष्ट मत है कि इस विषय पर मा0 न्यायालयों के समय–समय पर दिये गये निर्णयों के आधार पर ये मैं कहना चाहूँगा अगर वो कोई प्राईवेट विश्वविद्यालय है और बी0टेक0 इन्स्टीट्यूट चला रहा है तो उसको मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा स्पष्ट सवाल है, अगर कोई विद्यार्थी सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है या कम्प्यूटर इंजीनियर है। क्या आप उत्तराखण्ड की सेवाओं में जब विज्ञापन निकालेंगे तो इन विद्यार्थियों को आप योग्य मानेंगे या नहीं मानेंगे ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, बी0टेक0 की डिग्री तो मान्य है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर पूरे हिंदुस्तान के कोई भी सरकारी विभागों के विज्ञापन देख लीजिए। उसमें स्पष्ट लिखा जाता है, उत्तराखण्ड सरकार में भी, उसने टैक्निकल काउन्सिल की मान्यता प्राप्त इन्स्टीट्यूट से ही बी0टेक0 किया हो या एम0बी0ए0 किया हुआ हो, उसी को आप योग्य मान रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार की सेवाओं में या प्रदेश सरकार की सेवाओं में, क्या इक्फाई विश्वविद्यालय से बी0टेक0 किया है या कोई भी डिग्री ली हो, क्या आप उस विद्यार्थी को योग्य मानेंगे या नहीं ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह विषय अलग–अलग हैं। एक तो विषय यह है कि विश्वविद्यालय के माध्यम से जारी कोर्सेस की वैधिक मान्यता है या नहीं। वैधिक मान्यता है। अब अलग–अलग संस्थान अपने लिए शैक्षिक अर्हता के आधार पर अलग क्राइटीरिया निकालते हैं। श्रीमन्, हम उस पर विस्तृत चर्चा नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सीधा–सीधा सवाल है कि क्या आप जिसने इक्फाई विश्वविद्यालय से बी0टेक0 या अन्य डिग्री ली है, क्या सरकार उन विद्यार्थियों को प्रदेश की सेवा में योग्य मानेगी या नहीं ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं इस विषय में जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी तक 90 प्रतिशत से ज्यादा प्लेसमेंट हो चुका है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इक्फाई विश्वविद्यालय की डिग्रियों को चुनौती नहीं दे रहा हूँ। यह यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से उत्तराखण्ड सरकार के एक्ट के तहत संचालित हो रहा है उसमें किसी की कोई दो राय नहीं है। हमको भी नहीं और यह सवाल भी नहीं है। निजी संस्थाओं में प्राइवेट में नौकरियाँ लग रही हैं। इसमें किसी की कोई दो राय नहीं है। जो 90 प्रतिशत आँकड़े आप दे रहे हैं वह निजी क्षेत्र के दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सरकार इन विद्यार्थियों को सरकारी सेवा में योग्य मानेगी या नहीं मानेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जो सरकारी में नौकरियाँ दी जाती हैं वो वहाँ की सेवा नियमावली के तहत दी जाती हैं। प्रत्येक विभाग की अपनी–अपनी सेवा नियमावली है। सेवा नियमावली में जो अर्हता के प्राविधान हैं उन्हीं प्राविधानों के तहत... (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

सेवा नियमावली में क्या ये प्राविधान है कि उत्तराखण्ड सरकार के एक्ट के द्वारा जो विश्वविद्यालय संचालित होगा, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के द्वारा संचालित होगा क्या उसी को नौकरी देंगे ? मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय की जो डिग्रियाँ हैं चाहे बी0टेक हो, चाहे कोई भी कोर्स है वो विधिमान्य है। जब आप उनको विधिमान्य मान रहे हो तो मान्यवर, प्रदेश सरकार सेवा में उन विद्यार्थियों को लाभ देने से क्यों हिचकिचा रही है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं पुनः अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि विश्वविद्यालय के द्वारा दी गयी बी0टेक0 की डिग्री विधिमान्य है और इसके आधार पर सेवायोजन किया जा रहा है। जहाँ तक सरकार के विभिन्न विभागों की सेवायोजन की बात है तो विभाग की जो अपनी सेवा नियमावली है उसके आधार पर होगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर किसी विभाग को बी0टेक0 सिविल चाहिए और किसी लड़के ने इक्फाई विश्वविद्यालय से बी0टेक0 सिविल किया है तो क्या उसको योग्य मानेंगे कि नहीं मानेंगे ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, पुनः रिपीट कर रहा हूँ। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत सेन्सटिव मामला है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सदन को गुमराह किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में नौजवान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, विश्वविद्यालय में धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार इस तरह का जवाब दे रही है। माननीय अध्यक्ष जी, सीधा सवाल है सीधा उत्तर दो। आप घुमाकर क्यों बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

आप सुन तो लें। मेरा कहना है कि विधिमान्य है, विधिमान्य का मतलब है कि वह डिग्री सब जगह मान्य होगी।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह तो सरकार की तरफ से उत्तर आया कि बाहर कोई भी कैम्पस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो डिस्टेन्स लर्निंग कोर्सेस हैं उसके माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा कई जगह पर विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है। उनका स्वरूप कैम्पस का तो नहीं है लेकिन डिस्टेन्स लर्निंग काउन्सिल से मान्यता लेकर वह कोर्सेस चला रहे हैं उन विद्यार्थियों का क्या होगा ? क्या लीगल स्टेटस है उसको स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री प्रकाश पन्त–

वर्तमान में इक्फाई विश्वविद्यालय के राज्य की सीमा से बाहर किसी भी तरह के कोई भी कोर्सेज संचालित नहीं हैं।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, यह उत्तर आया है कि अब तक इक्फाई विश्वविद्यालय द्वारा 21547 छात्रों को उसकी डिग्री दे दी गयी है। मेरा आग्रह होगा सरकार से, माननीय मंत्री जी से कि 21547 डिग्रीधारकों में उत्तराखण्ड के कितने बच्चों को उसमें लाभ मिला ? 21547 में से उत्तराखण्ड के कितने बच्चों को इसमें लाभ मिला क्योंकि जब यह संचालित ही उत्तराखण्ड में हो रहा है और उत्तराखण्ड राज्य की नियमावली के अन्तर्गत होना है तो यहाँ के बच्चों को कितना लाभ मिला ? दूसरा मान्यवर, इक्फाई विश्वविद्यालय का प्रवर समिति तक जाने से पहले इसकी वस्तुस्थिति क्या थी कि उन्होंने राजामुंदरी हैदराबाद में और हरियाणा के गुडगाँव में केन्द्र कब बन्द किए, चाहे वे पूर्व में संचालित थे ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इन्होंने दो प्रश्न किये हैं एक तो उत्तराखण्ड के कितने छात्र इसमें पढ रहे हैं चूँकि यह विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के छात्र पढ़ सकते हैं और यह जानकारी दी गयी है कि इसमें 21547 छात्रों ने प्रशिक्षण लिया है जिसमें एम0बी0ए0 के 210 छात्र, बी0टेक0 के 823 और बी0बी0ए0, एल0एल0बी0 के 342, बी0एड0 के 56 इस तरह से श्रीमन्, 21547 और जहाँ तक दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम के तहत ये विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जहाँ तक राजामुंदरी या अन्य क्षेत्रों का प्रश्न है तो विश्वविद्यालय द्वारा जो सूचना दी गई है उसके आधार पर कोई भी केन्द्र वर्तमान में संचालित नहीं है।

श्री जोत सिंह गुनसोना–

मान्यवर, मेरा तो प्रश्न यह है कि...

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट–अल्पसूचित प्रश्न सं0–1 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 2005 के नियम–40(2) के अन्तर्गत प्रथम मंगलवार हेतु स्थगित तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न संवर्गों में उत्तर प्रदेश राज्य के विकल्पधारी कार्मिकों को कार्यमुक्त न किये जाने के कारण

*1–श्री ओम गोपाल रावत–

क्या पुनर्गठन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार के विभागों के विभिन्न संवर्गों में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य से अन्तिम आवंटन में उत्तर प्रदेश राज्य के विकल्प के आधार पर कुल कितने विकल्पधारी/कनिष्ठतम कार्मिकों को उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त किया जाना था तथा अब तक सभी विभागों में ऐसे कुल कितने कार्मिकों को कार्यमुक्त किया जा चुका है एवं कितने कार्मिक कार्यमुक्त किये जाने शेष हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अब तक कार्यमुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं तथा क्या सरकार ऐसे कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पन्त–

उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विभागों/संवर्गों में कुल 7871 उत्तर प्रदेश राज्य के विकल्पधारी कार्मिकों को कार्यमुक्त किया जाना था जिसमें से अब तक 7641 कार्मिकों को कार्यमुक्त किया जा चुका है एवं 230 कार्मिकों को कार्यमुक्त किया जाना शेष है।

कतिपय कार्मिकों को मा0 उच्च न्यायालय से प्राप्त स्थगन, दाम्पत्य नीति, पारस्परिक स्थानान्तरण एवं कार्मिकों की कमी के कारण कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है, शेष कार्मिकों के कार्यमुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न ही नहीं होता है।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री ओम गोपाल रावत– तृतीय सोम0 के तारा0 2 में स्था0।

प्रदेश में 108 एम्बुलेन्स सेवा के संचालन में सरकार की भूमिका एवं अब तक व्यय हुई धनराशि का जनपदवार विवरण

*2–श्रीमती अमृता रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में 108 एम्बुलेन्स सेवा के संचालन में केन्द्र तथा प्रदेश सरकार की क्या भूमिका है तथा इस सेवा के संचालन पर

हो रहे व्यय भार का वहन प्रदेश अथवा केन्द्र सरकार द्वारा किस अनुपात से किया जा रहा है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अब तक इन सेवाओं के संचालन का विवरण क्या है तथा इन सेवाओं पर अब तक व्यय की गई धनराशि का जनपदवार विवरण क्या है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

प्रदेश में संचालित पं0 दीन दयाल उपाध्याय देव भूमि 108 आपातकालीन सेवा "बिना लाभ, बिना हानि" आधार पर निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य सरकार संचालित कर रही है। इसमें एन0आर0एच0एम योजना का भी सहयोग लिया गया है।

पं0 दीन दयाल उपाध्याय देव भूमि 108 आपातकालीन सेवा का संचालन इमरजेंसी मैनेजमेंट एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों के 81 विकास खण्डों के 90 स्थानों पर किया जा रहा है। सेवा के प्रारम्भ से जनपदवार व्यय विवरण संलग्न है। †

मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा वर्ष 2008–09 में यात्रा मार्गों की स्वच्छता व्यवस्था में देरी सम्बन्धी प्रकरण की जाँच

*3–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी द्वारा वर्ष 2008–09 में यात्रा मार्गों की स्वच्छता के लिए दिनांक 02–07–2008 को निविदा आमंत्रित की गयी थी ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि चार धाम यात्रा को आरम्भ होने के लगभग तीन माह पश्चात् स्वास्थ्य विभाग द्वारा इतनी देरी से यात्रा मार्गों की स्वच्छता व्यवस्था हेतु अस्थाई शौचालय व मूत्रालयों के निर्माण की निविदा आमंत्रित करने का औचित्य क्या था ? क्या सरकार इसके लिए दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

प्रकरण की जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ सं0 148–149 पर)

प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को निजी क्षेत्र में सौंपने का प्रस्ताव

*4–श्री प्रीतम सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को निजी क्षेत्र में सौंपने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 हेतु विधान सभा क्षेत्रवार प्रस्तावित योजनाएं तथा स्वीकृत धनराशि

1–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मंत्री जी के अ0शा0 पत्रांक 1982 दिनांक 11–05–08 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र से आमंत्रित रुपये 20 लाख के अन्तर्गत एक अथवा दो अति महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है और प्रदेश में विधान सभा क्षेत्रवार योजनाओं तथा उनके लिए स्वीकृत धनराशि का विवरण क्या है ?

क्या यह भी सत्य है कि वर्ष 2007–08 के लिए भी योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ?

यदि हाँ, तो वर्ष 2007–08 के लिए प्रस्तुत योजनाओं में से विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत योजनाओं एवं धनराशि का विवरण क्या है ?

पर्यटन मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

वित्तीय वर्ष 2008–09 में विभिन्न विधान सभा के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट–अ † में दिया गया है।

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में विभिन्न विधान सभा के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट–ब † में दिया गया है।

---

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ सं0 149–153 पर)

जनपद पौड़ी के वि0स0 क्षेत्र बीरोंखाल अन्तर्गत मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु की गई कार्यवाही एवं प्रगति

2–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मंत्री जी के कार्यालय पत्रांक 1107 दिनांक 31–05–07, पत्रांक 2237 दिनांक 16–07–07, पत्रांक 3029 दिनांक 03–09–07, पत्रांक 3030 दिनांक 03–09–07, पत्रांक 3742 दिनांक 15–10–07, पत्रांक 4459 दिनांक 23–11–07, पत्रांक 519 दिनांक 04–01–08, पत्रांक 1133 दिनांक 12–03–08, पत्रांक 1583 दिनांक 23–04–08, पत्रांक 2627 दिनांक 12–05–08, पत्रांक 3426 दिनांक 22–07–08, पत्रांक 3429 दिनांक 22–07–08, पत्रांक 4113 दिनांक 29–09–08, के द्वारा जनपद पौडी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत जिन मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये जाने की जानकारी दी गई है, उन मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु शासन द्वारा अब तक की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है।

तथा कब तक प्रस्तावित मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत कर दी जायेगी ?

श्री मदन कौशिक–

खटलगढ़ महादेव मन्दिर के सौन्दर्यीकरण व रसिया महादेव मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न में वर्णित अन्य मन्दिरों के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

जनपद पौड़ी के बीरोंखाल स्थित जिवई में मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण उपकेन्द्र की स्थापना

3–श्रीमती अमृता रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या महानि0/कैम्प/2008/26256 दिनांक 12 अगस्त, 2008 के द्वारा विकास खण्ड बीरोंखाल, पौड़ी गढ़वाल के ग्राम जिवई में परिवार कल्याण उपकेन्द्र कार्यरत/क्रियाशील होने की जानकारी दी गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि जिवई में अभी तक परिवार कल्याण उपकेन्द्र कार्यरत/क्रियाशील नहीं है ?

यदि हाँ, तो गलत सूचना देने के कारण क्या हैं तथा इसके प्रति कौन उत्तरदायी है ?

कब तक जिवई में मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण उपकेन्द्र की स्थापना कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

जी हाँ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी से त्रुटिपूर्ण सूचना प्राप्त होने के कारण गलत सूचना सम्प्रेषित हुई है, जिसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी को सचेत कर दिया गया है।

मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण उपकेन्द्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 3000 की जनसंख्या के मानक निर्धारित हैं। निर्धारित जनसंख्या मानक पूर्ण न होने के कारण मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलना सम्भव नहीं है।

जनपद पौड़ी के बीरोंखाल अन्तर्गत प्रा0 स्वा0 केन्द्र ललितपुर के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि तथा कार्य की प्रगति का विवरण

4–श्रीमती अमृता रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ललितपुर के भवनों के निर्माण हेतु शासन द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा भवनों का निर्माण किस निर्माण इकाई द्वारा कब तक प्रारम्भ किया गया ?

वर्तमान में भवनों के निर्माण की कार्य प्रगति का विवरण क्या है तथा इन भवनों का निर्माण कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ललितपुर के भवन के निर्माण हेतु रु0 64.12 लाख के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 800/XXVIII–5–2007–137/2007 दिनांक 30–11–2007 के द्वारा प्रदान करते हुए रु0 26.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। योजना के निर्माण हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग को कार्यदायी संस्था के रूप में आबद्ध किया गया है। योजना का कार्य अप्रैल, 2008 में प्रारम्भ हुआ।

वर्तमान में मुख्य भवन का कुर्सी स्तर तक कार्य किया गया है। यथाशीघ्र।

कुमाऊँ तथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम में दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कार्मिकों की संख्या तथा स्थायी नियुक्ति हेतु सरकार का प्रयास

5—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुमाऊँ कण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम में दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कुल कितने कार्मिक कार्यरत हैं और उनकी वर्षवार नियुक्ति की स्थिति क्या है ?

इन कार्मिकों की लम्बी एवं निरन्तर सेवावधि को ध्यान में रखते हुए इनकी स्थायी नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा कोई प्रयास किये जा रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक—

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम में दैनिक वेतन एवं संविदा पर कार्यरत कुल कार्मिकों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट—अ † एवं परिशिष्ट—ब † में दिया गया है।

राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन कार्मिकों के विनियमितीकरण किये जाने का मामला मा0 मंत्रिमण्डल की उपसमिति के समक्ष विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड द्वाराहाट में स्याल्दे बिखोती मेला आयोजन हेतु अवमुक्त धनराशि

6—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के किस विकास खण्ड में स्याल्दे बिखोती मेले का आयोजन किया जाता है।

और इस मेले के आयोजन हेतु पर्यटन विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ सं0 153—155 पर)

श्री मदन कौशिक–

स्याल्दे बिखोती मेले का आयोजन जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विकास खण्ड में किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में मेले के आयोजन हेतु पर्यटन विभाग द्वारा कोई भी धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में पर्यटन विभाग के मेले एवं त्योहारों की मद में आय–व्ययक प्रस्तावित नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट में वर्ष 2006 से अब तक मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु आवंटित धनराशि

7–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2006 से अब तक किन–किन मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी।

और वर्तमान में अन्य ऐसे कितने मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु शासन को प्राक्कलन प्राप्त हुए हैं तथा उनकी अद्यतन स्थिति क्या है ?

श्री मदन कौशिक–

विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006 से अब तक निम्न मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है :–

वित्तीय वर्ष	मन्दिर का नाम	स्वीकृत धनराशि
2006–07	पाण्डुखोली	5.30
2006–07	मंशा देवी	13.60
2006–07	विभाण्डेश्वर	55.80
2007–08	द्रोणगिरी	110.82
2008–09	रामकोट	1.50
2008–09	शिवमंदिर	1.50
2008–09	भूमिया	1.00
2008–09	रामपदुका	4.00
2008–09	अग्नेरी	5.93
2008–09	बैराठेश्वर	4.81

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण के प्राक्लन शासन को प्राप्त नहीं हुए हैं।

जनपद अल्मोड़ा में कोसी क्षेत्र अन्तर्गत कटारमल सूर्य मन्दिर के रख–रखाव व जीर्णोद्धार हेतु सरकार द्वारा प्रयास

8–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के कोसी क्षेत्र के अन्तर्गत कटारमल सूर्य मन्दिर देश में कोणार्क मन्दिर के अतिरिक्त एकमात्र दूसरा सूर्य मन्दिर है?

यदि हाँ, तो इसके रख–रखाव व पुनर्जीर्णोद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

कटारमल सूर्य मन्दिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण के अन्तर्गत है। वित्तीय वर्ष 2005–06 में पर्यटन विभाग द्वारा केन्द्र वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत नैनीताल–रानीखेत–अल्मोड़ा सर्किल के अन्तर्गत कटारमल में सूचना केन्द्र, स्वागत कक्ष, व्यू प्वाइन्ट, लोक सुविधाओं का निर्माण, कैम्पस में लैण्ड स्केपिंग, वाह्य विद्युतीकरण, परिसर का विद्युतीकरण, गारबेज डिस्पोजल एवं साईनेज के निर्माण हेतु कु0मा0वि0नि0 को रु0 59.77 लाख की धनराशि दी गयी जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है। जिला योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु रु0 3.00 लाख धनराशि स्वीकृत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

अल्मोड़ा के द्वाराहाट अन्तर्गत कुकुछीना से पाण्डखोली मन्दिर तथा द्वाराहाट से दूनागिरी मन्दिर तक रोप–वे निर्माण हेतु प्रस्ताव

9–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुकुछीना से पाण्डखोली मन्दिर तथा द्वाराहाट से दूनागिरी मन्दिर तक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रोप–वे का निर्माण करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

लागू नहीं।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अल्मोड़ जनपद के द्वाराहाट अन्तर्गत अनु0 जाति बाहुल्य क्षेत्र महाकालेश्वर में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु अद्यतन स्थिति

10—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र महाकालेश्वर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए जिला/निदेशालय स्तर से कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है?

यदि हाँ, तो उसकी अद्यतन स्थिति क्या है एवं कब तक उक्त स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिया जायेगा ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट एवं मासी स्थित प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेड करने एवं चिकित्सकों की नियुक्ति

11—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि, अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—मासी को अपग्रेड करने एवं चिकित्सकों की नियुक्ति पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, द्वाराहाट को वित्तीय वर्ष 2008—09 में एफ0आर0यू0 के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—मासी की शैय्या उपयोगिता दर अत्यन्त कम होने के कारण उच्चीकरण विचाराधीन नहीं है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की संख्या

12–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों में से कुल कितने पद रिक्त चल रहे हैं ?

क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में चिकित्सकों के कुल 33 पद स्वीकृत हैं। जिनमें से 19 पद रिक्त चल रहे हैं।

रिक्त पदों के सापेक्ष साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के 875 पदों का तथा दन्त शल्यक के 25 पदों के चयन हेतु राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में संविदा पर चिकित्सकों की तैनाती की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खटीमा का उच्चीकरण एवं भवन निर्माण कार्य की प्रगति

13–श्री गोपाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंह नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खटीमा को उच्चीकृत कर 100 (सौ) शय्या का कर दिया गया है तथा भवन निर्माण हेतु बजट स्वीकृत कर दिया गया है ?

क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि खटीमा राजकीय अस्पताल हेतु राजकीय कृषि फार्म द्वारा 7 (सात) एकड़ भूमि आवंटित कर दी गयी है ?

यदि हाँ, तो खटीमा राजकीय अस्पताल के भवन निर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'—

जी हाँ।

जी हाँ। 6.04 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित की गयी है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खटीमा के उच्चीकरण हेतु रु0 1027.19 लाख लागत के प्राक्कलन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं रु0 44.41 लाख की धनराशि शासनादेश सं0–450/XXVIII–5–2009–15/2006 दिनांक 06 जुलाई, 2009 के द्वारा अवमुक्त कर दी गयी है। निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खटीमा में चिकित्सकों के सृजित/कार्यरत् रिक्त पदों की स्थिति

14—श्री गोपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खटीमा जनपद ऊधमसिंह नगर में चिकित्सकों के कितने और कौन–कौन से पद सृजित हैं।

क्या सृजित पदों के सापेक्ष चिकित्सकों के समस्त पद भरे गये हैं ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

जनहित में क्या सरकार रिक्त पदों पर चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खटीमा में चिकित्सकों के सृजित/कार्यरत/रिक्त पदों की प्रास्थिति निम्नवत् है :

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	फिजिशियन	01	—	01
2.	शल्यक	01	01	—
3.	अस्थि रोग विशेषज्ञ	01	01	—
4.	बाल रोग विशेषज्ञ	01	01	—
5.	रेडियोलॉजिस्ट	01	—	01
6.	पैथोलोजिस्ट	01	—	01
7.	स्त्री रोग विशेषज्ञ	01	—	01
8.	चिकित्साधिकारी	02	01	01
9.	दन्त चिकित्सक	01	01	—
	योग	10	05	05

जी नहीं।

रिक्त पदों के सापेक्ष साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों के 875 पदों का तथा दन्त शल्यक के 25 पदों के चयन हेतु राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में संविदा पर चिकित्सकों की तैनाती की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

15–श्री प्रीतम सिंह–

द्वितीय सोम के अता0–45 में स्था0।

जनपद चमोली के वि0स0 क्षेत्र कर्णप्रयाग में स्वीकृत ट्रामा सेन्टर के निर्माण कार्य की प्रगति

16–श्री अनिल नौटियाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में ट्रामा सेन्टर स्वीकृत हो चुका है ?

यदि हाँ, तो कब तक निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

निर्माण कार्य जुलाई 2009 से प्रारम्भ किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल स्थित आर्य समाज मन्दिर एवं गडरी स्थित प्राचीन शिव मन्दिर से सम्बन्धित आगणन प्रस्ताव

17–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2008 के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 05 के उत्तर के संदर्भ में क्या तीर्थाटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत आर्य समाज मन्दिर एवं गडरी स्थित प्राचीन शिव मन्दिर से सम्बन्धित आगणन/प्रस्ताव प्राप्त करने की दिशा में अब तक की गई कार्यवाही एवं हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक प्रस्तावित योजनाओं के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कर दिया जायेगा ?

श्री मदन कौशिक–

आर्य समाज मन्दिर एवं गडरी स्थित प्राचीन शिव मन्दिर से सम्बन्धित आगणन/प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

18–श्री यशपाल बेनाम–

द्वितीय सोम के अता0–46 में स्था0

उत्तराखण्ड प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या तथा प्रदत्त सुविधाएं

19–श्री गणेश जोशी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड प्रदेश में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं ?

क्या मंत्री महोदय यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत करायेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर क्या–क्या सुविधायें प्रदान किये जाने का प्राविधान है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

उत्तराखण्ड प्रदेश में कुल 55 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं।

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित आई0पी0एच0एस0 मानकों में फिजीशियन, सर्जन, निश्चेतक, स्त्री रोग, नेत्र रोग, आर्थोपेडिक्स, बाल रोग, दन्त रोग विशेषज्ञ सुविधाओं के अतिरिक्त 30 अन्तः रोगी शैय्याओं, पुरूष तथा महिला वार्ड, आकस्मिकता, एक आपरेशन थिएटर, एक प्रसव कक्ष, एक्स–रे सुविधा, पैथोलॉजी एवं ई0सी0जी0 की सुविधायें भी आती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट तहसील के अति दुर्गम क्षेत्रों में 108 सेवा का प्रारम्भ

20–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट तहसील के अति–दुर्गम क्षेत्र जालली, दौला, पाली क्षेत्र में 108 सेवा प्रारम्भ कर दी गयी है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो उक्त सेवा कब तक प्रारम्भ कर दी जायेगी ?

डॉ0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

सितम्बर, 2008 से द्वाराहाट क्षेत्र में पं0 दीनदयाल उपाध्याय देवभूमि 108 आपातकालीन सेवा प्रारम्भ की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

चमोली जिले के घाट विकास खण्ड में 108 सेवा का प्रारम्भ

21–श्री यशपाल बेनाम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चमोली जिले के घाट विकास खण्ड में 108 सेवा प्रारम्भ कर दी गयी है ?

यदि हाँ, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में प्रारम्भ की गयी पं0 दीनदयाल उपाध्याय देवभूमि 108 आपातकालीन सेवा द्वारा घाट विकास खण्ड में भी सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत गंगा दर्शन मोड़ से किंकालेश्वर मन्दिर तक रोप–वे निर्माण की प्रगति पर विचार

22–श्री यशपाल बेनाम–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत पौड़ी में गंगा दर्शन मोड़ से किंकालेश्वर मन्दिर तक स्वीकृत रोप–वे के निर्माण की प्रगति क्या है ?

तथा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री मदन कौशिक–

गंगा दर्शन मोड़ श्रीनगर से श्रीनगर–पौड़ी रोड, निकट उद्यान कार्यालय पौड़ी तक रोप–वे के निर्माण हेतु तकनीकी सर्वेक्षण किया जा चुका है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्माण होने के पश्चात् योजना की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

जनपद चम्पावत के लोहाघाट में शरदोत्सव के लिए मा0 मुख्यमंत्री द्वारा धनराशि हेतु की गई घोषणा

23–श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मंहू भाई"–

क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री जी द्वारा 25 अगस्त, 2006 को धामंद्यों, जनपद–अल्मोड़ा में शहीद दिवस के अवसर पर जनपद चम्पावत के लोहाघाट में शरदोत्सव संचालन हेतु रु0 5.00 लाख की घोषणा की गयी थी ?

यदि हाँ, जो उक्त संदर्भ में अब तक क्या प्रगति हुई है ? क्या घोषित की गयी धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

जी नहीं।

घोषणा से सम्बन्धित विषय संस्कृति विभाग से सम्बन्धित न होकर पर्यटन विभाग से सम्बन्धित था। फलतः पर्यटक विभाग के द्वारा दिनांक 09–10–2006 के आदेश के माध्यम से शरदोत्सव लोहाघाट, चम्पावत के आयोजन के लिए रु0 1.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी।

24–श्री राजेश जुवांठा–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत हरकीदून के विकास हेतु सरकारी योजना

25–श्री राजेश जुवांठा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत हरकीदून के विकास के लिए सरकार कोई योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक और क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी हाँ।

भारत सरकार/गोविन्द पशु विहार के सहयोग से लागू की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

26–श्रीमती अमृता रावत– द्वितीय मंगलवार तक स्थगित।

प्रदेश के विधान सभा क्षेत्रों में विगत दो वर्षों में सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना तथा नियमित/व्यवस्थित संचालन की व्यवस्था

27–श्रीमती अमृता रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विगत दो वर्षों में प्रदेश के किन–किन विधान सभा क्षेत्रों के किन–किन स्थानों पर नए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों तथा मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण उपकेन्द्रों की स्थापना कब–कब की गई है और इनके नियमित एवं व्यवस्थित संचालन की क्या व्यवस्था की गई है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

विगत दो वर्षों में 07 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं (संलग्नक–1) †

स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन उपलब्ध मानव संसाधन से कराया जा रहा हैं।

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत वि0ख0 ओखलकॉंडा में देवगुरू मन्दिर व हरीशताल व लोहाखाम झीलों के विकास/संरक्षण हेतु किये गये प्रयास

28–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड ओखलकॉंडा में देवगुरू (बृहस्पति) मन्दिर व हरीशताल व लोहाखाम दो झीलों के विकास एवं संरक्षण हेतु वर्ष 2006 से अब तक क्या प्रयास किये गये ?

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त पर्यटन स्थलों तक पर्यटकों के पहुँचने के लिए पहुँच मार्ग बनाया गया ?

यदि हाँ, तो कब ?

---

† (देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 156 पर)

श्री मदन कौशिक–

प्रश्न में वर्णित स्थानों में से हरीशताल के सौन्दर्यीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में रु0 4.98 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के प्रसिद्ध देवालयों यथा–विमाण्डेश्वर दूनागिरी, बद्रीनाथ आदि धार्मिक और पर्यटन स्थलों का एक टूरिस्ट सर्किट बनाने पर विचार

29–श्री नारायण पाल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि द्वाराहाट जनपद अल्मोड़ा के प्रसिद्ध देवालयों, यथा–विमाण्डेश्वर, दूनागिरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मृत्युंजय, कालिका देवी, रतनदेव मन्दिर समूह, ध्वज, गरूड़, मनियान मन्दिर तथा कूकूछीना, पाण्डुखोली आदि धार्मिक और पर्यटन स्थलों का एक टूरिस्ट सर्किट बनाने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो इसकी क्या प्रगति है और कब तक यह टूरिस्ट सर्किट पर्यटकों को उपलब्ध हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मदन कौशिक–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री यशपाल बेनाम, स0वि0स0 द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने की माँग

*श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय यशपाल जी, आप बतायें।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के द्वारा एक ही प्रश्न के अलग–अलग जवाब दिये जा रहे हैं, जो बड़ा गम्भीर विषय है। पिछले सत्र 2008 में पौड़ी का प्रश्न किया गया था,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें तत्कालीन माननीय मंत्री जी श्री प्रकाश पन्त जी ने कहा था कि उक्त परियोजना की तकनीकी सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा डी0पी0आर0 तैयार की जा चुकी है, परियोजना हेतु आवश्यक भूमि का चिन्हीकरण भी किया जा चुका है और वर्तमान में भूमि के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय यशपाल जी, नियम–162 में इसकी व्यवस्था है, कृपया आप इसको लिखित में दे दें, यह विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश में व्यवस्था है, आप लिखित में दे दें।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, यह पौड़ी की समस्या है, बहुत गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित में दे दें।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, वर्तमान में पर्यटन मंत्री जी ने कहा था कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही विचार किया जायेगा। डेढ़ साल पहले माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कार्यवाही की जा रही है और अब वर्तमान में माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कार्य प्रारम्भ किये जाने पर विचार किया जायेगा, यह गम्भीर विषय है। मैंने, पौड़ी की उपेक्षा की जा रही है, के लिए सरकार से समर्थन वापस लिया। मान्यवर, जवाब मिल जाये सदन के सामने यह बात आ जाये।

(माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम जी 'वेल' में आकर कहने लगे कि माननीय पर्यटन मंत्री जी कह रहे हैं और सरकार के बुकलेट में भी था, डेढ साल पहले कहा था और अब कहा जा रहा है कि...)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें, यह उनका उत्तरदायित्व है, उनसे पूछा जायेगा, आप लिखित में दें।

(माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम अपने स्थान पर चले गये)

चौ0 यशवीर सिंह स0वि0स0 द्वारा पर्यटन के विकास हेतु प्रत्येक सदस्य को धनावंटन न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले सत्र में एक लेटर माननीय श्री प्रकाश पन्त जी की तरफ से आया था कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 20 लाख रुपया पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए दिया जायेगा, यदि 20 लाख रुपया दिया तो सब को दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

*पर्यटन मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, उसको दिखवा लिया जायेगा कि कहाँ–कहाँ मिला और कहाँ–कहाँ नहीं मिला। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री केदार सिंह–

मान्यवर, सम्बन्धित विभाग से प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या यह विधायकों की जिम्मेदारी है कि वह प्राक्कलन बनाकर सरकार को प्रस्तुत करें या यह सरकार की जिम्मेदारी है ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री केदार सिंह–

मान्यवर, सरकार की तरफ से यह जवाब आया कि अभी प्राक्कलन विभाग को प्राप्त नहीं होने से 20 लाख रुपया नहीं दिया गया। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय पर्यटन मंत्री जी, इस बात का निष्पक्ष परीक्षण करा दीजिए कि जिन माननीय विधायकों के लिए विभाग से प्रस्ताव मांगे गये थे, उनकी क्या स्थिति है। किन–किन विधायकों को यह मिला है और किन–किन को नहीं मिला है और जिनको नहीं मिला है, उनको क्यों नहीं मिला है यह भी देख लीजिए। (व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान)

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, यह वर्ष 2007–2008 का भी नहीं मिला है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या जिन माननीय विधायकों को 20 लाख रु0 पर्यटन निधि से नहीं मिला है... (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अगर उन माननीय विधायकों के प्रस्ताव आये होंगे। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, 7–8 माननीय विधायकों ने लिखकर भी दिया है। (व्यवधान)

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, यह वर्ष 2007 एवं 2008 का भी पैसा किसी को नहीं मिला है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(सभी माननीय विधायकगणों द्वारा अपना स्थान ग्रहण करने पर)

श्री अध्यक्ष–

जिन भी माननीय विधायकों के प्रस्ताव आये हैं। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2007 एवं 2008 के भी।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, सभी माननीय सदस्यों को अवगत करा दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। (व्यवधान)

*श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, पुराना पैसा भी दिया जायेगा ? मूल प्रश्न तो यह है। (व्यवधान)

चौ0 यशवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हमें पैसा मिलेगा या नहीं, जिनके प्रस्ताव आ चुके हैं ? यह स्पष्ट होना चाहिए। (घोर व्यवधान)

श्री केदार सिंह–

मान्यवर, 2007–2008 के प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट की जाय।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वर्ष 2007–2008 और 2008–2009 की स्थिति से माननीय सदस्यों को अवगत करा दिया जायेगा। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जिन माननीय विधायकों ने अगर प्रस्ताव दे दिया है और वे विभाग से स्वीकृत नहीं हुए हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ? जब माननीय विधायक ने प्रस्ताव दे दिया है तो इसके लिए माननीय विधायक तो जिम्मेदार नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण करा लिया जायेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यदि वित्तीय वर्ष 2006–2007, 2007–2008 में, या 2008–2009 में जो वित्तीय वर्ष बीत गया है, उस वर्ष यदि वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है तो कैसे पैसा दिया जायेगा। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, विधायकों का कार्य प्रस्ताव स्वीकृत करना नहीं है। (घोर व्यवधान के मध्य)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के माननीय चौधरी यशवीर सिंह जी एवं काजी निजामुद्दीन 'वेल' में आ गये और सभी माननीय सदस्य एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यों के एक साथ अपनी–अपनी बात कहने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) 2007–08 आपको आज याद आ रहा है। (व्यवधान) माननीय गुनसोला जी, आप तो पुराने सदस्य हैं, आप जानते हैं कि आप प्रस्ताव देंगे और परस्यू भी आप ही करेंगे। (व्यवधान)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य चौ0 यशवीर सिंह ने कुछ पत्र माननीय अध्यक्ष जी को उपलब्ध करवाए।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया है कि जो वस्तुस्थिति है, उससे सभी माननीय सदस्यगण को अवगत कराएंगे। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, प्रस्ताव तो हमने भेज दिये । अब यदि विभाग ने इस्टीमेट समय से नहीं बनाए हैं तो उसके लिए गलती मंत्री या विधायक की नहीं है। यह गलती विभाग की है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इसमें जो मूल समस्या आती है, वह आगणन बनाने की आती है। यह बात सत्य है कि यह विभाग को बनाना चाहिए, लेकिन पर्यटन विभाग के पास ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है, जिससे वे आगणन बना सकें। वे आगणन बनाने के लिए लिखते हैं और जितने आगणन एक वर्ष में बन कर आ जाते हैं, उस वित्तीय वर्ष में उनकी स्वीकृति हो जाती है। जो बच गये हैं, उनको इस वित्तीय वर्ष में लिया जाएगा, ऐसा माननीय मंत्री जी ने कह दिया है। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि इसको दिखवा लेंगे। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यदि माननीय मंत्री जी यह कह देते हैं कि जिन माननीय विधायकों के प्रस्ताव समय से आ गये थे और विभागीय त्रुटि के कारण उनका प्राक्कलन नहीं बन पाया, उनको इस बार ले लेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष विद्वान सदस्य हैं। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यहाँ पर विद्वान की बात नहीं हो रही हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

एक वित्तीय वर्ष की स्वीकृति दूसरे वर्ष के लिए कैसे होगी, यह बताईये। (व्यवधान) इतना प्रयास तो माननीय सदस्यों को भी करना चाहिए कि समय पर प्रस्ताव भेज दें। क्योंकि पर्यटन विभाग के पास इसके लिए कोई नेटवर्क नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, बजट तो माननीय सदन के समक्ष आयेगा ही, जब उस पर चर्चा होगी तो उस समय यह विषय आ सकता है।

श्री अध्यक्ष–

आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है, जब पर्यटन विभाग का बजट आयेगा, उस समय इस पर विचार कर लेंगे। उस समय आप इस बात को उठा सकते हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर आपका विनिश्चय आ जाय।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपने–अपने बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, जिन विधायकों की विधान सभा में अभी तक कोई बजट नहीं दिया गया है, इस वित्तीय वर्ष में पहले उनको कन्सीडर करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

जब पर्यटन विभाग का बजट प्रस्तुत होगा, इस मद पर चर्चा होगी, उस समय आप इस बात को रखियेगा।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर वापस चले गये।)

*श्री तिलकराज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम–299 के अन्तर्गत राजधानी चयन आयोग की रिपोर्ट पर औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–299 के तहत माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन तथा माननीय श्री पुष्पेश त्रिपाठी की कुल दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जो राजधानी चयन आयोग की रिपोर्ट के औचित्य के प्रश्न पर हैं। राजधानी चयन आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई है, उसके गुण–अवगुण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। यदि माननीय सदस्य इस प्रतिवेदन पर चर्चा चाहते हैं तो नियम–49 में इसकी सूचना देकर माँग कर सकते हैं मैं इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूँ।

(कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करिये, मैं इसकी जो व्यवस्था है, उसके बारे में बता दूँ। कल शायद आपके संज्ञान में नहीं आया। जो खण्ड तीन है, उसकी प्रति आप लोगों को प्राप्त हो गई है, बाकी एक, दो और चार, यह मेरे कार्यालय में उपलब्ध है। क्योंकि यह काफी विस्तृत है, यदि आप चाहें तो उसे वहाँ पर देख सकते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, सरकार सदन को गुमराह कर रही है। सदन के पटल पर जो रिपोर्ट रखी गई है, वह दिल्ली के एक स्कूल की रिपोर्ट है। सरकार पूरे उत्तराखण्ड की जनता को गुमराह कर रही है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, सीधे–सीधे सदन को गुमराह किया जा रहा है।

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह दीक्षित आयोग की रिपोर्ट कहाँ है, यह तो किसी संस्थान की रिपोर्ट है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

यह रिपोर्ट नहीं है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, आप यह बतायें कि दीक्षित आयोग का, हमारे राज्य आन्दोलन का कोई लेना–देना नहीं है। सर्वे की रिपोर्ट है, आयोग की रिपोर्ट कहाँ है ? सरकार सदन को गुमराह कर रही है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यदि सभी माननीय सदस्य एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात नहीं आ पायेगी। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया सदन को व्यवस्थित करने हेतु सहयोग करें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ कहा गया, लेकिन व्यवधान के कारण कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। जिन्हें मैं अनुमति दे चुका हूँ बोलने के लिए केवल उन्हीं की बात का संज्ञान लिया जायेगा बाकी किसी की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, फिजीबिलिटी रिपोर्ट कहाँ है मान्यवर, दीक्षित आयोग की रिपोर्ट कहाँ है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय पुष्पेश त्रिपाठी जी। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, आप सरकार से कहिए कि सही रिपोर्ट पेश करें। इस रिपोर्ट में हमारा कोई लेना–देना नहीं है, लेकिन सरकार गुमराह कर रही है।

*श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, जो भी उन्होंने व्यवस्था दी है.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

*श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, ये अपने आपको स्वयं गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) आप सूचना दीजिए। ऐसा नहीं होता कि जब भी चाहें खड़े हो जाएंगे, बोल देंगे। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, हमारा इस रिपोर्ट से कोई लेना–देना नहीं है, लेकिन सरकार ने सदन को गुमराह किया है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन के अन्दर एक रिपोर्ट जो चरण–3 है, योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के द्वारा उत्तरांचल की स्थाई राजधानी के लिए फिजीबिलटी अध्ययन। माननीय अध्यक्ष जी, इससे पूरे प्रदेश के सामने ऐसा मैसेज गया है कि दीक्षित आयोग की रिपोर्ट को सरकार ने सदन के सम्मुख रख दिया और कार्यसूची में, कल की कार्यसूची में था मुख्यमंत्री राजधानी स्थल चयन आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे, और माननीय अध्यक्ष जी, जो यह दस्तावेज हमारे हाथों में है, ये दस्तावेज आयोग का कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ये किसी योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली की रिपोर्ट है, जो हम विधायकों को जारी किया गया है, जो भी दस्तावेज है, वो अध्ययन रिपोर्ट है। इसमें भ्रम की स्थिति बन गयी है, ये जो सदन के पटल पर रखा गया है।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम तो मैं नियम–299 के अन्तर्गत उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। श्रीमन्, इसमें जिस विषय को ले करके सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है वो राजधानी आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में है। ये आयोग गठित किन परिस्थितियों में हुआ, सर्वप्रथम इसके बारे में बताना चाहता हूँ। श्रीमन्, सामान्य तौर पर दो तरह के आयोग गठित किये जाते हैं। एक आयोग जिसे जाँच आयोग अधिनियम (व्यवधान) श्रीमन्, ये जो आयोग गठित किया गया, ये जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत गठित नहीं किया गया। और ये जो कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952 है इस एक्ट में यह प्राविधान है कि अगर कोई भी जाँच आयोग गठित किया जाता है इस एक्ट के तहत तो उसकी रिपोर्ट सदन के समक्ष, विधान सभा के समक्ष रखना ये मेन्डेटरी है। लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद–162 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। संविधान का अनुच्छेद–162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और इस अनुच्छेद में यह प्राविधान है कि "इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके सम्बन्ध में उस राज्य के विधान मण्डल को विधि बनाने की शक्ति है।" अर्थात् ऐसे सभी कार्य, जो राज्य की विधान मण्डल बनाने की शक्ति है, ये कार्यपालक शक्ति राज्य की शक्ति के सम्बन्ध में प्राविधान किया गया है।

इस राज्य की कार्यपालक शक्ति का उपयोग करते हुए श्रीमन्, प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए 11 जनवरी, 2001 को कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से इस आयोग का गठन किया गया, जिसको नाम दिया गया उत्तरांचल राज्य की राजधानी स्थल का चयन आयोग और इसको जो कार्य सीमा दी गई उसका बिन्दु–3, 'उक्त आयोग के द्वारा अपने प्रतिवेदन आयोग के गठन की अधिसूचना के 6 माह के अन्दर शासन को प्रस्तुत किया जायेगा' शासन को न कि विधान सभा को, आयोग का जो मेन्डेट इनको दिया गया था यह शासन को प्रस्तुत किया जायेगा। आयोग के प्रतिवेदन में किन–किन बिन्दुओं को समावेश किया जायेगा यह इसके अंश 4 में राजधानी के प्रस्तावित स्थलों के सम्बन्धित पक्षों का अभिमत इत्यादि ये चार बिन्दु थे उसके आधार पर इसको मैन्डेट दिया गया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो यह राजधानी स्थल चयन आयोग गठित किया गया था उसको यह रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करनी थी, न कि विधान सभा को।

*काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, शासन की जवाबदेही विधान सभा के प्रति तो है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मेरी बात पूरी आने दीजिए। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब यह रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई तो हमने इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया और सर्वप्रथम विधान सभा की गरिमा को देखते हुए और विधान सभा के प्रति शासन के उत्तरदायित्व को देखते हुए विचार किया कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से पूर्व हम इसे विधान सभा सदन के समक्ष रखें। विधान सभा में सदन के समक्ष रखने के लिए यह आवश्यक था कि उसका जीस्ट, जो मुख्य बिन्दु है, जो राजधानी चयन आयोग से जुड़े हुए हैं, उन जीस्ट बिन्दुओं से माननीय सदस्यों को अवगत करायें। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने 11 जुलाई, 2009 को इस रिपोर्ट को माननीय अध्यक्ष जी को सौंपा था। इसमें हमने विशेष रूप से आग्रह माननीय अध्यक्ष जी से किया था कि रिपोर्ट के खण्ड–1, 2 और 4 के दो सैट माननीय अध्यक्ष जी के कार्यालय हेतु रख दिये जायें ताकि जो भी माननीय सदस्य उनका अवलोकन करना चाहें उनको यह उपलब्ध हो सके। दूसरा हमने इसके साथ आग्रह किया था कि रिपोर्ट का खण्ड–3, उसको हिन्दी में अनुवादित करके उसे विधान सभा के पटल पर रखा जाय। हमने यह इसलिए किया कि इन खण्डों में इतने अधिक संख्या में पत्र जाते हैं कि अगर हम इसको प्रिंट में भेजते तो यह लीक हो जाता। निश्चित रूप से हम इसे प्रिंट में भेजते तो....... (विपक्ष के कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पूरी बात तो आ जाय।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी शासन की गोपनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। (विपक्ष के कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसलिए यह सदन के पटल पर रखा गया कि ये सार्वजनिक होने से पूर्व सदन के संज्ञान में आये और सदन इस पर चर्चा कर सके। इसके पश्चात् श्रीमन्, इसके लिए निर्देश दे रहे हैं कि एक तो इसको तत्काल प्रिंट किया जाय जिससे इसके चार के चार प्रिंट माननीय सदस्यों को उपलब्ध हो सकें। (विपक्ष के कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार द्वारा बहुत अधिक ढिलाई बरती गई है। सरकार गम्भीर नहीं है। (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, किस बात की ढिलाई बरती गई है ? माननीय अध्यक्ष जी, यह तो जोर–जबरदस्ती है। माननीय अध्यक्ष जी, यह मैनडेटरी नहीं है कि हम इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करें। लेकिन सरकार की सदन के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए यह रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई है और रिपोर्ट का खण्ड–तीन सदन के पटल पर रखा गया है। पूरी रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी गई है। इस विषय पर सरकार ने कहीं से कहीं तक कोई कोताही नहीं बरती है।

(उत्तराखण्ड क्रांति दल के माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी कुछ पत्रादि फाड़ते हुए 'वेल' में आ गये और जोर–जोर से अपनी बात को कहने लगे। तत्पश्चात नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य, काजी मौ0 निजामुद्दीन और माननीय सदस्य श्री शहजाद 'वेल' में आ गये और जोर–जोर से अपनी बात को कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यह प्राविधान किया गया कि जो कागजात पूरी तरीके से सदन में रखे नहीं जा सके हैं, मेरे कार्यालय में प्राप्त कर सकते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कृपया शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। जब तक माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण नहीं कर लेते तब तक किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आश्वासन दिया गया था कि रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी जाएगी, इसके चलते हमने रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की है।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा जब तक वे अपने स्थान पर न जाएं। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, यह व्यवस्था पहले से भी होती है कि यदि सदन के पटल पर रखे गये पूरे डॉक्यूमेंट माननीय सदस्यों को नहीं दिये जाते तो वह मेरे कक्ष में देखे जा सकते हैं। पूर्व में भी यह व्यवस्था रही है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, राजधानी का मुद्‌दा बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित में दीजिए, उस पर चर्चा करा लेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, रिपोर्ट तो प्रस्तुत हो गयी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब अपने स्थान पर जा कर बोलेंगे तभी तो आपकी बात आएगी। (व्यवधान) जब तक सदन को व्यवस्थित नहीं कराएंगे तक तक बात कैसे आएगी ? (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, राजधानी आयोग की रिपोर्ट के नाम पर सरकार ने सदन को गुमराह किया है। इस सरकार की मंशा हमेशा से सदन को गुमराह करने की रही है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने सदन को गुमराह किया है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से विधान सभा की कार्यवाही में कहा गया था कि राजधानी चयन आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे। अब जो दस्तावेज हमारे सम्मुख आए हैं, इससे कहीं नहीं लगता कि यह राजधानी चयन आयोग की रिपोर्ट है। इसलिए मैं और मेरा दल सरकार के रवैये के खिलाफ वॉक आऊट कर रहा है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य सदन के बाहर चले गये।)

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री जोगा राम टम्टा, काजी निजामुद्दीन, श्रीमती आशा नौटियाल की कुल पाँच सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन पाँचों सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

देश में प्रसिद्ध 52वीं चूड़ामणि देवी चुड़ियाला एवं राजा विजय सिंह शहीद स्मारक के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, हरिद्वार जनपद के ब्लॉक भगवानपुर में देश में विख्यात 52वीं पीठ माँ चूड़ामणि देवी चुड़ियाला के मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता अपनी माँग बहुत समय से करती चली आ रही है। इस मन्दिर पर लाखों लोग प्रतिवर्ष अपनी श्रद्धा से पूजा अर्चना करने नवरात्रों में आते हैं। जनहित को ध्यान में रखते हुए इसके सौन्दर्यीकरण की आवश्यकता है। इसी प्रकार अंग्रेजों से लड़ाई में शहीद हुए राजा विजय सिंह शहीद स्मारक बहादुरपुर के सौन्दर्यीकरण की भी क्षेत्रीय जनता ने माँग की है। पर्यटन विभाग के द्वारा सौन्दर्यीकरण होना आवश्यक है।

इस अति महत्वपूर्ण लोक हित के विषय पर सरकार के ध्यानाकर्षक की माँग करता हूँ।]

नागार्जुन, नौबाड़ा–दौला, सिनार मोटर मार्ग पर डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा भिक्यासैंण में नागार्जुन, नौबाड़ा–दौला, सिनार मोटर मार्ग पर डामरीकरण का कार्य वर्षों से लम्बित है। राज्य सैक्टर में इस मार्ग हेतु पर्याप्त धन होने के उपरान्त भी इसके डामरीकरण का कार्य ए0डी0बी0 लोक निर्माण को दे दिया गया, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी ए0डी0बी0 द्वारा इस मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य प्रारम्भ न किये जाने से जहाँ क्षेत्रीय जनता में भारी असन्तोष व्याप्त हो रहा है वहीं जनता आक्रोशित व आन्दोलित भी हो रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र मोटर मार्ग के डामरीकरण की माँग करता हूँ।]

नोट : [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद पिथौरागढ़ के तहसील एवं विकास खण्ड गंगोलीहाट के अन्तर्गत ग्राम सभा रैतोला तथा तोक पीपरतोला की सम्पूर्ण सिंचाई भूमि हेतु पानी की समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जोगा राम टम्टा–

[मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के तहसील एवं विकास खण्ड गंगोलीहाट के अन्तर्गत ग्राम सभा रैतोला के ग्राम रैतोला तथा तोक पीपरतोला की सम्पूर्ण भूमि सिंचाई योग्य है, किन्तु सिंचाई हेतु इतना कम पानी उपलब्ध है कि वहाँ के कृषक जो पूर्व में रबी, खरीफ तथा जायद की तीन फसलें उगाकर अपनी पूरी आजीविका खेती से ही चलाते थे, कालान्तर में ग्राम "सलाण" के लिए पक्की गूल तथा इस ग्राम के तोक "बड़ी" के लिए गूल निर्माण से पानी ग्राम सभा रैतोला तथा इसके तोक पीपरतोला को पूरा नहीं मिल पाता है। वर्तमान में स्थिति यह है कि गत कई वर्षों से किसानों ने जायद की फसल बोना बन्द कर दिया है और अब केवल रबी तथा खरीफ की सफल की बुआई की जाती है। धान की रोपाई ग्रीष्म ऋतु मई–जून में करने हेतु पानी नहीं मिल पा रहा है। परिणामस्वरूप रोपाई की हुई फसल पानी (सिंचाई) के अभाव में सूख गयी है। किसान परेशान हैं, उनके सम्मुख आजीविका की समस्या खड़ी हो गई है।

उक्त समस्या के निदान के लिए यह परम आवश्यक हो गया है कि तोक पीपरतोला तथा ग्राम कँणा के बीच तथा पीपरतोला व ग्राम रैतोला के बीच दो जलाशयों का निर्माण किया जाये ताकि बहते पानी को जलाशय में इकट्ठा कर ग्रीष्म ऋतु की सिंचाई हेतु काम में लाया जा सके। इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को मैं सदन में उठाते हुए इस पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

कस्बा मंगलौर के राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज के भवन निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

[मान्यवर, कस्बा मंगलौर, जनपद हरिद्वार में राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज की स्थापना की गई है। यह विद्यालय वर्षों से अस्थाई किसी अन्य विद्यालय के परिसर में चल रहा है। राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज, मंगलौर के पास न भूमि है, न भवन और न ही पर्याप्त मात्रा में शिक्षक। इन सब कमियों के चलते इस विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस विद्यालय में शिक्षकों, भूमि और भवन की यथाशीघ्र आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के विषय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन और उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी सदन के बाहर चले गये।)

नोट : [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद रूद्रप्रयाग के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री केदारनाथ के लिए मोटर मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आशा–

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रूद्रप्रयाग के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री केदारनाथ के लिए मोटर मार्ग बनाये जाने की ओर ले जाना चाहती हूँ। मान्यवर, क्षेत्रीय जनता वर्षों पुराने केदारनाथ को मोटर मार्ग से जोड़े जाने की माँग करती आ रही है। रूद्रप्रयाग से गौरीकुण्ड तक राष्ट्रीय राजमार्ग होने के बाद यहाँ से यात्रियों को गौरीकुण्ड से केदारनाथ तक पैदल मार्ग से विकट यात्रा करनी पड़ती है, जिससे यहाँ आने वाले यात्री बद्रीनाथ की अपेक्षा कम यात्रा कर पाते है। श्री केदारनाथ को मोटर मार्ग से जोड़े जाने हेतु क्षेत्र में केदारनाथ धाम में तथा कालीमठ घाटी में जगह–जगह आन्दोलन किये जा रहे हैं।

महोदय, गौरीकुण्ड से केदारनाथ पैदल मार्ग 6 मीटर से अधिक चौड़ा है, तथा पैदल मार्ग को हल्का चौड़ा कर दिया जाय, तो मोटर मार्ग में तब्दील किया जा सकता है। और गुप्तकाशी से कालीमठ होते हुए जालचौमासी मोटर मार्ग को विस्तारीकरण करते हुए, यदि केदारनाथ तक जोड़ा जाये तो इस क्षेत्र में स्थित पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों का लाभ भी यात्रियों व पर्यटकों को मिल सकेगा। साथ ही वन वे रूट के तहत यातायात की सुविधा भी यात्रियों को मिल सकेगी।]

जनपद उत्तरकाशी में मनेरी एवं जोशियाड़ा जलाशय को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी में मनेरी एवं जोशियाड़ा जलाशय को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में" श्री नागेन्द्र सिंह चौहान, निवासी ग्राम जामक, पो0 मनेरी तहसील भटवाड़ी एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी में नाकुरी–धर्मशाला–खोड़–फलाचा–नन्दगाँव–गंगानाणी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में याचिका

श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद उत्तरकाशी में नाकुरी–धर्मशाला–खोड़–फलाचा–नन्दगाँव–गंगानाणी मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्री लोकेन्द्र सिंह विष्ट,

---

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निवासी ग्राम मांगलीसेरा, पो0 न्यू बरसाली एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम पंचायत कोपा में स्थित मझरा कोपा बसन्ता, कोपा मुनस्यारी खत्ता, नगलटिया खत्ता मझरे में उच्च शिक्षा के लिए मुनस्यारी में एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम पंचायत कोपा में स्थित मझरा कोपा बसन्ता, कोपा मुनस्यारी खत्ता, नगलटिया खत्ता मझरे में उच्च शिक्षा के लिए मुनस्यारी में एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में" श्री गोविन्द शाह, निवासी ग्राम कोपा लाल सिंह, पो0ओ0 गूलरभोज, तहसील गदरपुर एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम पंचायत खटोला, विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम राधाकान्तपुर में विद्युतीकरण के समय लगाये गये 25 के0बी0 के ट्रांसफार्मर के स्थान पर उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम पंचायत खटोला, विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम राधाकान्तपुर में विद्युतीकरण के समय लगाये गये 25 के0वी0 के ट्रांसफार्मर के स्थान पर उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती सुरबाला मण्डल, निवासी ग्राम प्रधान खटोला, विकास खण्ड गदरपुर एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के वि0ख0 गदरपुर ग्राम पंचायत कोपा स्थित मझरा कोपा बसन्ता, कोपा मुनस्यारी, कोपा लाल सिंह, न्याप्लाट, सैमलचौड़, कटपुलिया, मुनस्यारी खत्ता, नगलटिया खत्ता मझरे में आने–जाने हेतु हरिपुरा जलाशय डाम में झूलापुल बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर ग्राम पंचायत कोपा स्थित मझरा कोपा बसन्ता, कोपा मुनस्यारी, कोपा लाल सिंह, न्याप्लाट, सैमलचौड, कटपुलिया, मुनस्यारी खत्ता, नगलटिया खत्ता मझरे में आने–आने

हेतु हरिपुरा जलाशय डाम में झूलापुल बनाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द शाह, निवासी ग्राम कोपा लाल सिंह, पो0ओ0 गूलरभोज, तहसील गदरपुर एवं अन्य निवासीगण, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के नई बस्ती लोहारवाला में पीने योग्य पानी हेतु पेयजल लाईन निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

*श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के नई बस्ती, लोहारवाला में पीने योग्य पानी हेतु पेयजल लाईन निर्माण के सम्बन्ध में" श्रीमती शकुन्तला शर्मा, निवासी नई बस्ती, लोहारवाला एवं अन्य निवासीगण, जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के बिन्दाल नदी तक बहने वाली छोटी बिन्दाल नदी की सफाई व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के बिन्दाल नदी तक बहने वाली छोटी बिन्दाल नदी की सफाई व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में" श्री जय प्रकाश, निवासी श्रीदेव सुमन नगर एवं अन्य निवासीगण, जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री अनिल नौटियाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 जुलाई, 2009 की बैठक में दिनांक 14 जुलाई, 2009 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :–

जुलाई, 2009

14 (मंगलवार)

1. औपचारिक कार्य।
2. विधायी कार्य :–
   (क) उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (1 घन्टा)
   (ख) पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)
3. वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण। (अपराह्न 4:00 बजे)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य–मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है, ये यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री किशोर उपाध्याय की है जो उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय में विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की स्वीकृत सीटें रिक्त रहने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री हरिदास की है जो कि जनपद हरिद्वार

के ग्राम रहमतपुर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पट्टा धारकों की भूमि पर भू–माफिया (अरूण देव बिल्डर्स) द्वारा चकबन्दी अधिकारियों से सांठ–गांठ कर भूमि कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री तस्लीम अहमद की है जो जनपद हरिद्वार के ब्लाक भगवानपुर के खानपुर रेंज में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन विभाग की भूमि भू–माफियाओं को दिये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री नारायण पाल की है जो जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर की सीमा पर चौरगलिया, नानक मत्ता, सितारगंज शक्तिपीठ में देवा नदी से हो रहे भूमि कटान एवं जान माल की हानि होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री प्रेमानन्द महाजन की है जो जनपद ऊधमसिंह नगर के तहसील किच्छा में जाति प्रमाण–पत्र बनाने में हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठी सूचना चौ0 यशवीर सिंह की है जो सहारनपुर, छुटमलपुर मार्ग पर देहरादून आने हेतु मन्दिर के पास भारी/हल्के सभी वाहनों को सुरंग (टनल) से आने में हो रहे जाम से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री तिलक राज बेहड़ की है जो प्रदेश में विद्युत आपूर्ति बाधित होने से प्रदेश के किसानों को हो रही कठिनाईयों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री यशपाल बेनाम की है, जो प्रदेश सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों में स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत वेतन में आ रही भिन्नता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चूँकि नियम–310 की 03 सूचनाओं को नियम–58 में ग्राह्यता पर सुने जाने के बारे में मैं पहले से कह चुका हूँ। अतः नियम–58 की इन 08 सूचनाओं में से श्री हरिदास तथा श्री तिलक राज बेहड़ की सूचना को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार की गयी हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

इसको देख लेते हैं, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष–

श्री किशोर उपाध्याय जी की सूचना को भी मैं ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। पहली सूचना प्रदेश में पीने के पानी की समस्या से सम्बन्धित है।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में पानी की भारी समस्या पैदा हुई है, यह केवल एक विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न नहीं है बल्कि पूरे उत्तराखण्ड के विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है।

मान्यवर, जिस प्रकार से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पानी की बहुत किल्लत हो गयी है। बरसात न होने के कारण, स्रोतों के सूख जाने के कारण आज उत्तराखण्ड की जनता पानी के लिए त्राहिमाम–त्राहिमाम कर रही है। मान्यवर, मुझे चुनाव के समय में 14 विधान सभा क्षेत्रों के सुदूर गाँव–गाँव तक जाने का एक मौका मिला था और प्रत्येक गाँव में जब मैं पहुँचती थी तो गाँव की जनता हमारे सामने केवल एक ही फरियाद करती थी कि हमें पानी दे दो, पानी दे दो। हम पानी के बगैर प्यासे तड़प रहे हैं। मान्यवर, लोग प्यासे तड़प रहे हैं, उनके पशु प्यासे तड़प रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कितने परिवार ऐसे हैं जब गाँव में पानी नहीं था तो उन्होंने अपने पशुओं तक को बेच दिया है। आज गाँव में इतनी भयंकर स्थिति बन चुकी है। मान्यवर, पौड़ी जिले में ही, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद भी है, यहाँ कि यह स्थिति है कि पौड़ी शहर में 10–10 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। लोगों ने यहाँ तक भी शिकायत की है कि उनको अपना मुँह धोने और कुल्ला करने तक को पानी नहीं मिल रहा है। यह एक भयानक स्थिति बन चुकी है। इसका प्रमुख कारण मैं यह भी मानती हूँ कि इस सरकार को ढाई साल होने को है और इस सरकार ने जितने भी यहाँ की जो पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई थीं, इनमें से एक भी योजना में कार्य शुरू नहीं किया है।

मान्यवर, मेरी विधान सभा में ही एक चौबट्टाखाल की पम्पिंग पेयजल योजना है। जो लगभग 16 करोड़ की योजना थी, स्वैप लगने के कारण यह योजना अभी तक अधर में लटकी पड़ी है। इसके अलावा बरसुण्ड देवता पम्पिंग पेयजल योजना, देवकुण्डई तल्ली पेयजल योजना, बवासा–गुड़ियाना–सिन्दुडी पेयजल योजना, बडेरो ढैरूया पेयजल योजना, केदारगली पेयजल योजना, बड़ेथ पेयजल योजना, गुराड मल्ला के लिए नई पेयजल योजना, नानघाट पौड़ी पेयजल योजना, डाण्डा नागराज ग्राम समूह पंम्पिग पेयजल योजना, मुण्डनेश्वर ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना, जनपद टिहरी में घण्टाकरण ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना, जनपद अल्मोड़ा में दोडम ग्राम समूह तथा जनपद अल्मोड़ा में सरयू बेलम ग्राम समूह पम्पिंग योजना। मान्यवर, इन 16 योजनाओं में स्वीकृत होने के पश्चात् भी आज तक पैसा रिलीज नहीं किया गया है। जिसके कारण ये योजनाएं अभी तक बननी शुरू नहीं हुई हैं। अगर सरकार इन योजनाओं पर पैसा अवमुक्त कर देती है तो इन ढाई साल में ये योजनाएं पूर्ण हो जाती और जिसके कारण वहाँ के लोगों को, गाँववासियों को पानी की एक–एक बूंद के लिए तरसना नहीं पड़ता। आज सभी गाँव में एक बहुत ही गम्भीर स्थिति आ चुकी है। चाहे वह क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का हो, माननीय मंत्रियों का हो या माननीय विधायकगणों का विधान सभा क्षेत्र हो, हर जगह पानी की बहुत ही किल्लत है। आज समाचार पत्रों में टेलीविजन के माध्यम से हम देखते हैं कि जो देहरादून शहर जो कि प्रदेश की राजधानी है, हमें समाचार पत्रों के माध्यम से यही पढ़ने को मिलता है कि लोगों का प्रदर्शन पानी न आने के कारण हो रहा है। लोग सूखे मटके लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पेयजल अधिकारियों के यहाँ जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट बिन्दु है इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सदन की सारी कार्यवाही स्थगित करके इस पर चर्चा की जाय।

*श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, पेयजल की समस्या जैसा कि श्रीमती अमृता रावत जी ने इस ओर सदन का ध्यान इंगित किया है कि पेयजल एक बहुत ही बड़ी समस्या बनकर आ चुकी है, लेकिन इस सरकार को समस्या के निदान के लिए कुछ न कुछ कार्ययोजना अवश्य तलाशनी भी चाहिए, स्वीकृत भी करनी चाहिए। मान्यवर, उस कार्ययोजना के अन्तर्गत एक त्वरित निदान की बात होगी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना की बात होगी। मान्यवर, हमारे इस उत्तराखण्ड राज्य में अब तो शायद ग्रेविटी का पानी, जल स्रोतों के सूखने से या जल स्रोतों का परिवर्तन होने से कम हो गया है। सबसे बड़ी समस्या ग्रामीण पेयजल की है। अधिकांश योजनाएं ग्रेविटी से हैं। हम पुनर्गठन की बात करते हैं, स्वेप से कार्य योजना की बात करते हैं लेकिन कई स्थलों में यह देखा गया है कि जो मूल स्रोत था, वह स्रोत ही सूख गया है। अब योजना किस पर बनायी जाय।

मान्यवर, ऐसे ही सरकार के द्वारा माननीय विधायकों को अपने–अपने विधान सभा क्षेत्र में त्वरित राहत के लिए जो हैण्डपम्पों की व्यवस्था की गयी थी, आज उन हैण्डपम्पों की स्थिति कुछ जगह तो यह हो चुकी है कि वे अपना अण्डरग्राउण्ड लेबिल खो चुके हैं। कई जगहों पर हैण्डपम्प आज सूखे पड़े हैं। उनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा है। सरकार इन हैण्डपम्पों के बारे में भी दुबारा एक सर्वेक्षण कराए और जो हैण्डपम्प काम नहीं कर रहे हैं, उनको ठीक करवाए। मान्यवर, ट्यूबवेल से लेकर ऑटोमाईजेशन का तमाम तरह का एक खाका हमारे सामने आया है, लेकिन आज तक उस स्रोत को रिचार्ज करने के लिए न कोई कार्यवाही की गयी है और ना ही कोई कार्ययोजना बन रही है। मान्यवर, आप स्वयं जानते हैं कि पिछले कई महीनों से वर्षा न होने से हमारे जल स्रोतों के सूख जाने के कारण हमारे ट्यूबवेलों की जो क्षमता थी, जिस क्षमता के अनुरूप उन्होंने डिस्चार्ज करना था, वह क्षमता घटती चली जा रही है। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सरकार पेयजल के निदान के लिए तात्कालिक, त्वरित और दीर्घकालिक योजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान करें। मान्यवर, उत्तराखण्ड का पर्यटन धार्मिक पर्यटन पर आधारित है। यहाँ पर पर्यटकों के साथ ही श्रद्धालुओं की आवाजाही भी बहुत होती है। (व्यवधान) मान्यवर, पेयजल की व्यवस्था स्थानीय लोगों के साथ–साथ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए भी होना अत्यन्त आवश्यक है।

मान्यवर, मसूरी एक पर्यटक नगरी है, इस पर्यटक नगरी में पेयजल की कमी से सीधे–सीधे स्थानीय नागरिक और पर्यटक प्रभावित होते हैं। वहाँ पर कई पम्पिंग योजनाएं कार्यरत हैं लेकिन उनमें से अधिकांश की स्थिति रख–रखाव के अभाव में ठीक नहीं है। जैसे एक कोल्टी पम्पिंग योजना, जो कि पूर्व में चल रही है, लेकिन इसके लिए कुछ टैक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। 11 के0वी0 में इलेक्ट्रिक लाईन का कन्वर्जन होना है, इस योजना को चालू करने के लिए एक पम्प अतिरिक्त लगाना है और पम्प लगाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के साथ ही वहाँ पर जो पम्प अटेंडेंट होगा, उसके रहने की व्यवस्था होगी। जिन मशीनों की आवश्यकता होगी, उनको ले जाने के लिए आवागमन के साधन, सड़क होना जरूरी है इन सबके लिए एक योजना शासन में प्रेषित की गयी है। मैं समझता हूँ कि यदि एक योजना स्वीकृत हो जाती है, तो आने वाले वर्षों में उस क्षेत्र की जनता और पर्यटकों को पेयजल में राहत मिल सकेगी। मान्यवर, एक ऐसी ही योजना हाइड्रीफाल के नाम से थी, जिसे शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। उसे टोकन मनी भी दे दिया गया था, लेकिन आज तक वह योजना मूर्त रूप नहीं ले पाई है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके मार्फत यह निवेदन है कि मसूरी के लिए हाइड्रीफाल की पम्पिंग योजना, जो कि चार एम0एल0डी0 की है, जो मसूरी के स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को पेयजल मुहैया करायेगी, उसे तत्काल शुरू करवाया जाना चाहिये। आज अपने ही क्षेत्र से नहीं बल्कि हमारा आग्रह आपसे होगा कि सरकार प्रत्येक विधायक को 50.–50 हैण्ड पम्प दे और पुराने हैण्ड पम्पों के रख–रखाव के लिए भी व्यवस्था करे। एक विशेष योजना के तहत सरकार जो कार्य कर रही है, माननीय पेयजल मंत्री के मार्फत सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए जो 100 हैण्ड पम्पों की व्यवस्था की गई है, वह 100 हैण्ड पम्प कहाँ लग रहे हैं, इसकी सूचना........।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुनसोला जी, कृपया संक्षिप्त करें।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में वह हैण्ड पम्प कहाँ पर लग रहे हैं, इसकी जानकारी भी माननीय विधायकों को नहीं है। मान्यवर, कई क्षेत्र ऐसे हैं, जो सूखाग्रस्त हैं, लेकिन आंकड़ों के अभाव में वह सूखाग्रस्त क्षेत्र के रूप में चिन्हित नहीं हो पाये हैं। जब तक इस बात का सर्वे नहीं होगा, सही आंकड़े नहीं जायेंगे, वह 100 हैण्ड पम्प कौन–कौन से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में और कैसे–कैसे लग रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी सरकार दे दे।

मान्यवर, आने वाला समय और कठिन है। अगर प्रकृति के साथ हमने ऐसे ही छेड़छाड़ की तो निश्चित तौर पर बूंद–बूंद पानी के लिए हमें तरसना होगा। आज प्राकृतिक आपदायें हम देख रहे हैं, कई हजार हैक्टेयर जंगल वनाग्नि में स्वाहा हो गये हैं। यही वन हमारे पोषक हैं, यह हमें पतझड़ भी देते हैं और जीवन भी देते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि उन वनों का भी पुनर्रक्षण और संवर्द्धन किया जाय।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे पेयजल जैसे संवेदनशील विषय के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन की सूचना की ग्राह्यता पर अपनी बात रखने का सुअवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मान्यवर, उत्तराखण्ड पूरे एशिया का वाटर टावर कहा जाता है और आज इस वाटर टावर में पेयजल का जो गंभीर संकट पैदा हो गया है। आज नहीं, विगत कितने ही महीनों से पेयजल का संकट प्रदेश में पैदा हो रहा है और वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार कुर्सी की मारामारी में पिछले दो–ढाई साल में मशगूल रही है। पेयजल जैसी गम्भीर समस्या के निदान करने हेतु कोई संवेदनशीलता उसमें नहीं है। श्रीमन्, न केवल एक–आध गाँव में, बल्कि पूरे उत्तराखण्ड के अन्दर, चाहे पौड़ी का क्षेत्र हो, चाहे टिहरी का क्षेत्र हो, चाहे पिथौरागढ़ का क्षेत्र हो, हर जगह जनता पेयजल के सवाल को लेकर के आन्दोलित है और सड़कों पर आन्दोलन कर रही है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में जो योजनायें पहले स्वीकृत हुई थीं, छठियारा, चमियाला सिन्दुव पेयजल योजना, रानीगढ़–घनसाली पेयजल योजना, यह योजनायें दो–तीन साल पहले स्वीकृत हो चुकी थीं, इस सरकार के कार्यकाल में इन योजनाओं पर एक लाल पैसे का भी उपयोग नहीं हो पाया है और कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। मान्यवर, मैंने पहले कहा कि यह सरकार काम करने के लिए आगे नहीं है, यह केवल अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए मारा–मारी कर रही है।.

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेगी जी, कृपया संक्षिप्त करें।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, जो बुनियादी सवाल है, पेयजल का जो मसला है, मैं कहना चाहता हूँ मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक गाँव लोदस है। लोदस का पूरा का पूरा गाँव आज विस्थापित की स्थिति में आ गया है। ढाई, तीन, चार, पाँच, छः किलोमीटर तक चल करके वो पेयजल की समस्या के निदान के लिए बंठे ले करके मान्यवर, घड़े को ले करके, बर्तनों को ले करके पूरी लाईन लगी हुई है। केवल लोदस ही नहीं मान्यवर, सौंप के अन्दर भी और मान्यवर, पूरे थाती के अन्दर, लगभग हर न्याय पंचायत क्षेत्र के अन्दर, पूरा जो क्षेत्र है, 11 न्याय पंचायत क्षेत्रों में पेयजल का गम्भीर संकट पैदा हो गया है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मान्यवर, कि जो पेयजल की योजना स्वीकृत की गयी है मान्यवर, उन योजनाओं पर प्रभावी तरीके से (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है। (व्यवधान) मान्यवर, दो मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर लूँगा। मेरे क्षेत्र के प्रति बिल्कुल अन्याय किया जा रहा है। मान्यवर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्स में कुण्डी, कुण्डयाली, गेवली, पंचगाँव, सौंड, बुढवां, चौंड, पाटा,

तितुर्णा में पेयजल का गम्भीर संकट पैदा हो गया है। सरकार प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रही है। मान्यवर, यह कैसी विडम्बना है कि टिहरी बाँध के जलाशय के दूसरे राज्यों की पेयजल की व्यवस्था के लिए तो काम हो रहा है मान्यवर, लेकिन जिस क्षेत्र में जलाशय से दूसरे राज्यों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है मान्यवर, उस क्षेत्र के लोगों की पेयजल की व्यवस्था के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। मैं इस सरकार के प्रति कहना चाहता हूँ एक कवि के शब्दों में कि "दाता भाग्य विधाता से क्या कह पाते, बस एक घूँट आँसू के पीकर रह जाते हैं।" मान्यवर, आज इस सरकार की गैर संवेदनशीलता के कारण पूरे प्रदेश की जनता आँसू बहा रही है। मैं इस पर चर्चा की माँग करता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने पेयजल की समस्या, जो नियम–310 के तहत हमने सदन के सम्मुख रखा थी, आपने अपने विनिश्चय में नियम–58 में परिवर्तित करते हुए ग्राह्यता पर अपनी बात को रखने का अवसर मुझे दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य अमृता रावत, माननीय सदस्य जोत सिंह गुनसोला और माननीय बलवीर सिंह नेगी जी ने जो सदन के सम्मुख पूरे प्रदेश की जनता की पेयजल समस्या की बात रखी है, मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जब भी मैं उत्तराखण्ड के किसी दौरे में जाता हूँ तो अधिकांश दीवारों पर एक स्लोगन मुझे दिखाई देता है– "जल ही जीवन है" लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जुलाई का महीना चल रहा है, जून का और मई का महीना केवल इस प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए प्राकृतिक रूप से पेयजल के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उत्तर प्रदेश के समय से ही हमने ये देखा है, आपके सानिध्य में हमें उत्तर प्रदेश के सदन में मंत्री और विधायक के रूप में रहने का अवसर मिला, हमने हमेशा देखा है कि जब भी गर्मियों का सीजन आता था, तो उससे तीन माह पूर्व सरकार पेयजल संकट को चुनौती के रूप में लेती थी और उसके लिए वार लेविल पर, युद्ध स्तर पर योजना बनाती थी।

मान्यवर, जिला अधिकारियों की एक नीति निर्धारित की जाती थी, जो सड़क के नजदीक के गाँव हैं उनको टैंकरों के माध्यम से पानी दिया जाता था, जिन गाँवों के जल स्रोत सूख रहे हैं उनको तत्कालिक रूप से जोड़ना, एकल योजनाओं की मरम्मत करना, युद्धस्तर पर ऐसा अभियान किया जाता था जैसे कि बहुत बड़ा संकट देश और प्रदेश के सामने आने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, आप पिछले तीन माह का घटनाक्रम देखेंगे पूरे प्रदेश की जनता बूँद–बूँद के लिए तरस रही थी। जब लोगों के शरीर में पानी नहीं रहा तो लोगों के आँखों में आँसू भी सूख गये, लोगों की हिम्मत रोने की भी नहीं रही। लेकिन यह निर्दयी सरकार..........।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सीमित कर दीजिए।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आप इस विषय की गम्भीरता को समझते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप संरक्षक हैं, इस सदन के और पूरे प्रदेश की जनता के भी। यह निर्दयी सरकार प्रदेश की जनता के पीने की प्यास को बुझाने के बजाय दिल्ली के चक्कर लगा रही थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

भाषण देने के अन्य अवसर मिलेंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। अगर इस सरकार ने उत्तराखण्ड की जनता के पीने के पानी की समस्या को गम्भीरता से लिया होता तो आज यह भयंकर स्थिति न हुई होती। यह स्थिति इसलिए पैदा हो गई कि पिछले तीन माह से प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी, जनता के पीने के पानी की समस्या को ढूँढने के बजाय सरकार राजनीतिक उथल–पुथल में अपना समय व्यतीत कर रही थी। इस सरकार को जनता की चिन्ता नहीं थी, इस सरकार के मंत्रियों की लड़ाई कुर्सी की लड़ाई थी। माननीय अध्यक्ष जी, चाहे पम्पिंग योजनाओं के मरम्मत की योजना हो, अभी माननीय विधायकों ने हैण्डपम्पों का उल्लेख किया है, हैण्डपम्प सूख गये। माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं कहते हैं कि सदन चलना चाहिए, सदन में चर्चा होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ जो स्लोगन मैंने शुरू में कहा कि जल ही जीवन है। अगर जल नहीं होगा तो मानव जीवन समाप्त हो जायेगा। हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, मानव जीवन के महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

पेयजल का बजट आने वाला है, आप उसमें अपनी बात रख सकते हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, उसमें सीमित समय होता है। यह विषय ऐसा विषय है, बजट के समय भी हम अपनी बात को पूरी तरह नहीं रख सकते हैं। इस सरकार ने उत्तराखण्ड की जनता की पेयजल की समस्या को नजरअंदाज किया है। हम देहरादून को देखते हैं, श्रीनगर को देखते हैं, मैं अभी श्रीनगर गया था वहाँ पर हमारे पूरे पौधे सूख गये थे, मैंने माँ जी से कहा कि हमारे ये पौधे क्यों सूख गये तो माँ जी ने कहा कि पिछले दो माह से एक बूँद पानी नदी आया है। अलकनन्दा नदी से मेरी माँ पानी लेने जाती है। माननीय

अध्यक्ष जी, तो पौड़ी की क्या स्थिति होगी जब श्रीनगर में अलकनन्दा पड़ोस में होकर बहती है तो वहाँ की ऐसी स्थिति है। पौड़ी की क्या स्थिति होगी, पिथौरागढ़ की क्या स्थिति होगी, धारचूला की क्या स्थिति होगी। आज पूरे प्रदेश में पेयजल संकट पैदा हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहता हूँ कि आप सरकार को निर्देशित करें कि अभी भी लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। अगर सरकार अपनी-अपनी गुटबाजी को छोड़कर अपनी राजनीतिक उथल-पुथल पर ध्यान न देकर प्रदेश की जनता की सेवा में अपना समय लगायेगी तो अभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी अतिमहत्वपूर्ण विषय पर माननीय सदस्या श्रीमती अमृता रावत, माननीय सदस्य जोत सिंह गुनसोला जी और माननीय सदस्य बलवीर सिंह नेगी जी के द्वारा हस्ताक्षरित इस सूचना के माध्यम से ग्राह्यता के इस प्रश्न पर जिस पर, माननीय विद्वान कहता हूँ तो चिढ़ जाते हैं। (हँसी)

डा0 हरक सिंह रावत-

विद्वान एक ही है सदन में। एक म्यान में एक तलवार होती है। दो-दो मत रखें, वरना टकरा जायेंगी। (हँसी)

श्री प्रकाश पन्त-

माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा महत्वपूर्ण सुझावों से, अपने विचारों से माननीय सदन को अवगत कराया गया। यह सत्य है श्रीमन्, विगत कुछ वर्षों से उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत पेयजल की समस्या में बढ़ोत्तरी हुई है और यह भी सत्य है, श्रीमन्, इसको भी हम झुठला नहीं सकते हैं, मैंने आज वर्षा के आकड़े लिये थे, मेरी जानकारी में यह तथ्य आया कि 06 जनवरी, 2009 से लेकर 07 जुलाई, 2009 के मध्य जो एवरेज और नार्मल वर्षा होती है वह 244.2 मिलीमीटर होती है और इस वर्ष इस पीरियड पर 81.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका कितना बड़ा अन्तर निश्चित रूप से पड़ा होगा। इसके साथ-साथ श्रीमन्, जिस संकट से हम और आप दो-चार हो रहे हैं वह संकट भूगर्भीय जल के स्तर का घटना भी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में इस संकट से निपटने के आखिर क्या उपाय किये। मान्यवर, इस वर्ष कतिपय जलस्रोतों का स्राव कम हुआ है जिसके चलते हुए आज की तिथि में कुल नगरीय क्षेत्र में 64 ऐसे नगरीय क्षेत्र हैं, वार्ड, मोहल्ले हैं, जिनमें पेयजल संकट है और इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में 258 ऐसे वार्ड और मौहल्ले हैं ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर पेयजल संकट है और इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में 258 ऐसे वार्ड और मोहल्ले हैं ग्रामीण

क्षेत्र हैं जहाँ पर पेयजल संकट है। इसको मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में108 टैंकरों के माध्यम से वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्रक्रिया चल रही है।

इस वर्ष विशेष तौर पर जनवरी माह से ही ग्रीष्म ऋतु में पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु सतत् प्रयास सरकार के माध्यम से शुरू कर दिये गये थे और इसके लिए एक कार्ययोजना भी निर्धारित हुई कि किस तरह से हम वर्ष 2009 में पड़ने वाली इस ग्रीष्म ऋतु में आने वाले पेयजल के संकट से निपट पायेंगे और इसके अन्तर्गत अभी तक 16 नलकूप, 11 मिनी नलकूप, 438 हैण्डपम्प, 49 रिसावदार कुएँ टाइप हैण्डपम्प, 25 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम एवं 122 डिग्गियों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त 2482 हैण्डपम्पों की मरम्मत, पेयजल के 99 फिलिंग स्टेशनों की स्थापना तथा 298 पाइप वाटर सप्लाई स्कीम की मरम्मत की जा चुकी है। 250 पम्पिंग प्लांट्स की भी मरम्मत करके वैकल्पिक व्यवस्था की गई। लीकेज को भी प्राथमिकता के तौर पर लेते हुए 7173 लीकेज की मरम्मत कर पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप दिया गया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए लीकेज को ठीक करना भी अति आवश्यक है क्योंकि यह भी इस संकट का बहुत बड़ा कारण है। प्रत्येक जिले में 01 अप्रैल, 09 से हैल्प लाइन कन्ट्रोल रूम सेवा भी स्थापित की गई ताकि उस कन्ट्रोल रूम के माध्यम से तत्काल जहाँ भी कहीं पेयजल का संकट आये, उससे निपटने के लिए, उसमें तत्काल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले के अधिशासी अभियंता, जल संस्थान को नोडल ऑफिसर बनाया गया। ताकि समस्याओं का निदान त्वरित गति से किया जा सके। विभागाध्यक्ष स्तर पर लगभग प्रत्येक दिन जलापूर्ति की समीक्षा की जा रही है। सचिव एवं उच्च स्तरों पर भी निरंतर इसकी समीक्षा की जा रही है।

एक और संकट, जो लिफ्ट पेयजल योजनाएं हैं जिनमें विद्युत आपूर्ति बाधित होने की वजह से व्यवधान पैदा होता है। इसके लिए विद्युत विभाग के साथ भी समन्वय स्थापित कर लो–वोल्टेज/विद्युत कटौती को ठीक करने के लिए एक आवश्यक अभियान छेड़ा गया है। पेयजल विभाग द्वारा विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के निवारण हेतु तथा लम्बित कार्यों को पूर्ण करने तथा विभिन्न कार्यों को करने हेतु माह मार्च, 2009 में 20.9 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इसके अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार को भी 42.59 करोड़ का कंटीजेंट प्लान भेजा गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त आपदा राहत के अन्तर्गत पेयजल हेतु टैंकर एवं खच्चरों के लिए धनराशि जिलाधिकारियों को निर्गत की गयी है, जो मांग के अनुसार प्रतिपूर्ति की जा रही है। समस्त जिलाधिकारियों एवं पेयजल विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश भी दिये गये हैं कि अभावग्रस्त, संकटग्रस्त क्षेत्रों में जलापूर्ति की जा सके। इस समस्या के समाधान के लिए यह व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। श्रीमन्, माननीय सदस्यगणों ने अपने इस ग्राह्यता के प्रश्न पर बोलते हुए विषय रखा। अपनी जिन–जिन योजनाओं के बारे में जानकारी दी है, हम परीक्षण करा रहे हैं।

माननीय विधायक श्रीमती अमृता रावत जी द्वारा जो योजनाएं यहाँ पर चिन्हित की गयी हैं वे सभी योजनाएं अभी स्वेप के माध्यम से हैं। स्वेप की जहाँ तक जानकारी देना चाहूँ श्रीमन्, ये एक दीर्घ कालिक योजनाएं हैं, इन दीर्घकालिक योजनाओं को किस तरह से हम निजात दिला सकें और इस बात को मानना पड़ेगा कि वर्षा के कम होने के वजह से भूगर्भीय जल स्रोत कम होता है। इसे सब स्वीकार करते हैं। इस तरह की समस्या को कैसे हल किया जाय। इसके लिए हमने दो तरह की योजना बनायी है एक तरह की योजना जो तत्कालिक योजना, जो तत्काल किस तरह से राहत दे सकें और जन सुविधा तक कैसे पहुँचाएं, यह व्यवस्था इस तत्कालिक के तहत की गयी है। दूसरी योजना दीर्घकालिक येाजना, इस योजना के तहत 30 नवम्बर, 2008 को स्वेप योजना के अन्तर्गत यहाँ निर्माण की योजना प्रारम्भ हुई है। इसमें वर्तमान में 102 की डी0पी0आर0 बना ली गई है और 278 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं, 484 योजनाएं स्वैप में गतिमान हैं जो शीघ्र ही पूर्ण होने वाली हैं। इन योजनाओं में यह आवश्यक है कि इन योजनाओं में एक ग्राम समिति का गठन हो। इसके लिए हमारे माननीय विधायकगणों से भी हमारे पूर्व पेयजल मंत्री जी ने भी समय–समय पर आग्रह किया था कि आपके माध्यम से हमें सहयोग की आवश्यकता है। अगर ग्राम समितियां नहीं बनेंगी तो हम स्वैप की योजनाओं के कार्यों को संचालित नहीं कर पायेंगे। अभी तक 2129 ग्राम समितियों का गठन हो चुका है। जिसके माध्यम से वह प्रक्रिया गतिमान है और इन सभी गाँव में प्रयास करेंगे कि शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। अभी तक लगभग 58 करोड़ का व्यय स्वैप के माध्यम से खर्च किया जा चुका है। जो नगरीय क्षेत्र है और जो इसी से जुड़ा हुआ, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उनको भी किस तरह से शीघ्र से शीघ्र पूरा कर सकें, सरकार इस विषय पर अति गम्भीर है और प्रयास कर रहे हैं शीघ्र ही इस कार्य को पूर्ण कर पायें।

माननीय श्रीमती अमृता रावत जी ने एक और योजना की ओर ध्यान आकर्षित किया है। वह पौड़ी नानघाट योजना, इस पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2006–07 तक पौड़ी नानघाट योजना में मात्र 11 करोड़ रुपया अवमुक्त हुआ था और वर्तमान में सरकार द्वारा विगत 2 वर्षों में 21 करोड़ और अवमुक्त कर अब तक 40 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है, जो मेरी जानकारी में आया है। आप भी परीक्षण करा लें, जो भी स्थिति होगी। श्रीमन्, कोल्टी, मसूरी पेयजल योजना के लिए भारत सरकार को 12 करोड़ का प्रस्ताव अप्रैल में प्रेषित कर दिया गया था, जिसकी स्वीकृति के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इसी तरह से जो योजनाओं के बारे में मुझे अवगत कराया है, वे सभी योजनाएं मैंने नोट कर ली हैं और आपको पृथक से अवगत करा दूँगा। हमारी दृढ़ इच्छा है कि किस तरह से पेयजल की समस्या का समाधान करें। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। आप भी हमारे साथ सहयोग करें। हम कहीं से कहीं तक पीछे नहीं रहेंगे यह मैं आपको वायदा करता हूँ और जहाँ तक भी जिस भी स्तर पर जा करके

हमको पेयजल योजनाओं को ठीक करना पड़ेगा, जैसे भी हो हमको व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी उस प्रक्रिया में हम लग गये हैं। उसके लिए विधान सभा सत्र के तत्काल बाद हम आपसे सहयोग की अपील करेंगे ताकि आप मुझे सहयोग करें और इस विषय को श्रीमन्, चूँकि सरकार इस विषय पर पूरी तरह से गम्भीर है इसलिए इस विषय को नियम–58 के ग्राह्यता के तहत आपने सुना श्रीमन्, लेकिन यह अग्राह्य करने योग्य है क्योंकि सरकार इस विषय पर पूरी तरह से गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। माननीय पेयजल मंत्री जी, कृपया हैण्डपम्प के बारे में दिखवा लीजिए (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जिन गाँवों में अभी तक सड़कें नहीं पहुँची हैं उनमें पानी कैसे पहुँचाया जायेगा ? वहाँ तो टैंकर नहीं जा सकता।

श्री प्रकाश पन्त–

जिन गाँव में अभी सड़कें नहीं है जहाँ पानी नहीं जा सकता है उसके लिए जिलाधिकारी के निवर्तन में धनराशि रखी गयी है और ऐसे बिल्कुल दुर्गम क्षेत्र जहाँ पानी बिल्कुल नहीं है वहाँ खच्चरों से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

*श्री राजेश जुवांठा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में पिछले कई माह से वर्षा न होने के कारण सम्पूर्ण प्रदेश सूखे की चपेट में है। प्रदेश सरकार द्वारा सूखे से निपटने की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गयी। सम्पूर्ण प्रदेश में पानी की भारी कमी का सामना जनता को करना पड़ रहा है। किसानों की फसल सूखे से नष्ट हो गयी है। जिसके कारण प्रदेश के समस्त किसानों के समक्ष रोजी–रोटी का संकट पैदा हो गया है। सरकार द्वारा सूखे से निपटने हेतु कोई भी कारगर उपाय नहीं किये गये। जिससे प्रदेश के किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। माननीय अध्यक्ष जी, आज स्थिति यह है कि अगर कहीं भी क्षेत्र में भ्रमण पर जाएं तो लोग खाद्यान्न की मांग कर रहे हैं और पशुओं के लिए भूसे तक की, घास की मांग कर रहे हैं। यह बहुत ही दुःख का विषय है कि सरकार द्वारा कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की गयी है। इसलिए मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की सारी कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के तहत बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जैसाकि हम सब लोगों को विदित है कि मौसम परिवर्तन के कारण पूरे प्रदेश में पिछले छः माह से सूखा पड़ा हुआ है। जिससे सारा किसान सारी जनता त्रस्त है। लेकिन दुःख इस बात पर होता है कि सरकार का ध्यान इस सूखे की तरफ नहीं है और कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो राहत देने के लिए हो सकती है उस पर सरकार कोई नीति या कोई कार्यक्रम नहीं बना रही है। इससे पिछले साल भी सूखा पड़ा था। यह ताज्जुब की बात है कि पिछले साल सूखे की राहत की जो धनराशि थी वह आज तक कहीं पर वितरित नहीं की गयी है। वर्तमान समय में किसान और जनता रोजी–रोटी के लिए त्रस्त है और उसके लिए कोई रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा है और यहाँ तक कि जो भारत सरकार की ग्रामीण रोजगार योजना है उसको भी प्रदेश में सही ढंग से संचालित नहीं किया जा रहा है जिससे निश्चित रूप से रोजगार मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है और उस स्थिति से निपटने में वर्तमान में सरकार पूर्ण रूप से असफल है आज किसान बहुत परेशान है और दुःखी है। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस ग्राह्यता के प्रश्न पर सदन की सारी कार्यवाही को रोककर चर्चा करायी जाए।

श्री केदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने ग्राह्यता के प्रश्न पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सूखे के इस गम्भीर प्रश्न पर मैं अपने आप को माननीय श्री राजेश जुवांठा और श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल जी की बातों से सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष भी पूरे प्रदेश में सर्दी के मौसम में बरसात नहीं हुई जिससे रबी की फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सूखे की वजह से पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र में बर्फ नहीं गिरी जिससे जल स्रोत सूखे की कगार पर हैं और इस समय खरीफ की फसल में जैसे कि माननीय मंत्री जी ने अभी पेयजल पर चर्चा करते हुए कहा कि 244 के स्थान पर मात्र 81 मिली मीटर बरसात रिकार्ड की गई, जनवरी से लेकर 7 जुलाई तक, जो मैं समझता हूँ कि औसत बरसात का 1/4 है, तो पूरे प्रदेश के अन्दर बरसात न होने की वजह से, जल स्रोत सूखने की वजह से रबी की फसल चौपट हुई वहीं खरीफ की फसल भी बुरी तरह से सूख गयी और इस सूखे की वजह से पूरे प्रदेश का किसान त्रस्त है, रोजी–रोटी का संकट सामने आ गया है और न सिर्फ किसान ही और आम आदमी बल्कि प्रदेश के जो पशुधन है, जो जानवर हैं वे भी चारे की कमी की वजह से परेशान हैं। कहीं भी चारा नहीं उग रहा है, घास नहीं उग रही है तो पशुओं के चारे का भी संकट है और इस गम्भीर प्रश्न पर अभी तक सरकार ने कोई नीति निर्धारित नहीं की है, राहत पहुँचाने का कोई विशेष पैकेज का निर्धारण नहीं

किया है और यहाँ तक जो फसली वर्ष जून से जुलाई तक चलता है और जून में जो राजस्व वसूली पूरे प्रदेश में चल रही है उस राजस्व वसूली को तत्काल प्रभाव से रोकने का कोई निर्देश सरकार की ओर से जारी नहीं किये गये हैं।

मान्यवर, किसानों के ऊपर, आम जन के ऊपर सूखे की मार से रोजी–रोटी का संकट और पशुओं के लिए चारे का संकट, जहाँ संकट बन रहा है, सरकार की ओर से कोई प्रभावी कार्यवाही न किया जाना, सरकार की असंवेदनशीलता का परिचायक है और इस गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात कहें।

*श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप अपनी बात कहें।

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सूखे के विषय पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, निश्चित रूप से आज पूरा प्रदेश और खासतौर से पर्वतीय क्षेत्र सूखे की चपेट में है और पूरा प्रदेश सूखे और भुखमरी के कगार पर खड़ा है। मान्यवर, जब मैं प्रदेश के लोक सभा चुनाव में दौरा कर रहा था तो जमीन में धूल उड़ रही थी और आसमान में धुँआ उड़ रहा था। पूरे पहाड़ के जंगल धू–धू करके जल रहे थे और आज स्थिति यह है कि पहाड़ का आम जनमानस भुखमरी के कगार पर खड़ा है, लेकिन इस प्रदेश सरकार के पास कोई ठोस कार्य योजना नहीं है और न ही इस प्रदेश सरकार ने अपनी कोई ठोस नीति बनायी है, जिससे कि पहाड़ की जनता के हितों की हम रक्षा कर सकें। मान्यवर, सस्ते गल्ले की दुकानों में राशन नहीं है और खुले आम कालाबाजारी को इस सरकार ने बढ़ावा दिया है और प्रदेश में कहीं पर सस्ते गल्ले की दुकानों पर राशन उपलब्ध भी है तो वह बहुत ही घटिया किस्म का राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। यह सरकार इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि वसूली में तेजी हो रही है। काश्तकारों के हाथों में हथकड़ी लगायी जा रही है। मान्यवर, आखिर यह सरकार चाहती क्या है ? इस सरकार ने न कोई कार्ययोजना बनायी है न कोई ठोस नीति बनायी है, न वसूली स्थगित की है। मान्यवर, हाँ, इनके एक सवाल के जवाब में सरकार का उत्तर आया है कि हमने 50 प्रतिशत स्थानों पर वसूली स्थगित कर दी है। मान्यवर, ये स्थान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कौन से हैं ? पूरे प्रदेश में आज सूखा पड़ा हुआ है और हा–हा कार मचा हुआ है तो यह वसूली कहाँ पर हो रही है ? मैं चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में वसूली स्थगित कर दी जाय।

मान्यवर, जो हमारी सिंचाई स्कीम है, जो हमारी सिंचाई गूल है, आज इसमें पैसा नहीं है। जबकि तत्कालीन सरकार ने लगातार इसमें पैसा दिया है। मान्यवर, आज जहाँ प्रदेश इस समय पेयजल की समस्या से जूझ रहा है, वहीं यह सरकार इसमें पैसे की कटौती कर रही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2006 के अक्टूबर माह से लघु सिंचाई विभाग की डी0आर0पी0 भारत सरकार को भेजी गयी थी। मान्यवर, 2006 में राज्य सरकार ने भारत सरकार को वर्ष 2007–08 की लघु सिंचाई योजनाओं के लिए जो डी0आर0पी0 उस समय भेजी थी, उस समय उसमें 330 करोड़ रु0 स्वीकृत हुए थे। आज प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर जो विचार व्यक्त किये, उसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जो बखान किया, इस पर मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 2007–2008 में 330 करोड़ रुपया भारत सरकार द्वारा दिया गया, लेकिन खर्च कितना हुआ ? मान्यवर, मात्र 243 करोड़ रु0 और 87 करोड़ रु0 लैप्स हुआ 2007–2008 में और वर्ष 2008–2009 में 510 करोड़ रु0 स्वीकृत हुआ और खर्च कितना हुआ 354 करोड़ रु0 और 156 करोड़ रु0 लैप्स हुआ।

मान्यवर, आज हम पर और केन्द्र सरकार पर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार आरोप लगाती है कि केन्द्र सरकार हमें सहयोग नहीं कर रही है। मान्यवर, त्वरित लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत जो भारत सरकार द्वारा बजट की व्यवस्था की गयी थी, उसका भी लक्ष्य, मान्यवर, पिछले वर्ष 2008–2009 में योजना का आकार था 510 करोड़ रु0 और यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है इस वर्ष 2009–2010 में यह हो गया है 362 करोड़ रु0। मान्यवर, इसमें इतनी ज्यादा कटौती हो गयी है, यह प्रदेश का दुर्भाग्य ही है। मान्यवर, आखिर इसकी वजह क्या है, इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लिफ्ट स्कीम कौन बनायेगा, भारत नर्माण के तहत हमने (केन्द्र सरकार) पैसा दिया। मान्यवर, 2009–2010 के लिए मात्र 362 करोड़ रु0 हमें मिला है, उन्होंने डी0पी0आर0 नहीं भेजी। मान्यवर, जो पैसा लैप्स हुआ उसकी वजह से 2009–10 में भारत सरकार ने योजना के आकार में कटौती कर दी है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे कैसे प्रदेश चलेगा।

*श्री शहजाद–

मान्यवर, इनका कहना है, ऊपर से योजना नहीं आ रही है।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, योजना कहाँ से नहीं आ रही है ? कृपया इसको हल्के में न लीजिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, कृपया शान्त रहें।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मेरा कहना है कि इसमें प्रदेश सरकार को संवेदनशील होना चाहिए न कि संवेदनहीन। इसको हँसी मजाक में नहीं लेना चाहिए। आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और लोग भुखमरी की कगार पर हैं। जिस तरह से हमारे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने जहर खा कर जान देने की कोशिश की, उसको भी कल हल्के ढंग से लिया गया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और प्रदेश सरकार को इस पर तत्काल कदम उठाना चाहिए, जिससे कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हम आगे बढ़ सकें। मेरा कहना यह है कि निश्चित रूप से पहाड़ में जिस तरह से हालात बन रहे हैं, उससे इस प्रदेश में कभी भी अराजकता का माहौल बन सकता है और कानून व्यवस्था चरमरा सकती है। जिस तरह से लोग भुखमरी की कगार पर पहुँच गये हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और अनुरोध करता हूँ कि सारे कार्यों को रोक कर इस अविलम्बनीय विषय पर चर्चा करायी जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री राजेश जुवांठा जी, माननीय श्री यशपाल आर्य जी, माननीय श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल जी और माननीय श्री केदार सिंह रावत जी द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर अपने विचार रखे गये। श्रीमन्, माननीय सदस्यगणों द्वारा इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण सुझाव और विचार रखे गये हैं। हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखण्ड राज्य एक विषम भौगोलिक परिस्थिति का राज्य है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्र भी है, यहाँ भाबर का क्षेत्र भी है और तराई का क्षेत्र भी है और राज्य का अधिकांश भाग वर्षा पर पूर्ण रूप से निर्भर है। शीतकाल के दौरान कतिपय जनपदों और कतिपय क्षेत्रों में औसत से कम वर्षा हुई और औसत से कम वर्षा होने के कारण राज्य के अन्दर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। श्रीमन्, इस सूखे की उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए राज्य की सरकार ने प्रारम्भ से ही प्रयास प्रारम्भ कर दिये थे। जिसके तहत राज्य के 11 जनपदों की 66 तहसीलों और उपतहसीलों में, जहाँ औसत से कम वर्षा हुई थी औउ उसमें 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान आंकलित किया गया, इस 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया और इनको सूखाग्रस्त घोषित किया गया और तत्काल राहत के लिए सूखा राहत के तहत बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदा मैनुअल, उत्तर प्रदेश के पैरा–29 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार आगामी खरीफ फसल अर्थात् 30–09–2009 तक कृषकों के मुख्य देयकों, भू–राजस्व और सिंचाई देयकों की वसूली को स्थगित कर दिया गया है।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, वसूली बन्द नहीं हुई है। वर्तमान समय में भी वसूली की जा रही है। (व्यवधान)

श्री केदार सिंह–

मान्यवर, ये क्षेत्र चिन्हित कब किये गये थे ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह समय–समय पर चिन्हित किये गये हैं, मैं इसका उल्लेख आगे करूँगा।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इसमें हरिद्वार को चिन्हित नहीं किया गया।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जैसा कि माननीय सदस्य ने अवगत कराया कि राजस्व की वसूली, विशेष तौर पर भू–राजस्व और सिंचाई देयकों की वसूली है, वह स्थगित नहीं हुई। उसका मैं परीक्षण करवा लूँगा और उसका संज्ञान ले लेंगे। उक्त अवधि में विविध देयकों की वसूली में कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न हो, इसके लिए दिशा–निर्देश जारी हुये हैं और समस्त जिलाधिकारियों को इस सूखे की विस्तृत समीक्षा और राहत कार्य युद्ध स्तर पर प्रारम्भ किये जाने हेतु 17 फरवरी को ही निर्देश जारी कर दिये गये थे। श्रीमन्, कृषि इन्पुट सब्सिडी के अन्तर्गत 25 लाख रुपया प्रत्येक जनपद को, कुल 3 करोड़, 25 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। श्रीमन्, अहेतुक राशि, ग्रह अनुदान और अनुग्रह अनुदान के अन्तर्गत 25 लाख रुपया प्रत्येक जनपद को, कुल 3 करोड़, 25 लाख रुपया जिलाधिकारियों के निवर्तन में स्वीकृत किया जा चुका है। सूखे की स्थिति में आये पेयजल आपूर्ति के संकट से निपटने के लिए जनपदों की मांग के अनुसार गढ़वाल मण्डल के टिहरी जनपद को 50 लाख तथा अन्य जनपदों को 20–20 लाख रुपया प्रति जनपद और कुमाऊँ मण्डल में जनपद अल्मोड़ा को 25 लाख और शेष जनपद को 10–10 लाख रुपया की दर से 2 करोड़ 45 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, क्या यह धनराशि पर्याप्त होगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह तात्कालिक व्यवस्था है कि घोड़ों, टैंकरों के माध्यम से तत्काल पानी उपलब्ध कराया जाय। इसकी व्यवस्था के लिए प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन में धनराशि रख दी गई है। वहाँ पर एक ऐसा सैल खोला दिया गया कि जैसे

ही वहाँ पर ऐसी कोई सूचना आये कि वहाँ पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है या बाधित हो गई है, तो तत्काल उसकी व्यवस्था करने के लिए जिलाधिकारी के निवर्तन में धनराशि रख दी गई है।

श्रीमन्, इसके साथ–साथ जो क्षतिग्रस्त पेयजल योजनायें हैं, उनके लिए 10 लाख रुपये प्रति जनपद के हिसाब से 1 करोड़, तीस लाख रुपये की धनराशि प्राविधानित की गई है। केन्द्रित सहायता के लिए भी हमने राज्य सरकार के माध्यम से प्रयास किये, जिसके अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के लिए 32 करोड़ 59 लाख रुपया, उद्यान क्षेत्र के लिए 24 करोड़ 63 लाख रुपया और पशुपालन क्षेत्र के लिए 16 करोड़ 34 लाख रुपया, कमजोर, परित्यक्त, वृद्ध बौर बच्चों की सहायता के लिए 23 करोड़, 54 लाख रुपया, अहेतुक सहायता के लिए 57 करोड 95 लाख रुपया, पेयजल के लिए 42 करोड़, 59 लाख रुपया, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए 2 करोड़, 50 लाख रुपया, कुल 200 करोड़ 14 लाख की धनराशि विभिन्न मदों में इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए मिले, इसका अनुरोध समय–समय पर हमने केन्द्र सरकार से किया है। श्रीमन्, इस विषय पर मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार के माध्यम से जो टीम यहाँ पर आई थी, उसका काफी सकारात्मक रूख रहा है। उन्होंने इस क्षेत्र का गहन अध्ययन किया और हमें उम्मीद है कि जो माननीय सदस्यगण केन्द्र में सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, इस कठिन परिस्थिति से उबरने के लिए हमें सहयोग प्रदान करेंगे।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह ठीक है कि आपने केन्द्र सरकार से सहायता की मांग की है। लेकिन प्रदेश सरकार ने क्या व्यवस्थायें की हैं, क्या कार्ययोजना बनाई है और क्या कदम उठाये हैं, यह मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैंने दो पक्षों में अपनी बात रखी है, पहला पक्ष राज्य सरकार ने क्या व्यवस्थायें की हैं और दूसरा पक्ष इस समस्या से निपटने के लिए हमें किस तरह की कार्ययोजना बनानी है, वह कार्ययोजना भी मैंने आपके समक्ष रखी। जिसके तहत हमने विभिन्न योजनाओं के लिए जैसे, कृषि में हमें क्या व्यवस्था ठीक करनी होगी, उसके लिये तथा पेयजल, चारा आदि की व्यवस्थाओं को हम कैसे सुव्यवस्थित करेंगे, उसके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के माध्यम से जो टीम आई थी, उसके समक्ष अपनी बात को रखा है। उस टीम का हमारे प्रति सकारात्मक रूख रहा है और उनकी तरफ से सकारात्मक राहत उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन भी हमें दिया गया है। हमें उम्मीद है कि सूखे की इस कठिन परिस्थिति में भी राज्य को व्यवस्थित करके, इस राज्य की जनता को सुख–सुविधा उपलब्ध करा पायेंगे। इस दृष्टिकोण से जो व्यवस्थायें, जो कार्य अभी तक राज्य सरकार

ने किये हैं, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि राज्य सरकार इस विषय पर पूर्ण रूप से गम्भीर है और इस संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से अपनी योजनाओं के माध्यम से तत्पर है, इसलिए इस सूचना को मैं अग्राह्य करने का निवेदन करता हूँ।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, हम माननीय मंत्री जी के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री राजेश जुवांठा, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री केदार सिंह रावत, श्री यशपाल आर्य एवं संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अब हम उठते हैं, अपराह्न 03:00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान गृहण करें।

*श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, पंतनगर विश्वविद्यालय में 2 जुलाई, 2009 से कार्य का बहिष्कार चल रहा है और छठा वेतनमान की जो उसकी विसंगतियां हैं, वहाँ के कर्मचारियों के संज्ञान में लाये गये एक शासनादेश के माध्यम से कि उनको अप्रैल, 2009 से छठा वेतनमान लागू किया जायेगा, लेकिन पंतनगर कैम्पस में कुछ कर्मचारियों, अधिकारियों को 1 जनवरी, 2000 से दिया जा रहा है। इसकी वजह से 2 जुलाई से पूरे पंतनगर विश्वविधालय में जो कार्य है, उसका बहिष्कार चल रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। पूरे विश्व में इस विश्वविद्यालय को जाना जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा व्यवधान पैदा हो गया है। करीब 5–6 हजार कर्मचारी, अधिकारी हैं, वो आंदोलरत हैं और सरकार के सम्पर्क में है और जो उसके साथ ये विसंगतियां हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि उनकी जो परेशानी है, दिक्कते हैं उसको सरकार गम्भीरता से नहीं ले रही है और जब कर्मचारियों का कोई शिष्ट मण्डल वाईस चांसलर, पंत नगर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से मिलता है या शासन में जब अधिकारियों से उनकी बात होती है तो अधिकारी भी उन्हें ये बताते हैं कि कहीं न कहीं त्रुटि है, ये शासनादेश त्रुटिपूर्ण है, लेकिन उचित संवाद नहीं होने के कारण लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि जो वेतनमान की विसंगतियां हैं, उन्हें शीघ्र ही शीघ्र दूर किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री हरिदास–

मान्यवर, मैं अपनी नियम–58 की सूचना पर बोलूँगा।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–310 की सूचना नियम–58 में स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है। आज से 15–20 दिन पहले से छठे वेतनमान को लागू करने के सम्बन्ध में वहाँ के कर्मचारियों द्वारा, अध्यापकों द्वारा हड़ताल की जा रही है और 2 जुलाई से सम्पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार कर चुके हैं और हड़ताल पर हैं। उनको जो मांग है, वो नाजायज नहीं हैं। मान्यवर, छठे वेतन का लाभ जनवरी, 2006 से देने की माँग वे कर रहे हैं, जबकि शासन के द्वारा अवगत कराया गया है कि अप्रैल, 2009 से उनको दिया जायेगा, इस वजह से आज वह आन्दोलरत् हैं। पिछले पाँचवे वेतनमान की जो संस्तुति है वह उनको राज्य कर्मचारी मानकर ही दिया गया, पता नहीं इस बार शासन द्वारा ऐसा क्यों किया गया, जबकि पूर्व में भी सारी सुविधायें राज्य कर्मचारियों के समान ही मिलती रही हैं। आज हड़ताल से विश्वविद्यालय का पूरा कामकाज ठप है। शायद 21–22 तारीख से काउन्सिलिंग भी होने वाली है। ऐसी परिस्थिति में यदि सरकार वार्ता करके उनकी समस्याओं का निदान नहीं करती है तो हड़ताल लम्बी चलने की सम्भावना है। मान्यवर, कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थिति है उसको सब लोग जानते है, ऐसी परिस्थितियों में यदि आन्दोलन खत्म नहीं किया जाता है तो जो आने वाले सत्र की काउन्सिलिंग होने वाली है उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा। इससे पूरे देश में उत्तराखण्ड की बदनामी होगी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनकी जायज माँगों को पूरा करने की कृपा करें। धन्यवाद।

*हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, हमारी एक ही सूचना है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नारायण पाल जी, प्रेमानन्द महाजन जी, तस्लीम अहमद जी, शहजाद जी और हरिदास जी द्वारा हस्ताक्षरित इस कार्यस्थगन की सूचना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की ग्राह्यता पर बोलते हुए माननीय सदस्यों ने पंतनगर विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की छठे वेतन की संस्तुतियों के सम्बन्ध में यहाँ पर विचार रखे। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि 1–1–2006 से छठे वेतन आयोग की संस्तुतियाँ लागू होने की माँग को लेकर, जैसा कि माननीय सदस्यगणों ने अवगत कराया, की शिक्षणेत्तर कर्मचारी पंतनगर विद्यालय के आन्दोलनरत हैं। श्रीमन्, 1–1–2006 से पंतनगर विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित किये जाने के फलस्वरूप एरियर के रूप में लगभग 25 करोड़ रुपये का व्ययभार आयेगा और विश्वविद्यालय स्वयं में इस व्ययभार को उठा पाने की स्थिति में नहीं है। अन्ततोगत्वा इसका समस्त व्ययभार राज्य सरकार पर ही जायेगा। वर्तमान में समय में राज्य सरकार की अर्थोपाय को दृष्टिगत रखें तो उक्त एरियर के व्ययभार की किस प्रकार से व्यवस्था हो, यह कठिन कार्य है। यही स्थिति कमोवेश अन्य विश्वविद्यालय की भी है। अतः उक्त कारणों से अन्य विश्वविद्यालयों के साथ ही पंतनगर विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतनमान दिनांक 19 जून, 2009 के द्वारा दिनांक 1–4–2009 से पुनरीक्षण कर दिया गया है। दिनांक 5 जुलाई, 2009 को विश्वविद्यालय और संघ प्रतिनिधियों के साथ प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विश्वविद्यालय और संघ के प्रतिनिधियों के माध्यम से कतिपय अन्य विषय भी उठाये गये। मान्यवर, वर्तमान में इन सारे विषयों का पुनरीक्षण किया जा रहा है और इन समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। सरकार इसके लिए बहुत गम्भीर है। सरकार प्रयास कर रही है कि जो समस्यायें हैं, उन समस्याओं का, जिन समस्याओं के बारे में ध्यान इन संगठनों के माध्यम से आकर्षित किया गया है उस पर तत्काल निर्णय लिया जा सके और सरकार इसके विषय पर गम्भीर है। श्रीमन्, मैं अनुरोध करता हूँ कि इस सूचना को अग्राह्य करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री नारायण पाल जी, माननीय श्री प्रेमानन्द महाजन, माननीय श्री तस्लीम अहमद एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सरकार इस विषय पर पूरी तरह से गम्भीर है और मान्यवर, केवल पंतनगर विश्वविद्यालय का विषय नहीं है और भी विश्वविद्यालयों का विषय है।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार भी मेरे

इस सवाल पर गम्भीरता से विचार करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में एक रहमतपुर गाँव है और उसके किनारे पर एक अरूण देव बिल्डर्स है, जो भूमाफिया है। वह कालोनी काट रहा है। इस कालोनी के काटते ही कुछ दलित लोगों को और कुछ मुस्लिम लोगों को जो काफी गरीब हैं और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनके पट्टे थे और उन पट्टों को लेकर चकबन्दी अधिकारियों से साँठ–गाँठ करके गरीब किसानों की जमीन नदी के बीच स्थानान्तरित की जा रही है ताकि इन पट्टों को नदी में काट दिया जाए। जो अरूण देव बिल्डर है उसने उनके खेतों पर लाठीधारी और बन्दूकधारी बैठा रखे हैं। वह चाहता है कि यहाँ पर किसान न आये और गरीब किसान डर के मारे वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। उन लोगों को अरूण देव बिल्डर से निजात देने के लिए सरकार को गम्भीर होना पड़ेगा। यह वह बिल्डर है जो धारा–5ग का तथ्य छिपाकर स्टाम्प कम लगाकर सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान कर रहा है। यदि सरकार गम्भीरता से इसकी भी जाँच कराये तो सरकार को निश्चित रूप से लाभ होगा। मेरी माँग है कि सरकार से उन पट्टा धारकों को संरक्षण दिया जाये और उबड़–खाबड़ जमीन को जिन्होंने समतल करके खेती योग्य बनाया है और उसके माध्यम से अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं उनको संरक्षण दें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सवाल पर सारी कार्यवाही को रोककर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ। बहुत–बहुत धन्यवाद।

भू–राजस्व मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

मान्यवर, दिनांक 14–07–09 को माननीय सदस्य विधान सभा श्री हरिदास द्वारा ग्राम रहमतपुर परगना व तहसील रुड़की में असामी पट्टेदारों की भूमि पर कथित भू–माफिया द्वारा कब्जा किये जाने व फसल नष्ट किये जाने तथा चकबन्दी अधिकारियों की साँठ–गाँठ से अविधिक चकों के सम्बन्ध में सूचना दी गई है। महोदय, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी हरिद्वार से रिपोर्ट मँगा ली गई है और जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार ऐसी कोई कार्यवाही वहाँ पर नहीं हुई है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, चार पट्टों की बात नहीं है। सौ से अधिक पट्टों पर कब्जा हो चुका है। पूरा राजस्व विभाग अरूण देव बिल्डर्स के अधीन कार्य कर रहा है। जो भी बात माननीय मंत्री द्वारा कही जा रही है वह सत्य से परे है।

श्री दिवाकर भट्ट–

इस विषय पर जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा जो सूचना मिली है। ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो इस विषय पर जाँच करायी जायेगी।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरिदास जी और माननीय राजस्व मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार गम्भीर नहीं है और हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया गया है। हमारी बात सुन ली जाय। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आपकी बातों का संज्ञान लिया गया है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, स्टाम्प की चोरी की गयी है। क्या सरकार इनको संरक्षण देगी ? (व्यवधान के मध्य)

श्री दिवाकर भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूरी जानकारी दे दी है। अगर इसमें फिर भी कोई जाँच की आवश्यकता होगी, उसमें हर तरह से जाँच करायी जायेगी। (व्यवधान के मध्य)

श्री हरिदास–

मान्यवर, आवश्यकता का क्या मतलब, आवश्यकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह माँग करूँगा कि इसमें एक माननीय विधायकों की जाँच समिति बनायी जाय और समिति के माध्यम से जाँच करा ली जाय। जो रिपोर्ट आयेगी वह सबके सामने आ जायेगी। (व्यवधान के मध्य) सरकार डी0एम0 के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से संतुष्ट है। तो मेरी माँग यह है कि आप अपने स्तर से माननीय विधायकों की एक समिति बना लें। मान्यवर, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी धीरे–धीरे मुस्करा रहे हैं, इसका मतलब कुछ दाल में काला है या कुछ गड़बड़ है (घोर व्यवधान)

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। माननीय मंत्री जी की कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे हम संतुष्ट हो जायें। मान्यवर, क्या हम लोग भी जो यहाँ पर बैठे हैं उन्हें भी इन आतंकियों के आतंक को झेलने के लिए तैयार रहना होगा ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मानीय मंत्री जी ने आपकी बातों का संज्ञान लिया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया है और उस विषय पर माननीय सदस्यगणों की बातों का संज्ञान लेते हुए अभी तक जो अद्यतन सूचना आयी है उस आधार पर कोई भी पट्टे के अन्तरण से हुई क्षति की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गयी है। जो विषय माननीय सदस्यगणों द्वारा रखा गया है कि उस पर अवैध कब्जा किया हुआ है।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, मान्यवर, चकबन्दी का जिक्र यहाँ पर नहीं आया है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों ने जो विषय यहाँ पर दिये गये हैं, उनका संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही कर दी जाय। (व्यवधान)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जो विषय आपने कहा है उसका संज्ञान ले लिया गया है और जिला प्रशासन से नहीं उससे ऊँचे अधिकारी से जाँच करायेंगे। चूँकि अभी जो प्रकरण हमारे संज्ञान में है वह धारा–5 ग के तहत कोई भी पट्टा अन्तरण नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, यदि आपके संज्ञान में इसके लिए अतिरिक्त कोई सूचना है तो माननीय मंत्री जी को बता दीजिए और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है कि करवा देंगे हम।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, वह बहुत बड़ा भू–माफिया है। उसने 150 परिवारों की जमीनें हड़प ली हैं और माननीय राजस्व मंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, चकबन्दी का तो कोई जवाब ही नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राजस्व मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कृपया इसको देख लीजिए और कहीं भी जैसाकि माननीय सदस्य कह रहे हैं उसका संज्ञान लेते हुए और जो माननीय सदस्य चकबन्दी की बात कर रहे हैं उसका भी संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करें। (व्यवधान)

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम विधायक जिला प्रशासन से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या सर्वदलीय समिति विधायकों की आप नहीं बना सकते हैं। आप हमारे रक्षक हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कृपया इसकी जाँच के लिए एक सर्वदलीय कमेटी बना दें और जाँच करवा लें। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी माँग आपसे है। हमारी माँग सरकार से नहीं है। सरकार तो भू–माफिया के हाथों में खेल रही है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है आश्वासन समिति के समक्ष भी यह विषय आयेगा। अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो आश्वासन समिति अपना प्रतिनिधिमण्डल लेकर समिति के सदस्यों के साथ जाँच कर लेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय नारायण पाल की किसी भी बात का संज्ञान न लिया जाय क्योंकि इनका नाम सूचना में नहीं है। यह चर्चा नहीं हो रही है। इस सूचना पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है और यह आश्वासन समिति में भी जायेगा अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। जब तक माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण नहीं करते तो किसी माननीय सदस्य का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और कहा है कि आपसे भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में पूर्ववत् खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उसको देख लेंगे और उसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया जा चुका है कि उसको देख लिया जायेगा।

श्री दिवाकर भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि भू–माफिया जो भी हो, चाहे जितनी बड़ी ताकत हो यदि कहीं पर भी गरीबों के पट्टे पर कब्जा किया होगा तो सरकार उसे छुड़वाकर देगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री शहजाद जी, अब बात आ गयी है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर चले गये)

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य के अन्दर इस समय विद्युत का संकट गहराया हुआ है, देहरादून में भी चल रहा है, जहाँ आपका संरक्षण माननीय विधायकगण को है, वहाँ पर भी, विधायक हॉस्टल रेस कोर्स में भी बिजली चली जाती है। मान्यवर, पूरे प्रदेश के अन्दर कहीं 12 घन्टे, 15 घन्टे, 18 घण्टे बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। पिछले दिनों जब सरकार में परिवर्तन हुआ तो ऐसा लगा कि नई टीम आ रही है तो कुछ करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई कि 24 घन्टे बिजली देंगे तो मात्र 2 दिन 24 घन्टे बिजली आई और उसके बाद आज फिर 10 घन्टे, 12 घन्टे, 18 घन्टे बिजली नहीं आ रही है। मान्यवर, आज बारिश नहीं हो नहीं है। सारे लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, बारिश के कारण आज किसान परेशान हैं और बिजली मिल नहीं रही है, ट्यूबवेल चल नहीं रहे हैं। आज किसान इतना परेशान है कि वह धान की खेती नहीं कर पा रहा है और दूसरी ओर राज्य सरकार के इशारे पर छापा मार अधिकारी जा रहे हैं, मोटर्स पकड़ रहे हैं, लोगों के ऊपर जुर्माना कर रहे हैं, उसकी आड़ में लोगों से पैसे ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और एक नहीं कई उदाहरण हैं। होना तो यह चाहिए था कि सरकार यह कहती है कि ठीक है बिजली से पानी की व्यवस्था करके धान लगा लें और सरकार ने छापामार अभियान चला दिया।

ऊधमसिंह नगर के अन्दर काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, किच्छा पूरे जनपद में इतने छापे डाले सरकार ने, इतना उत्पीड़न कराया किसानों का, जबकि सरकार जानती है कि जब गेहूँ सरकार ने नहीं तौली तो क्या हश्र हुआ था, बिजली नहीं थी तो क्या हश्र हुआ उसके बाद भी आज वहाँ बराबर शोषण हो रहा है। आज ट्रांसफार्मर जल जाता है, एक ट्रांसफार्मर वहाँ जल जाता है तो 2–2 महीने तक ट्रांसफार्मर ठीक नहीं होता है। प्रदेश के अन्दर किसी भी गोदाम के अन्दर ट्रांसफार्मर हमेशा रहते थे वहाँ पर एडवांस में जमा रहते थे और जब ट्रांसफार्मर जलता था तो अगले दिन या उसी दिन ट्रांसफार्मर नया लगा

दिया जाता है और आज ट्रांसफार्मर उपलब्ध ही नहीं हैं। गाँव के लोग परेशान होते हैं और सड़कों पर आते हैं और बस्तियों के लोग आते हैं और अधिकारियों से बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर नया लगाओ, तो कहते है कि अभी हैं नहीं, देहरादून से मंगाया है। रिकार्ड में है और मैं माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप अपने रिकार्ड को दिखवा लें कि कितने ट्रांसफार्मर यहाँ पर गाड़ियों से लदकर एक–एक या दो–दो ट्रांसफार्मर जाते हैं। मान्यवर, यह सब ऑन रिकार्ड है। गाड़ी जाती है उसका किराया पड़ता है जबकि वहाँ पर स्टोर है।

मान्यवर, हर जनपद में हर ब्लाक के अन्दर स्टोर बने हुए हैं, वहाँ पर ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज विद्युत का संकट है, किसान को बिजली नहीं मिल पा रही है, पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, व्यापारियों को बिजली नहीं मिल रही है। एक ओर छापे पड़ रहे हैं। सरकार तत्काल छापों को रोके। क्योंकि लोग यहाँ से जा रहे हैं और छापे की आड में पैसे ले रहे हैं। किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विधान सभा की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की जाय।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, हमारी भी नियम–310 के अन्तर्गत एक सूचना थी, उसे नियम–58 के तहत आपने स्वीकृत किया है।

श्री अध्यक्ष–

जो तीन सूचनाएं नियम–310 की नियम–58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित की गयी थीं, उन पर चर्चा हो चुकी है।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, हमारी नियम–310 की सूचना, जो नियम–58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित हुई थी उस पर अभी चर्चा नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना अग्राह्य हुई हैं।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, आपने तीन सूचनाएं स्वीकार की हैं।

श्री अध्यक्ष–

हाँ, मैंने तीन सूचनाएं स्वीकार की हैं। उनको मैं बता रहा हूँ। कृपया आप लोग स्थान ग्रहण करें।

पहली सूचना प्रदेश में पीने के पानी की समस्या की थी जो श्रीमती अमृता रावत, श्री जोत सिंह गुनसोला तथा बलवीर सिंह नेगी की सूचना थी। दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री राजेश जुवांठा की थी और तीसरी सूचना कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से सम्बन्धित सूचना थी। ये सूचनाएं नियम–58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित की गयी थीं।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया और उन्होंने राज्य में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से हो, इस सम्बन्ध में अपनी बात यहाँ पर रखी है। मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि वर्तमान में राज्य में ऐसी कोई भी कटौती नहीं की जा रही है। केवल औद्योगिक क्षेत्रों में पीक आवर्स में कटौती की जाती है और जहाँ तक विषय आपने ट्रांसफार्मर खराब होने की बात रखी। इसमें यह निर्देश दिया जा चुका है और उसके अनुरूप कार्य किये जाने के कड़ाई से निर्देश दिये जा चुके हैं कि 48 घंटे के अन्तर्गत ट्रांसफार्मर बदल दिये जाने चाहिए। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, एक–एक, डेढ़–डेढ़ महीना हो गया है। बदले नहीं गये हैं। (व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, श्रीपुर बिचवा, मुडेली, चांदा, सुनपहर, कंचनपुरी, भगचुरी, गिरी, जमौर, नौसर, खेत्तल सडदामुस्ताजर तथा खलडिया ट्रांसफार्मर एक महीने से फुंके हुए है।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले बात तो आने दीजिए। कृपया शांत रहें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यहाँ पर विषय निकलकर आया कि ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं हैं। इसके चलते वे बदले नहीं जा सकते। मैं माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में 9 ट्रांसफार्मर 25 के0वी0, 2 ट्रांसफार्मर 63 के0वी0 2 ट्रांसफार्मर 100 के0वी0,...(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, नये ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे हैं। किसान परेशान है। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, किसानों को जेल भिजवाया है, कई किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, इन्हीं के साथ एक प्रत्याशी ने चुनाव में कहा "हाय रे बिजली, हमें मार गयी।" तब भी इसमें सुधार नहीं हुआ है। पहले भी बिजली इनको ले गयी और फिर बिजली ले जाएगी। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जिला मुख्यालयों में 25 के0वी0ए0 के 09 ट्रांसफार्मर, 63 के0वी0ए0 के 02 ट्रांसफार्मर और 100 के0वी0ए0 के 02 ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा दिये गये हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय में यह निर्देशित किया गया है कि जहाँ भी, जिस भी स्थान पर ट्रांसफार्मर खराब हो, उसको तत्काल बदलने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। श्रीमन्, सवाल यह पैदा होता है कि ये ट्रांसफार्मर आखिर खराब क्यों हो रहे हैं। 25 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर में जितना लोड दिया गया है, उस लोड से ज्यादा लोड यदि उसमें पड़ेगा तो निश्चित रूप से खराब होगा। इस विषय में संज्ञान में आया कि अतिरिक्त रूप से विद्युत की चोरी की जा रही है। इस विद्युत चोरी को रोकने के उपाय आखिर क्या हों? इसमें राजस्व की हानि भी हो रही है। इस राजस्व की हानि को कैसे रोका जाय ? श्रीमन्, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इतने ट्रांसफार्मर खराब हो गये हैं, आखिर 63 के0वी0ए0 के एक ट्रांसफार्मर में जितना लोड सैंक्शन है, यदि उसमें ज्यादा लोड उसमें डाला जाता है, तो निश्चित रूप से वह खराब होगा।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, इसका मतलब है कि छापामार अभियान जारी रहेगा। न बिजली देंगे न पानी देंगे, जेल में अलग डालेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देहरादून, मसूरी, रुड़की हरिद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी तथा काशीपुर ये स्थान ऐसे हैं, जहाँ पर 250 और 400 के0वी0ए0 के ट्रॉली युक्त ट्रांसफार्मर उपलब्ध हैं। जहाँ कहीं भी बड़े ट्रांसफार्मर खराब होते हैं, तत्काल वहाँ पर सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति करने की व्यवस्था है। ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त होने

का मुख्य कारण उनका अतिभारित होना है। अतः केवल उपभोक्ताओं और प्रतिष्ठानों में, मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूँ कि केवल उपभोक्ताओं और प्रतिष्ठानों में चैकिंग की जा रही है और जो स्वीकृत भार से अधिक विद्युत उपभोग कर रहे हैं, ऐसे सभी उपभोक्ताओं और प्रतिष्ठानों में चैकिंग कार्यक्रम जारी है, जिससे कि जो चोरी कर रहे हैं, उनको पकड़ा जा सके। एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि किसानों के खेत–खलिहानों में विद्युत चैकिंग नहीं की जा रही है।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आज भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में यह खबर बराबर चल रही है कि ऊधमसिंह नगर में जिला प्रशासन की जितनी भी कालोनियाँ हैं, उनमें किसी में भी मीटर नहीं लगे हुए हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय तिलक राज बेहड़ जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, इसमें आप भी कम से कम जो विद्युत चोरी हो रही है, उसको रोकने में हमारा सहयोग करें। विद्युत चोरी के कारण जहाँ एक ओर ट्रांसफार्मर फुंकते हैं, वहीं राजस्व की हानि भी हमको उठानी पड रही है। इसको हम बहुत संवेदनशील होकर कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि विद्युत आपूर्ति सुचारू हो और 24 घन्टे विद्युत उपभोक्ताओं को मिल पाए। इस प्रक्रिया में हम चल रहे हैं। बिगडी हुई व्यवस्था जो हमें पिछले पाँच साल में मिली थी, उसको हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, ढाई साल में भी ठीक नहीं कर पाए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, जिसका असर वर्तमान में ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो प्रदेश का भविष्य है और देश का भविष्य है, उस पर पड़ेगा। मान्यवर, सरकार कितनी लापरवाह है कि प्रदेश के जो तकनीकी विश्वविद्यालय हैं जिसमें व्यवसायिक पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग में, यहाँ तक कि जितनी सीटें निर्धारित की गई

थीं, विद्यार्थी काउन्सिलिंग के लिये ही नहीं आये। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आज हमारे प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, उस पर उपस्थित हो गया है। मान्यवर, व्यवसायिक पाठ्यक्रम एक गारन्टी होता है कि अगर कोई छात्र इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लेता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसे रोजगार उपलब्ध हो जायेगा। मान्यवर, लेकिन आज जो स्थिति है, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय में जो विभिन्न प्रकार के हमारे व्यवसायिक पाठ्यक्रम हैं, उनमें काउन्सिलिंग के लिए आधे से भी कम विद्यार्थी आये हैं। जैसे एम0सी0ए0 में 937 सीटों में से 450 पर ही लोग काउन्सिलिंग के लिए आये। इसी प्रकार से बी0 फार्मा में 753 सीटों के सापेक्ष 319 सीटों पर और बी0एच0एम0टी0 में 299 सीटों के सापेक्ष 127 पर और इसी प्रकार से जो डिप्लोमा है, फार्मा में, उसमें 223 सीटों के सापेक्ष 82 लोग ही काउन्सिलिंग के लिए आये।

मान्यवर, इस तरह की चिंतनीय स्थिति प्रदेश के समक्ष उपस्थित हो गई है। मुझे याद है कि पिछली बार, पिछली सरकार में लोगों के पास लोग सिफारिश के लिये आते थे कि हमारा एडमिशन बी0फार्मा0 में करवा दीजिये, हमारी काउन्सिलिंग में मदद करवा दीजिये और अब हालत यह है मान्यवर, कि............ (व्यवधान)

मान्यवर, अब एक दूसरा सवाल पैदा हो गया, मुझे लगता है कि इस साजिश में सरकार शामिल है और कहीं न कहीं सरकार अंडर टेबल या अंडर हैण्ड इस साजिश में शामिल है। क्योंकि आजकल इसके लिए हमारे पास तो कोई नहीं आता लेकिन ट्रेजरी बेंच के जो सदस्य हैं, वे यहाँ पर खुद स्वीकार कर रहे हैं। लोग काउन्सिलिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन इनके पास सिफारिश के लिए जा रहे हैं। इससे निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार, जो व्यवसयिक निजी संस्थान हैं, उनके साथ मिलकर के घपला कर रही है, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। दूसरा जो प्रश्न चिन्ह लगा है, जो हमारी माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर है, मेरे विचार से उसकी वजह से सबसे बड़ी गड़बड़ी पैदा हो गई है। उससे जो ह्यूमन रिसोर्स हमें मिलना चाहिए था, वह इसकी वजह से हमारे प्रदेश में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, इस प्रदेश के भविष्य के लिये, हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य लिये यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है और इसके साथ–साथ निश्चित रूप से आप इन मामलों में बहुत संवेदनशील हैं। मैं यह चाहता हूँ और शायद पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि इस सारे प्रकरण की जाँच के लिए हम लोगों को एक कमेटी बनानी चाहिये कि आखिर इसके पीछे क्या गड़बड़ियाँ हैं, क्यों लोग अपने बच्चों को काउन्सिलिंग के लिये नहीं भेजना चाह रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय पर सदन की कार्यवाही को रोककर आप चर्चा करवायें, ताकि और माननीय सदस्यों का भी पक्ष इस पर आ सके। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाने का अवसर मुझे प्रदान किया, धन्यवाद।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी द्वारा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय में स्वीकृत सीटों को काउंसिलिंग के माध्यम से न भरे जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गई है। इसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय विभिन्न निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में जो कालेज स्थापित हैं, उनके लिये काउंसिलिंग के माध्यम से सीटें भरने का कार्य करता है और इस वर्ष इन निजी क्षेत्रों और सरकारी कालेजों में एम0सी0ए0 की कुल 937 सीटें, बी0 फार्मा की 753, बी0एच0एम0सी0टी0 की 299 और बी0 फार्मा डिप्लोमा की 223 सीटें, इसके लिए माह मई, 2009 में प्रवेश परीक्षा आयोजित हुई और इस प्रवेश परीक्षा के आधार पर दो बार काउन्सिलिंग के विज्ञापन निकले। मान्यवर, पहला विज्ञापन 8 जुलाई, 2009 को और दूसरा, जिसकी काउन्सिलिंग 12 जुलाई, 2009 को की गयी। इस काउन्सिलिंग के माध्यम से एम0सी0ए0 में 450, बी0 फार्मा में 319, बी0एच0एम0सी0टी0 में 127 और फार्मा डिप्लोमा में 82 अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश लिया गया श्रीमन्, क्योंकि काउन्सिलिंग में उपस्थित होने के उपरान्त ही कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा इच्छित संस्थानों में प्रवेश न मिलने के कारण काउन्सिलिंग में अपनी अभिरूचि नहीं दिखाई और इसके पश्चात् श्रीमन्, जबकि प्रवेश परीक्षा और काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया गया था, एम0सी0ए0 की 887, बी0 फार्मा की 434, बी0एच0एम0सी0टी0 की 172 और फार्मा डिप्लोमा की 141 रिक्त सीटें भरे जाने के लिए पुनः विज्ञापन निकाला जा रहा है। श्रीमन्, और जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा दी गयी थी काउन्सिलिंग के माध्यम से रिक्त संस्थानों में उनके प्रवेश की प्रक्रिया को किया जायेगा। श्रीमन्, शीघ्र की इसकी तिथि विज्ञापित की जा रही है और उम्मीद है कि शायद इन सभी रिक्त सीटों पर अभ्यर्थी अपना प्रवेश लेंगे।

माननीय किशोर उपाध्याय जी ने कहा कि इसमें कोई साजिश है, तो मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इसमें कोई साजिश नहीं है, काउन्सिलिंग की डेट एक दी जाती, दो दी जाती है, तीन दी जाती हैं। जो प्रक्रिया है प्रवेश की, उसमें हम चल रहे हैं। जो सीटें रिक्त रह गयी है, वो भरी जाएंगी और मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) अभ्यर्थी विशेष संस्थान में प्रवेश चाहते हैं और वो उनकी प्राथमिकता की लिस्ट में रहता है। यदि उन्हें मनचाही जगह प्रवेश नहीं मिलता है तो वे दूसरी जगह प्रयास करते हैं। लेकिन इन सम्पूर्ण प्रक्रिया में उम्मीद है कि जितने भी हमारे संस्थान हैं, उनमें गुणवत्तायुक्त शिक्षा हो। ऐसा प्रयास हम करेंगे। (व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है ? आपने कहा था कि ए0आई0सी0पी0 की मान्यता की जरूरत नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, ए0आई0सी0पी0 की मान्यता नहीं रहेगी तो गुणवत्ता नहीं रहेगी ? मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें ए0आई0सी0पी0 की मान्यता की आवश्यकता नहीं है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। (व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, ए0आई0सी0पी0 की मान्यता नहीं होगी तो वहाँ अभ्यर्थी नहीं जाएंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान हैं, उनको अपने जो सक्षम संस्थान हैं, उनसे मान्यता लेनी पड़ेगी, लेकिन गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा हो ऐसा प्रयास हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी–

श्रीमन्, मेरी एक सूचना थी नियम–310 की, उसे नियम–58 में सुन लें। यह कानून से जुड़ा हुआ प्रश्न है, यह बहुत संवेदनशील प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ऐसे नहीं होता है। हमें सूचना मंगानी पड़ती है, शासन से सूचना मंगानी पड़ती है। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा और माननीय राजेश जुवांठा जी का एक नियम–310 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो विधायक निधि में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2009

श्री संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह संवेदनशील मामला है। (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय, श्री राजेश जुवांठा और श्री मनोज तिवारी अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात को जोर–जोर से उठाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (घोर व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय और माननीय सदस्य श्री राजेश जुवांठा 'वेल' में आ गये।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा और इसे कार्यवाही में अंकित न किया जाय, जो बिना अनुमति के बोल रहे हैं। माननीय किशोर उपाध्याय जी, आपकी बात नियम–58 में सुन ली गई है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस महत्वपूर्ण विधेयक के माध्यम से मैं सदन के सम्मुख इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहा हूँ। परा चिकित्सा परिषद् के गठन का विषय राज्य बनने के बाद से आज तक समय–समय पर विभिन्न माध्यमों से उठाया जाता रहा है। हमारी सरकार ने इस विषय को संवेदनशीलता से स्वीकार किया, जिसके तहत मैं परा चिकित्सा परिषद् के गठन का प्रस्ताव सदन के विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। परा चिकित्सा परिषद् के अन्तर्गत आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला (लैब टैक्नालॉजी), प्रौद्योगिकी या विकिरण निदान (एक्सरे रेडियोलाजी) या विकिरण चिकित्सा या नाभिकीय चिकित्सा तथा भौतिक चिकित्सा (फिजीयोथैरेपी) सम्मिलित हैं। इन विधाओं से सम्बन्धित शिक्षा के विनियमन और शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त इन विधाओं के स्नातक एवं उच्च स्तर के अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को इस राज्य स्तर में रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् के गठन की व्यवस्था इस विधेयक में की गई है। इसके आधार पर ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं की मान्यता से सम्बन्धित विषय भी इस विधेयक में हैं।

परा चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए इसमें निरीक्षकों की व्यवस्था भी रखी गयी है और शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास होने पर ऐसी शिक्षण संस्थाओं की मान्यता वापस लिए जाने का भी प्रावधान है। पराचिकित्सकों का राज्य स्तरीय रजिस्टर रखने का प्रावधान और परा चिकित्सकों द्वारा दुराचार करने पर उनका नाम रजिस्टर से हटाने की भी व्यवस्था है। इसके साथ परा चिकित्सा परिषद् की निधि का निर्माण तथा संचालन सम्यक रूप से रखे जाने का भी प्रावधान इसमें है परिषद् के गठन की विस्तृत व्यवस्था खण्ड–3 में की गयी है जिसमें विशेषज्ञों को और ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों तथा परा चिकित्सकों को भी प्रतिनिधित्व देने का प्राविधान किया गया है। इसके खण्ड–3 में यह सम्पूर्ण व्यवस्था

सम्पादित की गई है। मैं कहना चाहूँगा कि यह विधेयक अधिनियमित किये जाने और प्रवृत्त होने से प्रत्येक वर्ष राज्य की संचित निधि से 25 लाख रुपये का आवर्ती व्यय अंतर्वलित होगा। जिसकी व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अपने बजट में की जायेगी। श्रीमन्, मैं माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ विधेयक के खण्ड–8 का उपखण्ड (1) परिषद् की बैठक के लिए समय, स्थान, प्रक्रिया गणपूर्ति का उपबन्ध करने के लिए विनियम बनाने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करता है।

विधेयक का खण्ड–12 परिषद् को उससे संयोजित व्यक्ति जिसकी सहायता या सलाह अपेक्षित है के लिए रीति और प्रयोजनों के सम्बन्ध में विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है। विधेयक का खण्ड–13 परिषद् को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विभिन्न समितियों के गठन व कार्यालय के लिए सशक्त करता है। विधेयक का खण्ड–15 परिषद् को सचिव/रजिस्ट्रार अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के उपबन्ध कराने के लिए सशक्त करता है तथा इनके पारिश्रमिक, सेवा शर्तों और हकदारी का अवधारण करने के लिए सशक्त करता है। इसके साथ–साथ विधेयक का खण्ड–20 राज्य सरकार को किसी विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्था द्वारा अनुदित परा चिकित्सा शिक्षा की अर्हता को घोषित करने के लिए सशक्त करता है। विधेयक का खण्ड–21 परिषद् को न्यूनतम मानकों का विनियमों द्वारा अवधारित करने के लिए सशक्त करता है। विधेयक का खण्ड–26 परिषद् के रजिस्टर में नामों को दर्ज करने की रीति, फीस, नाम प्रविष्टि के इंकार के लिए उपबन्ध विनियम बनाने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करता है। विधेयक का खण्ड–27 परिषद् को वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार, सदाचार के मानकों को तथा रजिस्टर से नाम हटाये जाने के लिए सशक्त करता है। विधेयक का खण्ड–28 परा चिकित्सा व्यवसाय के वृत्तिक आचरणों की जाँच के लिए परिषद् की अनुशासन समिति को सशक्त करता है।

विधेयक का खण्ड–29 रजिस्टर में पुनः प्रविष्टि करने के लिए रीति तथा फीस और शर्तों के लिए उपबन्ध कराने हेतु विनियम बनाने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करता है। श्रीमन्, विधेयक का खण्ड–33 परिषद् के वार्षिक बजट के लिए प्रारूप तैयार करने के लिए उपबन्ध करने हेतु नियम बनाने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करता है। विधेयक की धारा–34 परिषद की वार्षिक रिपोर्ट और इसी तरह से विधेयक का खण्ड–35 परिषद् के वार्षिक लेखा प्ररूप के रख–रखाव रीति उपबन्ध करने हेतु नियम बनाने के लिए है। इस तरह से यह विधेयक अपने आप में पूर्ण है श्रीमन्, जिसके माध्यम से परा चिकित्सा परिषद् के गठन का प्रस्ताव माननीय सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है। इस प्रस्ताव के माध्यम से इस परिषद् के गठन के पश्चात् यह प्रक्रिया सम्भावित हो जायेगी और सम्भव हो जायेगी। इससे परा चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए अनेक ऐसे बेरोजगार नवयुवक हैं जो राह देख रहे हैं कब इस परा चिकित्सा परिषद् का गठन हो और कब

उनको सुविधा मिल पाये और उनके रोजगार का मार्ग प्रशस्त हो। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सदन के सम्मानित सदस्यों के विनम्र आग्रह है कि वे सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित कराने में सरकार का सहयोग करें। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, सरकार का जो यह कदम है, इसकी सराहना की जानी चाहिए लेकिन परिषद् का गठन न होने के कारण जो हमारे परा चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं, व्यवसायी हैं उनको बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अभी तक उन सबको लखनऊ और उत्तर प्रदेश की शरण में जाना पड़ता था। लेकिन जिस तरह से सरकार विधेयक के रूप में सदन के सामने इस विधेयक को लाई है इससे............।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी। बजट का समय हो गया है। मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से परम् सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2009–10 का आय–व्ययक प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि इस गरिमामय सदन के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का मुझे वर्ष 2001 के बाद पुनः अवसर प्राप्त हुआ है।

(माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण पढ़ना प्रारम्भ किया।)

आर्थिक परिवेश एवं वित्तीय प्रबन्धन,

वर्तमान समय में आर्थिक दृष्टि से पूरे देश व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती पूर्ण है। पूरा विश्व आर्थिक मन्दी के दौर से गुजर रहा है। ऐसी चुनौती पूर्ण परिस्थितियों में राज्य के संसाधनों का प्रभावी प्रयोग एवं कुशल वित्तीय प्रबन्धन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। आर्थिक मन्दी की स्थिति तथा छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में नये वेतनमान लागू किये जाने के बावजूद भी वर्ष 2009–10 के बजट में नये कर प्रस्तावित नहीं किये जा रहे हैं।

प्रथम बार बजट साहित्य के खण्ड–6 में सार्वजनिक उपक्रमों और राज्य सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाओं से सम्बन्धित विवरण भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

वार्षिक योजना,

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा अभी वार्षिक योजना का आकार निर्धारित नहीं किया गया है, परन्तु राज्य सरकार ने वार्षिक योजना का आकार गत वर्ष की तुलना में अधिक रखने का प्राविधान किया है। विकास गति और तेज करने के लिए केन्द्र पोषित एवं बाह्य सहायतित योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास भी किया जायेगा ताकि निर्माणाधीन परिसम्पत्तियाँ शीघ्र पूर्ण होकर अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें।

मान्यवर,

मैं, वर्ष 2009–10 का आय–व्ययक प्रस्तुत करने के इस अवसर पर बजट के मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा :–

- आम व्यक्ति के दैनिक उपयोग की खाद्य सामग्री–आटा, मैदा, सूजी तथा बेसन से वाणिज्य कर समाप्त कर इसे जनहित में पूर्णतः कर मुक्त किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क समाप्त किया जायेगा।
- महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से उनके द्वारा सम्पत्ति क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क में छूट हेतु सम्पत्ति के मूल्य की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की जायेगी।
- ग्रामों के समेकित विकास एवं सभी आवश्यक सुविधाओं यथा सड़क, बिजली, पेजयल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संतृप्त करने हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत के एक ग्राम का चयन कर लगभग 500 ग्रामों में "अटल आदर्श ग्राम योजना" के रूप में नई पहल की जायेगी।
- राष्ट्र भाषा हिन्दी के संरक्षण एवं संवर्धन तथा भाषाओं के विकास हेतु राज्य में भाषा संस्थान एवं हिन्दी अकादमी की स्थापना की जायेगी।
- यह प्रदेश सौभाग्यशाली है कि विश्व के सबसे बड़े मेले के रूप में कुम्भ मेला आयोजित करने का सुअवसर प्राप्त है। हरिद्वार कुम्भ मेला, 2010 के लिए इस वर्ष रु0 100 करोड़ की व्यवस्था की जा रही है।

- मोक्षदायिनी गंगा जी तथा सहायक नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु विशेष अभियान चलाया जायेगा। इस कार्य हेतु "राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरण" गठित किया जायेगा।

- समाज के अन्तिम छोर के बालक/बालिकाओं को उत्कृष्ट शिक्षा के लिए नई पहल करते हुए "देवभूमि मुस्कान" योजना संचालित की जायेगी। इस हेतु पहले चरण में प्रत्येक जनपद मुख्यालय में निजी क्षेत्र के विद्यालयों के साथ सहभागिता करते हुए "वाउचर स्कीम" का क्रियान्वयन किया जायेगा।

- प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक इण्टर कॉलेज तथा एक हाई स्कूल भवन का नव निर्माण/नवीनीकरण/जीर्णोद्धार/विस्तार करने की कार्य योजना बनाई जायेगी।

- नागरिकों को गाँव तक सूचना एवं सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से न्याय पंचायत स्तर पर 2804 "बहुउद्देशीय नागरिक सेवा केन्द्र" स्थापित किये जायेंगे।

- जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद की जन्म स्थली है और आज भी संजीवनी जैसी जड़ी–बूटियों का उत्तराखण्ड में अपार भण्डार है। इसलिए आयुर्वेद की नई ऊँचाईयों तक ले जाने के लिए राज्य में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- देश में प्रथम बार उत्तराखण्ड में आयुष ग्रामों की स्थापना की जा रही है।

- पं0 दीन दयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन सेवा द्वारा एक ही वर्ष में कीर्तिमान स्थापित किये हैं और हजारों नागरिकों के जीवन की रक्षा की है। इस सेवा को और प्रभावी बनाने तथा जन–जन तक पहुँचाने की दृष्टि से पूर्व से संचालित 90 वाहनों के अतिरिक्त 18 और नये वाहन क्रय करने का निर्णय लिया गया है।

- चिकित्सकों की कमी के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में अन्तिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए डा0 हेडगेवार आरोग्य रथ तथा अत्याधुनिक सुविधाओं यथा अल्ट्रासाउन्ड, ई0सी0जी0, एक्स–रे आदि उपकरणों से सुसज्जित सचल चिकित्सालय संचालन हेतु हमने कदम बढ़ाये हैं। सचल चिकित्सालय प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में जा कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जन–जन तक प्रभावी ढंग से पहुँचायेंगे।

❖ विश्व की आधुनिकतम एम0आर0आई0 मशीन का संचालन लोक निजी सहभागिता के माध्यम से प्रारम्भ किया गया है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय कोरोनेशन अस्पताल में गुर्दा रोग एवं हृदय रोग इकाई तथा अल्मोड़ा बेस चिकित्सालय में हृदय रोग इकाई की स्थापना पी0पी0पी0 व्यवस्था से की जायेगी। इसी प्रकार पिथौरागढ़ एवं कोटद्वार में डाइगनोस्टिक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

❖ दुर्गम/असेवित क्षेत्र में मातृ–शिशु कल्याणार्थ 145 ए0एन0एम0 एवं 145 अंशकालिक दाई के पद सृजित किये जा रहे हैं।

❖ शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए राज्य के सभी महिला चिकित्सालयों में नवजात शिशु इकाई स्थापित की जायेगी जिससे जच्चा–बच्चा के स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सकेगा।

❖ हम प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए बचनबद्ध हैं। वर्ष 2009–10 में 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण पूर्ण किया जायेगा जबकि 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 26 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन हैं।

❖ प्रत्येक जनपद में ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जायेंगे तथा राज्य में बेहतर उपाचारिका सेवा उपलब्ध कराने के लिए बी0एस–सी0 नर्सिंग संस्थान का निर्माण किया जायेगा।

❖ अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए निर्माण कार्यों को त्वरित गति से पूर्ण किया जायेगा।

❖ चिकित्साधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को विशिष्ट प्रशिक्षण देकर उनके तकनीकी कौशल वृद्धि की व्यवस्था की जायेगी।

❖ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख चिकित्सालयों में फिजियोथेरिपिस्ट के 28 पद सृजित किये जा रहे हैं।

❖ बहुचिरप्रतीक्षित मुजफ्फरनगर–रुड़की रेल लाईन जिसके बनने से लगभग एक घंटे की यात्रा अवधि कम होगी, के निर्माण हेतु राज्यांश के रूप में रु0 20 करोड़ की व्यवस्था है।

❖ "धरती के स्वर्ग" उत्तराखण्ड में पर्यटन के विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से योजना के क्रियान्वयन हेतु रु0 35 करोड़ की व्यवस्था है।

❖ समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग अनुदान तथा विधवा भरण–पोषण अनुदान की धनराशि सभी लाभार्थियों की सुविधा की दृष्टि से बैंक खातों के माध्यम से नियमित रूप से वितरित की जायेगी। इसी व्यवस्था

के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति त्वरित गति से वितरित की जायेगी।

- ❖ महिला सरकारी सेवकों हेतु 135 दिन के प्रसूति अवकाश को बढ़ा कर 180 दिन किया जायेगा।
- ❖ प्रदेश में कन्या शिशु भ्रूण हत्या रोकने के लिए आर्थिक एवं शैक्षिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु नन्दा देवी कन्या योजना क्रियान्वित की जायेगी जिसके लिए रु0 16 करोड़ का प्राविधान है।
- ❖ महिलाओं के समग्र विकास हेतु महिला कल्याण निधि की स्थापना की जाएगी जिसके लिए रु0 50 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।
- ❖ निराश्रित बच्चों (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) हेतु एक पृथक गृह का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए रु0 30 लाख की व्यवस्था है।
- ❖ मानसिक रूप में विक्षिप्त व्यक्तियों तथा विक्षिप्त महिलाओं के लिए पृथक–पृथक आवासीय गृहों की व्यवस्था हेतु प्राविधान है जबकि राज्य में निर्माणाधीन मानसिक रोगी चिकित्सालय का शुभारम्भ शीघ्र किया जायेगा।
- ❖ वर्ष 2009–10 में 67 ग्रामों, 1874 तोकों का विद्युतीकरण किया जायेगा तथा 48308 बी0पी0एल0 परिवारों को विद्युत संयोजन दिये जायेंगे।
- ❖ वर्ष 2009–10 में 30 ग्रामों का सौर ऊर्जा विद्युतीकरण तथा 250 घराट एवं 271 सोलर चरखे स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।
- ❖ राज्य के 500 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को 'स्मार्ट स्कूल' बनाये जाने का प्रस्ताव है। इन विद्यालयों में कम्प्यूटर के व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ ई–क्लास भी संचालित किया जाना प्रस्तावित है। योजना को पी0पी0पी0 माध्यम से संचालित किये जाने का विचार है।
- ❖ जल संवर्द्धन हेतु जलाशयों के निर्माण की योजना प्रारम्भ की जायेगी।
- ❖ प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यम स्थापित कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए सरकार प्रयत्नशील है जिस हेतु एकीकृत पर्वतीय औद्योगिक योजना का शुभारम्भ किया गया है। दूरस्थ क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य पूँजी उपादान सहायता के लिए बजट में पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
- ❖ जनता को त्वरित न्याय देने के लिए न्यायालय भवनों का निर्माण किया जायेगा।

- ❖ किसानों के चहुँमुखी विकास हेतु समग्र जिला कृषि योजना तैयार की जा रही है जिसमें कृषि, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य पालन सम्बन्धी क्रिया–कलाप सम्मिलित होंगे।

- ❖ उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के पलायन को रोकने के लिए एवं अधिकाधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण योजना का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसके लिए सघन अनुश्रवण हेतु प्रकोष्ठ की स्थापना की जा रही है।

- ❖ उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जिसने अपने कर्मचारियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए वेतन समिति गठित कर छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत किया है तथा उसके भुगतान हेतु समुचित व्यवस्था भी की गयी है।

राजकोषीय सेवाए :

राज्य की राजकोषीय सेवाओं में वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन, स्टॉम्प एवं पंजीकरण शुल्क तथा मनोरंजन कर प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों में कोई नया कर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

वाणिज्य कर :

वाणिज्य कर राज्य के कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है। इस वित्तीय वर्ष में गत वित्तीय वर्ष से लगभग 16.72 प्रतिशत अधिक कर संग्रह का अनुमान है। तद्नरूप वित्तीय वर्ष 2009–10 में रु0 2220.80 करोड़ प्राप्ति का लक्ष्य है।

राज्य में मूल्य वर्धित कर (वैट) प्रणाली को सरल, तर्कसंगत एवं पारदर्शी बनाने के लिए कार्यवाही की जायेगी जिसके अन्तर्गत–

- वर्तमान व्यवस्था में एक करोड़ से अधिक विक्रय धन के सभी करदाताओं के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनिवार्यता है। एक सूत्रीय करदेय एवं केवल करमुक्त वस्तुओं के करदाताओं के लिये ऑडिट की अनिवार्यता समाप्त करना प्रस्तावित है।

- वाणिज्य कर विभाग में प्रक्रियाओं को पारदर्शी व सुविधाजनक बनाने हेतु कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। ई–पेमेन्ट की सुविधा का विस्तार किया जाएगा तथा ई–फाइलिंग की सुविधा आरम्भ की जा रही है।

- सार्वजनिक उपक्रमों को कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा अधिकृत क्रमांक को आयात घोषणा पत्रों (फार्म 16) को स्वयं डाउनलोड करने की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है।

- उत्पादनकर्ता इकाईयों द्वारा कच्चे माल की खरीद के सम्बन्ध में प्रयोग किये जाने वाले फार्म 11 में अभी वर्तमान में 5 लाख तक की सीमा की बाध्यता है। इस सीमा को कुछ शर्तों के साथ शिथिल करना प्रस्तावित है।
- करदाताओं की समस्याओं के त्वरित निस्तारण, व्यापार सम्बन्धी कठिनाईयों के निराकरण एवं राजस्व संग्रह में करदाताओं का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय "व्यापार मित्र" का गठन प्रस्तावित है।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन :

गत वर्ष सामान्य स्टाम्प शुल्क में 1 प्रतिशत की कमी की गई थी। इस वर्ष शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

महिलाओं द्वारा सम्पत्ति क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा को रु0 10 लाख के स्थान पर 20 लाख किया जाना प्रस्तावित है।

इकरारनामें, विक्रय का प्रमाण–पत्र, सम्पत्ति का विनिमय, अतिरिक्त प्रभार तथा दान से सम्बन्धित लेख पत्रों में स्टाम्प शुल्क की दर रु0 115 प्रति हजार से घटाकर रु0 70 प्रति हजार किया जाना प्रस्तावित है। कब्जा रहित इकरारनामों में स्टाम्प शुल्क की दर वर्तमान 7 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

दानकर्ता द्वारा अपने परिवार के सदस्य के पक्ष में किये गये दाननामे पर स्टाम्प शुल्क की दर 2 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। तीस वर्ष से कम अवधि के किरायेनामों में स्टाम्प शुल्क की दर वर्तमान 7 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

आबकारी :

राज्य के कर राजस्व का दूसरा प्रमुख स्रोत आबकारी है। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु निर्धारित लक्ष्य रु0 501 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2009–10 में रु0 598.21 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य है।

मदिरा की तस्करी की रोकथाम हेतु अनुज्ञापियों या बॉण्ड धारकों द्वारा अन्य प्रदेशों में लायी जा रही मदिरा व बियर तथा प्रदेश के अन्दर थोक आपूर्ति हेतु परिवहन की जा रही मदिरा का परिवहन निर्धारित मार्ग से ही अनुमन्य किया गया है। साथ ही प्रवर्तन कार्यों पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा।

मनोरंजन कर :

गत वर्ष के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुरूप छविगृहों में मनोरंजन कर की दर 60 प्रतिशत की जगह 40 प्रतिशत एवं केबल/डी0टी0एच0 में मनोरंजन कर

30 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत किया जा चुका है। अब छवि गृहों में रु0 25 तक के टिकट पर 20 प्रतिशत रु0 26 से 50 तक के टिकट पर 30 प्रतिशत एवं रु0 50 से ऊपर के टिकट पर 40 प्रतिशत मनोरंजन कर प्रस्तावित है।

परिवहन :

राज्य के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास में परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। सड़क परिवहन राज्य में यातायात का मुख्य साधन है। वर्ष 2009–10 में परिवहन विभाग से रु0 203 करोड़ की राजस्व आय प्राप्ति का अनुमान है। देहरादून में स्थापित किये जा रहे चालक प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन शीघ्र ही मारूति सुजुकी इण्डिया लि0 के माध्यम से किया जाएगा। वाहनों की फिटनैस जाँच हेतु ऋषिकेश में ऑटोमैटिक टैस्टिंग लैब की स्थापना प्रस्तावित है एवं ड्राइविंग टैस्टिंग हेतु सिमुलेटर क्रय करना भी प्रस्तावित है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में सिटी बस सेवाएँ इस वर्ष आरम्भ की जायेंगी जिस हेतु आधुनिक तकनीकी से बनी 140 बसों का बेड़ा तैयार किया जा रहा है। सभी संभागीय एवं उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण कार्य प्रगति पर है जिससे ड्राइविंग लाईसेंस, पंजीकरण प्रमाण–पत्र आदि में पारदर्शिता सहित समय की बचत भी होगी। परिवहन विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु रु0 54.97 करोड़ का प्राविधान वर्ष 2009–10 में किया गया है।

ऊर्जा :

राज्य की विद्युत मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है जो विकास की दृष्टि से एक अच्छा संकेत है परन्तु साथ ही विद्युत की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति, पर्याप्त विद्युत उत्पादन/अधिप्राप्ति, वहन योग्य दरों पर विद्युत आपूर्ति, विद्युत वितरण के परिप्रेक्ष्य में सकल तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों को मान्य स्तर तक कम से कम समय में लाने, विद्युत सुरक्षा/संरक्षण एवं नवीकृत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की चुनौती भी हमारे सम्मुख है।

यद्यपि राज्य में पर्याप्त क्षमता की जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ चिन्हित की गई हैं तथा विभिन्न विकासकर्त्ताओं के माध्यम से लगभग 3140 मेगावाट क्षमता राज्य में निर्मित है तथापि हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता एवं विद्युत अधिप्राप्ति मांग के अनुरूप नहीं है। अतः हमें विद्युत उत्पादन तथा विद्युत अधिप्राप्ति के अन्य व्यवहार्य व अर्थक्षम उपाय शीघ्र करने हैं। विद्युत पारेषण तथा लघु विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक पोषित योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण भी प्रारम्भ करने हेतु सरकार प्रयासरत है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में 81 मेगावाट की लघु जल विद्युत परियोजनाएँ पूर्णकर उत्पादनरत करने का लक्ष्य है।

राज्य सरकार राज्य के सभी गाँवों के विद्युतीकरण सहित प्रत्येक घर तक विद्युत पहुँच सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती विद्युत वितरण में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को मान्य स्तर (15 प्रतिशत) तक कम करने की है। इस हेतु सभी का सहयोग निवेदित है। पुनरीक्षित ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत एक हजार से अधिक आबादी वाले 31 शहरों/कस्बों में वितरण सम्बन्धी सुधार कार्य प्रारम्भ करने की योजना है। ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत 2009–10 में 67 गाँवों व 1874 तोकों का विद्युतीकरण एवं 48308 बी0पी0एल0 परिवारों को विद्युत संयोजन का लक्ष्य है।

दूरस्थ गाँवों व तोकों में स्थानीय स्तर पर विद्युत आपूर्ति के लिए उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के माध्यम से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों/योजनाओं का उपयोग कर ऐसे क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करने हेतु कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में 1385 किलोवाट क्षमता की 16 लघु जल विद्युत योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2009–10 में 30 ग्रामों का सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण प्रस्तावित है। अनाज पिसाई, धान कुटाई, तेल पिराई आदि यांत्रिक उपयोग एवं 05 किलोवाट तक विद्युत उत्पादन हेतु वर्ष 2009–10 में 250 घराटों का भी प्रस्ताव है। ऊन कताई हेतु सौर ऊर्जा चालित चरखे उपयोगी सिद्ध हुए हैं जिसके अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में 271 सोलर चरखे स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा की विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग रु0 550 करोड़ का प्राविधान है।

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिंचाई :

कृषि क्षेत्र के विकास एवं कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु सिंचाई का सीधा सम्बन्ध है। अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजन सहित सृजित सिंचाई सुविधाओं का सुचारू रख–रखाव व सिंचाई हेतु पानी आपूर्ति के दौरान पानी की हानि को कम किया जाना महत्वपूर्ण कार्य है। वर्तमान में सिंचाई क्षेत्र में निवेश नाबार्ड से ऋण तथा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यतः किया जा रहा है। पानी के संकट से निपटने हेतु जल संरक्षण व संवर्धन सम्बन्धी कार्य भी प्रारम्भ किये जाने का विचार है। वर्ष 2009–10 में सिंचाई विभाग हेतु रु0 423 करोड़ तथा लघु सिंचाई विभाग हेतु रु0 354 करोड़ का प्राविधान है।

पेयजल :

जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अन्तर्गत पेयजल सुविधा सुलभ कराना सरकार की प्राथमिकता में सम्मिलित है। पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन तथा संचालन के लिए पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जनसहभागिता को सरकार बढ़ावा दे रही है।

ग्रामीण जलापूर्ति कार्यों हेतु वर्ष 2009–10 में रु0 118 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

राज्य के नगरीय क्षेत्रों हेतु पेयजल व्यवस्था के लिए रु0 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है। वर्तमान में राज्य के 20 नगरों के आन्तरिक जलोत्सारण की आंशिक व्यवस्था उपलब्ध है जिसका विस्तार किये जाने हेतु रु0 8 करोड़ का प्राविधान किया गया है। जे0एन0एन0 यू0आर0एम0 के अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार तथा नैनीताल में पेयजल सुविधाओं में सुधार की स्वीकृति दी गई है। गंगा एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करना भी महत्वपूर्ण है जिस हेतु वर्तमान परिसम्पत्तियों के रख–रखाव के लिए रु0 20 लाख का प्राविधान है।

सड़क एवं सेतु :

प्रदेश के विकास तथा सुगम आवागमन के लिए सम्पर्क मार्गों का पर्याप्त आच्छादन होना महत्वपूर्ण है। इस हेतु वर्ष 2009–10 में लगभग रु0 1007 करोड़ का प्राविधान है।

राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत देहरादून–हरिद्वार मार्ग में लच्छीवाला रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण प्रगति पर है तथा आशा है कि दिसम्बर, 2009 तक कार्य पूर्ण हो जायेगा। असलम–नगुन–भवान मोटर मार्ग का निर्माण भी प्रगति पर है जिसके निर्माण हो जाने पर जनपद उत्तरकाशी की देहरादून से दूरी कम हो जायेगी। जनपद नैनीताल में हल्द्वानी–रामनगर मोटर मार्ग में कोसी नदी पर सेतु निर्माण हेतु पी0पी0पी0 पद्धति पर स्वीकृति प्रदान की गई है। देहरादून में जौलीग्रान्ट–थानों–रायपुर चार लेन फास्ट ट्रैक मार्ग की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य में विभिन्न शासकीय निर्माण कार्यों को सम्पादित करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम गठित किया जा चुका है।

औद्योगिक विकास :

सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में प्रत्यशील है। पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए विशेष स्वीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2008 के अन्तर्गत सुविधाएँ दी जा रही हैं। लघु औद्योगिक इकाईयों के लिए ब्याज उपादान योजना को 31 मार्च, 2010 तक विस्तारित किया गया है।

हस्तशिल्प कारीगरों, हथकरघा तथा बुनकरों के उत्पादों की बिक्री हेतु "हिमाद्रि" ब्रान्ड नाम से विपणन व प्रदर्शन किया जा रहा है तथा प्रदर्शनियों और एक्सपो आदि के आयोजन भी किये जा रहे हैं। बुनकरों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाएँ भी संचालित की जा रही हैं। समूह प्रयास (ग्रुप एप्रोच) के अन्तर्गत बुनकरों के छोटे–छोटे समूहों को कार्यशाला निर्माण, मार्जिन मनी, उपकरण क्रय तथा प्रशिक्षण हेतु सहायता दी जा रही है।

वर्ष 2009–10 में रु0 57.90 करोड़ का बजट प्राविधान औद्योगिक विकास विभाग हेतु किया गया है।

शहरी विकास एवं आवास :

राज्य सरकार शहरी निकाय क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण एवं इन क्षेत्रों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाएँ विकसित करने के लिए प्रयास कर रही है जिस हेतु विभिन्न केन्द्र सहायतित योजनाओं तथा एशियन डेवलपमैंट बैंक से वित्त पोषित योजनाओं आदि के अन्तर्गत निवेश किया जा रहा है। शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सार्वभौम रोजगार योजना व स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालय तथा शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय निर्मित करने हेतु कम लागत के अन्तर्गत शोचालय निर्माण के साथ–साथ नगरों में ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन कार्य पर बल दिया जा रहा है।

विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु 2009–10 में रु0 447.17 करोड़ का बजट प्राविधान है।

टिहरी बाँध परियोजना से बनी झील के कारण उपलब्ध अवसर व स्थिति के दृष्टिगत सुनियोजित विकास के लिए टिहरी झील परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

कुम्भ मेला 2010 :

राज्य निर्माण के बाद 2010 में राज्य का पहला पूर्ण कुम्भ मेला आयोजित हो रहा है। इस मेले हेतु स्थायी परिसम्पत्तियों/संरचनाओं के निर्माण सहित अस्थाई कार्यों को भी निर्मित किया जा रहा है। वर्ष 2009–10 में इस हेतु 100 करोड़ का प्राविधान है।

समाज कल्याण :

राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक एवं निःशक्त जनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। उक्त वर्गों की समस्याओं के सार्थक समाधान हेतु सरकार अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास कर रही है। शारीरिक एवं मानसिक अपंगता के कारण जिन बच्चों की शिक्षा मुख्य धारा के विद्यालयों में सम्भव नहीं है, उनके लिए विशेष विद्यालय संचालित किये जायेंगे।

राज्य सरकार इन वर्गों के शैक्षिक विकास पर विशेष बल दे रही है। वर्ष 2009–10 में अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभान्वित करने हेतु रु0 18 करोड़, अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु रु0 4.6 करोड़, पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु रु0 12.45 करोड़, निःशक्तजन छात्र/छात्राओं के लिए रु0 45 लाख तथा अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए रु0 2.98 करोड़ की छात्रवृत्ति का प्राविधान है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रावासों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण तथा एकलव्य आदर्श विद्यालय की स्थापना हेतु लगभग रु0 6.40 करोड़ का प्राविधान है। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आवासीय सुविधा की व्यवस्था हेतु छात्रावास निर्माण के लिए रु0 50 लाख की व्यवस्था है। कालसी में कक्षा 6 से 12 तक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापना एवं पदों के सृजन हेतु रु0 2.12 करोड़ का प्राविधान है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले समस्त परिवार के एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को गौरादेवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत रु0 25,000 की धनराशि राष्ट्रीय बचत–पत्र के रूप में दी जा रही है। इस हेतु वर्ष 2009–10 हेतु रु0 15 करोड़ का बजट प्राविधान है।

सामाजिक उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग भरण–पोषण तथा विधवा भरण–पोषण अनुदान, बी0पी0एल0 परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता आदि हेतु 2009–10 में रु0 139.65 करोड़, विधवाओं की पुत्रियों की शादी, वृद्ध एवं अशक्त लोगों के लिए आश्रम, भिक्षुक गृह तथा लावारिसों के दाह संस्कार हेतु रु0 86 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

सैनिक कल्याण :

राज्य में बड़ी संख्या में सेवारत सैनिक, पूर्व सैनिक एवं दिवंगत सैनिकों की विधवाएँ व आश्रित हैं। इनके कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएँ व कार्यक्रम सरकार चला रही है। सैनिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं हेतु वर्ष 2009–10 में रु0 14.74 करोड़ का प्राविधान है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास :

राज्य के लगभग 4200 प्रारम्भिक शिशु देखभाल केन्द्रों पर पोषक आहार वितरण योजना को प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के साथ समेकित रूप से संचालित किया जायेगा।

वर्ष 2009–10 में ''नन्दा देवी कन्या योजना'' नामक नई योजना प्रस्तावित है जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों में जन्मी कन्या शिशु को रु0 पाँच हजार की धनराशि एफ0डी0 के रूप में दी जाएगी। विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु रु0 16 करोड़ का प्राविधान है।

जलागम :

प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, जमीन तथा वनों के सुनियोजित उपभोग एवं प्रबन्धन तथा कृषि आधारित कार्यक्रमों को जन उपयोगी बनाने हेतु जलागम प्रबन्धन एवं

विकास को महत्व दिया जा रहा है। जलागम प्रबन्धन योजनाएँ ग्राम पंचायतों के माध्यम से चलाई जा रही हैं जिनमें ग्रामीणों की क्षमता विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या) पर्वतीय जनपदों के 18 विकास खण्डों में संचालित की जा रही है। वर्ष 2009–10 हेतु जलागम प्रबन्ध की विभिन्न योजनाओं हेतु रु0 92.16 करोड़ का प्राविधान है।

वन एवं पर्यावरण :

वनों एवं वन्य जीवों का हिमालयी क्षेत्र में विशेष महत्व है। वनों का जनसामान्य के लिए भी अत्यधिक महत्व है। अतः वनों का अनुरक्षण, देख–रेख तथा विकास कार्यों हेतु सरकार निरन्तर प्रयासरत है। इस हेतु विभिन्न केन्द्रपोषित तथा राज्य पोषित योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। वानिकी कार्य रोजगार सृजन के लिए भी विशेष स्थान रखता है। राज्य सरकार वनों के प्रबन्धन में जन सहभागिता तथा पंचायतों की सहभागिता को भी महत्वपूर्ण स्थान दे रही है। नर्सरी विकास, रोजगार परक वृक्षारोपण तथा औषधीय व सगन्ध पौधालयों की स्थापना आदि कार्य भी किये जा रहे हैं। नर्सरी विकास में महिलाओं की सहभागिता ली जा रही है। वन एवं पर्यावरण के प्रति जारूगकता व आकर्षण बढ़ाने के दृष्टिगत इकोटूरिज्म की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। इन सभी कार्यों हेतु वर्ष 2009–10 में रु0 334.08 करोड़ का प्राविधान है।

कृषि :

कृषि क्षेत्र में उचित वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना एवं तद्क्रम में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना महत्वपूर्ण बिन्दु है। खाद्यान्न उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि हेतु मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों हेतु अलग–अलग तीन वर्षीय रणनीति तैयार की गई है। जहाँ मैदानी क्षेत्रों में मृदा स्वास्थ्य सुधार, एकीकृत कीट प्रबन्धन, एकीकृत पोषक प्रबन्धन, खरपतवार नियंत्रण तथा विभिन्न फसल चक्र अपनाने पर बल दिया जाएगा, वहीं पर्वतीय क्षेत्र में भूमि संरक्षण, जल प्रबन्धन, जैविक खेती, फलों और दलहन–तिलहन उत्पादन पर बल दिया जायेगा। गुणात्मक बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास व सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था की जा रही है।

कृषि क्षेत्र में चहुँमुखी विकास हेतु समग्र जिला कृषि योजना तैयार की जा रही है जिसमें कृषि, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य पालन सम्बन्धी समस्त क्रियाकलाप सम्मिलित होंगे।

उक्त की पूर्ति हेतु विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2009–10 में रु0 273.61 करोड़ का प्राविधान है।

गन्ना एवं चीनी उद्योग :

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं यथा अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण, एन0सी0डी0सी0 ऋण के अन्तर्गत गोदाम निर्माण आदि में वर्ष 2009–10 में रु0 95 लाख का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

उद्यान :

राज्य की लगभग 279 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं सब्जियों के अन्तर्गत आच्छादित है। जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बेमौसमी सब्जियाँ, जड़ी–बूटि सगन्ध पौध, मशरूम शहद, रेशम तथा चाय जैसे नकदी फसलों की भी अच्छी सम्भावनाएं विद्यमान है। वर्ष 2009–10 में उद्यान विभाग हेतु रु0 81.06 करोड़ का प्राविधान है।

पशुपालन, डेरी विकास तथा मत्स्य पालन :

कृषि के साथ पशुपालन भी राज्य के लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण अंग है। राज्य की पशुधन एवं कुक्कुट संपदा के संरक्षण एवं विकास हेतु चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, विभिन्न रोगों से बचाव हेतु रोग प्रतिरोधी टीकाकरण करने, गर्भाधान एवं नस्ल सुधार सुविधा उपलब्ध कराने तथा उन्नत पशुपालन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2009–10 में रु0 12.77 करोड़ की धनराशि प्राविधानित है।

दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को उत्पादित दूध की उचित कीमत दिलाने के साथ–साथ संग्रहीत दूध को प्रसंस्कृत करते हुए उपभोक्ताओं को दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इस हेतु डेरी विकास विभाग का कार्य त्रिस्तरीय सहकारी पद्धति "आनन्द प्रणाली" पर संचालित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में पशुपालन एवं डेरी विकास के लिए रु0 12.67 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

सहकारिता :

राज्य में 10 जिला सहकारी बैंक, 757 पैक्स एवं 3 शीर्ष सहकारी संस्थाएँ कार्यरत हैं। कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु कृषकों को फसली ऋण एवं कृषि निवेशों को उपलब्ध कराने में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। सहकारिता विभाग हेतु वर्ष 2009–10 में रु0 22.51 करोड़ का प्राविधान है।

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण :

राज्य सरकार जनसामान्य को उचित चिकित्सा सुविधाएँ सुलभ कराने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। राज्य में गुणवत्तापरक चिकित्सा तथा निदान सुविधाएँ उपलब्ध कराने में जहाँ मानव संसाधन की कमी एक चुनौती है वहीं दक्ष चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना भी चुनौतीपूर्ण है। इसके निराकरण हेतु लोक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) माध्यम से मोबाइल चिकित्सालयों एवं एम0आर0आई0 मशीन के संचालन के रूप में हमने कदम बढ़ाए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से पी0पी0पी0 माध्यम से पिथौरागढ़ एवं कोटद्वार में डाईग्नोस्टिक सैन्टर की स्थापना का भी प्रयास किया जा रहा है।

पं0 दीन दयाल उपाध्याय 108 आपात कालीन सेवा अल्प समय में ही जनता में अत्यन्त लोक प्रिय हुई है। इस योजना की उपयोगिता व लोक प्रियता को देखते हुए 18 अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था की जा रही है।

विधान सभा में होम्योपैथिक चिकित्सालय तथा राज्य में राजकीय होम्योपैथिक औषधि प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी। रूद्रप्रयाग, चमोली, चम्पावत तथा अल्मोड़ा जनपद चिकित्सालयों में ब्लड बैंक की स्थापना व पदों के सृजन हेतु 48.30 लाख का प्राविधान है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय, देहरादून के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु पदों के सृजन के लिए कुल रु0 58.68 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में चिकित्सा के लिए रु0 575 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

चिकित्सा शिक्षा :

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान श्रीनगर के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2009–10 में रु0 10 करोड़ तथा संचालन हेतु रु0 17.82 करोड़ का प्राविधान है। मेडिकल कॉलेज के टीचिंग अस्पताल एवं उसमें ब्लड बैंक की स्थापना के लिए रु0 65.25 लाख का प्राविधान किया गया है।

विद्यालयी शिक्षा :

शिक्षित मानव संसाधन किसी भी राज्य तथा देश की मुख्य पूँजी है। शिक्षा से ही रूढ़ियों एवं सामाजिक विषमताओं से निपटा जा सकता है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए राज्य में 25 विकास खण्डों में कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय स्थापित हैं। बी0पी0एल0 परिवारों की बालिकाओं को कक्षा–9 व 10 में प्रवेश हेतु छात्रवृत्ति दी जा रही है एवं राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं। मध्यान्ह भोजन एवं कक्षा–1 से 8 तक विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को वितरण योजना भी चल रही है। अभी तक प्रदेश में राजकीय एवं राज्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–1 से 8 तक सभी छात्र–छात्राओं को तथा कक्षा–9 से 12 तक सभी छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है परन्तु अब कक्षा–1 से 12 तक सभी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। पाँच जनपदों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों हेतु पदों का सृजन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में विद्यालयी शिक्षा विभाग हेतु रु0 2684 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।

विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं जिस हेतु शिक्षक तथा प्रधानाचार्य की शैक्षिक डायरी, निदेशालय स्तर के अधिकारियों को अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जनपद का नोडल अधिकारी नामित करना, कक्षा 5वीं व 8वीं में जिला स्तरीय परीक्षा का आयोजन आदि कदम उठाये गये हैं। उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु भी कड़े कदम उठाये गये हैं।

उच्च शिक्षा :

राज्य सरकार प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयासरत है। राज्य के 10 राजकीय महाविद्यालयों में 2 पुरूष एवं 10 महिला छात्रावासों में से 8 का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 4 छात्रावास निर्माणाधीन हैं। इस वर्ष दून विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। उच्च शिक्षा के अन्तर्गत रु0 118.51 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

तकनीकी शिक्षा :

राज्य में वर्तमान में 35 राजकीय पॉलिटैक्निक तथा 12 निजी क्षेत्र में पॉलिटैक्निक संचालित हैं। राजकीय पॉलिटैक्निकों में शिक्षकों में कमी की पूर्ति अतिथि व्याख्याता के रूप में संविदा आधार पर शिक्षकों से की जा रही है। राज्य में दो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज एवं प्रौद्योगिक महाविद्यालय, पन्त नगर विश्वविद्यालय सहित कई इंजीनियरिंग कॉलेज तथा उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय भी संचालित हैं। तकनीकी शिक्षा हेतु 2009–10 में रु0 54.70 करोड़ का बजट प्राविधान है।

संस्कृति :

राज्य की ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन तथा संरक्षण का हमारे लिए विशेष महत्व है। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रख–रखाव एवं उन्नयन हेतु संगीत, नृत्य, नाट्य, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कला आदि का विकास तथा प्रचार–प्रसार महत्वपूर्ण है। हमारे लिए अपने प्राचीन एवं पुरातात्विक स्थानों और स्मारकों का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संस्कृति विभाग हेतु वर्ष 2009–10 में रु0 988 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

खेल एवं युवा कल्याण :

विभिन्न स्पोर्ट्स स्टेडियमों के निर्माण, अगस्त्यमुनि में जनपद स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स के अवशेष कार्यों, स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून के विस्तारीकरण, जनपदों में खेलों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रतियोगी टीम के खिलाड़ियों को किट उपलब्ध कराने आदि सहित विभाग के लिए वर्ष 2009–10 में रु0 25 लाख का बजट प्राविधान है।

ग्राम पंचायतों में खेल मैदान निर्माण हेतु केन्द्र पोषित योजना के सापेक्ष वर्ष 2009–10 में रु0 227 लाख का प्राविधान किया गया है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क :

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग की प्रदेश सरकार एवं जनता के मध्य समन्वय स्थापित करने तथा सरकार की नीतियों तथा योजनाओं की जानकारी विभिन्न संचार माध्यमों से जनता तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार मीडिया के हितों को वरीयता दे रही है। वर्ष 2009–10 में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हेतु रु0 22.50 करोड़ का प्राविधान है।

गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा :

राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु सुदृढ़ कानून व्यवस्था का विशेष महत्व है। राज्य की प्रमुख 13 तहसीलों में अभिसूचना तंत्र को सुदृढ़ किया जायेगा। स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया जाना प्रस्तावित है। अपराधिक वादों के निस्तारण

हेतु अभियोजन विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। करापवंचन रोकने हेतु भी अतिरिक्त पुलिस बल स्वीकृत किया गया है।

जनपद पौड़ी एवं चमोली में नवीन जिला कारागारों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। जनपद चम्पावत में जिला कारागार का निर्माण प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में पुलिस हेतु रु0 473.52 करोड़ एवं कारागार विभाग हेतु रु0 18.84 करोड़ प्राविधानित है।

न्याय :

विभिन्न जनपदों में 15 न्यायालयों की स्थापना की अधिसूचना गत वर्ष निर्गत हुई है। इन न्यायालयों की स्थापना के लिए वर्ष 2009–10 में भूमि/भवन व्यवस्था हेतु रु0 500 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

राजस्व :

भू–अभिलेखों का अध्यावधिक रख–रखाव एवं उनकी सुलभ उपलब्धता आज के समय में वांछनीय है। भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु प्रथम चरण में कलेक्ट्रेट स्तर एवं द्वितीय चरण में तहसील स्तर पर यह कार्य किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप जनता को अब कम्प्यूटरीकृत खतौनियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय का भवन निर्माण अन्तिम चरण में है जिसे शीघ्र पूर्ण किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु राजस्व विभाग के लिए रु0 93.20 करोड़ का प्रविधान है।

आपदा प्रबन्धन :

उत्तराखण्ड राज्य का अधिकांश भू–भाग दैवीय आपदाओं की दृष्ट से संवेदनशील है। आपदा राहत कोष हेतु वर्ष 2009–10 में रु0 169.05 करोड़ का प्राविधान किया गया है। आपदाओं के आकड़ों का एकत्रीकरण खोज एवं बचाव कार्यों हेतु प्रशिक्षण तथा जागरूकता आदि कार्यों हेतु आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (डी0एम0एम0सी0) के लिए रु0 100 लाख का प्राविधान किया गया है। आपदा सम्बन्धी सूचनाओं का त्वरित आदान–प्रदान तथा अन्य कार्यों हेतु राज्य व जनपद स्तर पर आपातकालीन संचालन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं जिनके लिए वर्ष 2009–10 में रु0 50 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पंचायती राज :

वर्ष 2008 में 12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न कराये गये एवं वर्ष 2010 में जनपद हरिद्वार में चुनाव प्रस्तावित हैं। क्षेत्र पंचायत निधि हेतु वर्ष 2009–10 में रू0 23.75 करोड़ का प्राविधान है। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था भी की गई है। संविधान के 73वें संशोधन के आलोक में 11वीं

अनुसूची में वर्णित विषयों में से प्रथम चरण में 14 विषयों को पंचायतों के नियंत्रण में लाया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2009–10 में पंचायती राज विभाग हेतु रु0 80 करोड़ का प्राविधान है।

ग्राम्य विकास :

प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, इन्दिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सक्रियतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौ पूर्णकालिक एवं समर्पित खण्डों की व्यवस्था की जा चुकी है जिससे निर्माण कार्यों की प्रगति में सुधार हुआ है। वर्ष 2009–10 हेतु ग्राम्य विकास की विभिन्न योजनान्तर्गत रु0 381.64 करोड़ की व्यवस्था है।

प्रदेश के 5 जनपदों टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर के 17 विकास खण्डों में समाज के कमजोर वर्गों हेतु बेहतर आजीविका अवसरों को प्रोत्साहित करते हुए उनकी आजीविका सुधार हेतु बाह्य सहायतित परियोजना चलायी जा रही है।

श्रम रोजगार योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के लिए रु0 19.53 करोड़, ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना के लिए रु0 23.21 करोड़ तथा समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम तथा जलागम योजनाओं हेतु रु0 226 लाख का बजट प्राविधान है। राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के राज्य स्तर पर अनुश्रवण हेतु एक प्रकोष्ठ भी स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन आदि के लिए राज्यांश के रूप में रु0 43 करोड़ का प्राविधान है।

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित किये जाने हेतु पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना संचालित की जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आवास योजना के लिए रु0 7.20 करोड़ का प्राविधान है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

प्रदेश में विज्ञान का लोकव्यापीकरण के साथ–साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रत्येक स्तर पर उपयोग तथा विकास योजनाओं के निरूपण व क्रियान्वयन में अंतरिक्ष उपयोग तकनीकी आदि के लिए रु0 391 लाख का प्राविधान किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी :

शासन व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता, विश्वसनीयता तथा जनता के द्वार तक सूचना की पहुँच के बिन्दु आज के युग में सरकार व जनता दोनों के लिए शीर्ष महत्व

के हैं। इस हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का हर स्तर पर उपयोग अनिवार्य हो गया है। राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्टेट डाटा सैन्टर एवं गाँवों तक सूचना व सेवा उपलब्ध कराने हेतु नागरिक सेवा केन्द्र आदि कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही ई–जनपद, क्षमता विकास एवं सरकारी विभागों में कम्प्यूटरीकरण हेतु मिशन मोड परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2009–10 में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए रु0 15.20 करोड़ का प्राविधान है।

पर्यटन :

उत्तराखण्ड में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विगत वर्षों में तैयार कराये गये मास्टर प्लानों के अनुसार चारधाम यात्रा मार्गों पर सुलभ शौचालयों का उच्चीकरण/नवीनीकरण, जनपद बागेश्वर में घाटों का निर्माण आदि कार्य किये जा रहे हैं। औली में स्कियर एवं पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिताओं की मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए भी स्वीकृत दी गई है।

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में 555 उद्यमियों को राज सहायता वितरित की गई जिसे आगे भी चलाया जा रहा है।

चारों धामों में पार्किंग निर्माण, चार धाम यात्रा मार्गों पर पर्यटक आवास गृहों का उच्चीकरण, पर्यटक सूचना केन्द्रों/सुविधा केन्द्रों का निर्माण, ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन, सीवरेज ट्रीटमेन्ट, सुलभ शौचालयों का निर्माण एवं वर्षा शेड का निर्माण आदि योजनाएँ भी क्रियान्वित की जा रही है।

इको पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न जनपदों में ग्रामीण पर्यटन योजना के अन्तर्गत जागेश्वर, कसारदेवी, माणा, कोटी, इन्द्रौली, पत्यूड़, मोटाड़, अगोड़ा (डोडीताल), सारी (देवरियाताल), वैकूनीबोरा, त्रियुगीनारायण, पदमपुरी, आदिकैलाश, नानकमत्ता ग्रामों के विकास की कार्यवाही गतिमान है। वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के लिए रु0 73.55 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है।

नागरिक उड्डयन :

राज्य में विशिष्ट व्यक्तियों की हवाई यात्राओं के साथ पर्यटन एवं प्रौद्योगिक विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु विमानन गतिविधियाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तारित रनवे से नियमित विमान सेवायें प्रारम्भ कर दी गई हैं। स्टेट इन्क्लोजर के अन्तर्गत वी0आई0पी0 लाउन्ज का निर्माण कर साज-सज्जा की जा चुकी है। इसी परिसर के लैण्ड स्कैपिंग की योजना के साथ ही यहाँ पर जहाजों के पार्किंग हेतु एक बड़े हैंगर के निर्माण का प्रस्ताव है। पन्तनगर हवाई अड्डे को कार्गों एअरपोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना के अन्तर्गत पन्तनगर हवाई अड्डे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

राज्य की हवाई पट्टियों को क्रियाशील किये जाने की योजना के अन्तर्गत नैनी-सैनी हवाई पट्टी के विस्तारीकरण एवं उच्चीकरण हेतु प्रयास किया जा रहा है। गौचर एवं चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टियों को क्रियाशील करने हेतु भी प्रयास किया जा रहा है। गौचर हवाई पट्टी को तीर्थ स्थलों तथा पर्यटन स्थलों के पर्यटन आवागमन को देखते हुए हैलीकॉप्टर सर्विस हब के रूप में विकसित करने की योजना के अन्तर्गत हैंगर के निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है।

हवाई पट्टियों को क्रियाशील करने, व्यावसायिक विमान सेवाओं का विस्तार तथा प्रत्येक जनपद में उपयुक्त स्थलों पर कम से कम एक हैलीपैड के निर्माण आदि के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 में इस हेतु रु0 19.50 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता को खाद्यान्न चीनी, मिट्टी तेल आदि उपलब्ध कराना, खाद्यान्न भण्डारण, बाट-माप नियंत्रण, समर्थन मूल्य पर किसानों से खाद्यान्न क्रय आदि क्रियाकलाप खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा देखे जा रहे हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु जिला उपभोक्ता फोरम एवं राज्य उपभोक्ता आयोग क्रियाशील हैं। ग्रामीण विषम भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करने वाले बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय परिवारों की महिलाओं के लिए निःशुल्क गैस कनैक्शन उपलब्ध कराये जाने की योजना चयनित विकास खण्डों में प्रारम्भ की गई थी जिसके अन्तर्गत मार्च, 2009 तक 3,654 कनैक्शन दिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 में खाद्यान्न एवं नागरिक आपूर्ति की विभिन्न योजनाओं हेतु रु0 23.70 करोड़ का प्राविधान है।

श्रम, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन :

राज्य में 104 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनके माध्यम से 33 व्यवसायों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में 29 निजी औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को शिशिक्षु-प्रशिक्षण योजनान्तर्गत कार्य स्थल पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है जिस हेतु 221 नियोजकों के यहाँ 2,166 शिशिक्षु स्थान उपलब्ध हैं। विभिन्न

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कैम्पस साक्षात्कार की व्यवस्था भी की जा रही है जिससे वर्ष 2008 में 1,549 लोगों का चयन हुआ है। वर्ष 2009–10 में प्रशिक्षण श्रम एवं रोजगार हेतु कुल रु0 4.14 करोड़ का बजट व्यवस्था की गई है।

नियोजन :

नियोजन विभाग के माध्यम से स्वतंत्र व्यवस्थान्तर्गत रु0 1 करोड़ से रु0 5 करोड़ की पूँजी वाली परियोजनाओं के पूर्ण तथा निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता की तकनीकी जाँच सेवानिवृत्त अभियन्ताओं के पैनल से सम्पादित करायी जा रही है जबकि रु0 5 करोड़ की बड़ी योजनाओं के सम्बन्ध में वाह्य संस्थाओं से कराने के उद्देश्य से चार संस्थाएँ सूचीबद्ध कर ली गई हैं। इस प्रकार विकास कार्यक्रमों की धरातल पर गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्ष विशेषज्ञों से सघन मूल्यांकन कराया जायेगा जिसके लिए रु0 2.5 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

भौतिक एवं सामाजिक क्षेत्र की ऐसी अवस्थापना परियोजनाएँ, जो वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं हों परन्तु जो राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनके लिए सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत निजी पूँजी निवेश आकर्षित करने हेतु लोक निजी सहभागिता के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए बायेबलिटी गैप फंडिंग योजना तैयार की गई है। इस हेतु रू0 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

राज्य में सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) निवेश आकर्षित करने तथा भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत अधिकतम अनुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से नियोजन विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पी0पी0पी0 प्रकोष्ठ गठित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में भी इस प्रकोष्ठ हेतु रु0 20 लाख का प्राविधान है।

मान्यवर :

अब मैं, वित्तीय वर्ष 2009–10 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा।

वर्ष 2009–10 में रु0 13909.16 करोड़ की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

कुल प्राप्तियों में रु0 10947.67 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ तथा रु0 2961.49 करोड़ की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2009–10 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश रु0 5074.77 करोड़ है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश रु0 1545.88 करोड़ सम्मिलित है।

व्यय :

वर्ष 2009–10 में राज्य को ऋणों के प्रतिदान पर रु0 611.58 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में रु0 1510.91 करोड़, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर रु0 4425.13 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रु0 386.09 करोड़, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में रु0 1296.30 करोड़ व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2009–10 में कुल व्यय रु0 14737.78 करोड़ अनुमानित हैं।

कुल व्यय में रु0 11161.11 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा रु0 3576.27 करोड़ पूँजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि का घाटा :

समेकित निधि में रु0 4522.68 करोड़ आयोजनागत पक्ष में तथा रु0 10214.70 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में व्यय प्रस्तावित हैं। राजस्व व्यय में रु0 2287.53 करोड़ आयोजनागत तथा रु0 8873.58 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है। इसी प्रकार रु0 2235.15 करोड़ आयोजनागत पूँजी लेखा तथा रु0 1341.12 करोड़ आयोजनेत्तर पूँजी लेखा हेतु प्रस्तावित हैं।

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2009–10 में अनुमानित घाटा रु0 828.22 करोड़ है।

लोक–लेखा से समायोजन :

वर्ष 2009–10 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए रु0 800 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

अंतिम शेष :

वर्ष 2009–10 में प्रारम्भिक शेष को लेते हुए अन्तिम शेष रु0 627.37 करोड़ ऋणात्मक होना अनुमानित है।

मेरा यह मानना है कि जहाँ राज्य सरकार को एक लोक हितैषी संस्था के रूप में चलाए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए मूल सिद्धान्त तथा लक्ष्य हमारे महान संविधान में निर्धारित हैं वहीं दक्षता, पारदर्शिता एवं समय से कार्यपूर्ति आदि पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। एक ओर जनता की चुनी हुई सरकार होने के नाते हमारा लोक धन की सुरक्षा व संरक्षण करने का दायित्व है, वहीं दूसरी ओर उस धन का सदुपयोग जनहित व लोक कल्याण के लिए करने का भी दायित्व है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम इस गुरूत्तर दायित्व का निर्वहन करने में सफल रहेंगे।

मुझे उत्तराखण्ड के निवासियों व कर्मचारियों पर गर्व है कि राज्य निर्माण के बाद उन्होंने राज्य के तीव्र विकास के लिए मनोयोग से सहयोग दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका योगदान हमें आगे भी मिलता रहेगा।

मान्यवर :

अन्त में, मैं मंत्रिमण्डल के अपने समस्त सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिनके सहयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करना सम्भव हो सका। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो सहायता मुझे बजट बनाने और उसको समय से प्रस्तुत करने में दी है, उसके लिए मैं, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति उनके द्वारा इस कार्य में दी गई सहायता के लिए भी कृतज्ञ हूँ। राजकीय मुद्रणालय तथा एन0आई0सी0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके अथक परिश्रम एवं सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया जा सका।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वर्ष 2009–10 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।

आषाढ़ 23, शक संवत 1931

तद्नुसार,

14 जुलाई, 2009

पेज नं0–4 की पंक्ति सं0–3 में शब्द "जायेगी" के बाद "श्रीमन्, यह 500 गाँव पहले चरण के वो होंगे जो अटल आदर्श ग्राम योजना के तहत सम्पूर्ण विकसित होंगे और इस राज्य के लिए एक मॉडल होंगे।" कहा गया।

पेज नं0–4 की पंक्ति संख्या–6 में शब्द "जायेगी" के बाद "अभी तक इस राज्य में नहीं थे।" कहा गया।

पेज नं0–4 की पंक्ति संख्या–9 में शब्द "है" के बाद "2010 में यह सौभाग्य हमको मिल रहा है, जब हरिद्वार में कुम्भ मेला आयोजित होगा। इसके लिए यद्यपि 500 करोड़ रु0 व्यय होना है लेकिन राज्य सरकार ने 100 करोड़ की व्यवस्था की है जबकि 294 करोड़ रु0 की स्वीकृति है।" कहा गया।

पेज नं0–4 में पंक्ति संख्या–14 के बाद "श्रीमन्, यह देवभूमि है और इसलिए देवभूमि में एक मुस्कान परियोजना हमने चलाने का निश्चय किया, मुस्कान परियोजना" कहा गया।

पेज नं0–5 की पंक्ति संख्या–12 में शब्द ''जायेंगे'' के बाद ''जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।'' कहा गया।

पेज नं0 5 में पक्ति संख्या–14 में शब्द ''स्थली है'' के बाद ''यह चरक ऋषि की जन्मस्थली तपोवन है।'' कहा गया।

पेज नं0 7 की पंक्ति संख्या–2 के बाद ''दून अस्पताल में श्रीमन्, विश्व की अत्याधुनिक एम0आर0आई0 मशीन का संचालन लोक निजी सहभागिता के माध्यम से प्रारम्भ किया गया है। श्रीमन्, मुझे यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि देश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी राजकीय चिकित्सालय को पूरे देश के अन्दर उसकी उत्कृष्ट चिकित्सा से सम्बन्धित चिन्हित किया गया है और आई0एस0ओ0 उसको मिला हो। यह हमारे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि राजकीय क्षेत्र में पूरे देश के अन्दर पहली बार इस चिकित्सालय को यह हासिल हुआ है।'' कहा गया।

पेज नं0 8 की शुरूआत में ''श्रीमन्, मैं यह भी बताना जरूरी समझता हूँ इस सदन को, कि इस राज्य में शिशु मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर बहुत ही कम हुए हैं। 108 आने के बाद 22500 ऐसे प्रसूति जो संस्थागत प्रसव हुए हैं इस हिसाब से 45000 माँ और बच्चे के जीवन की एक ही वर्ष में इस राज्य ने सुरक्षा की है, 108 के माध्यम से।'' कहा गया।

पेज नं0 8 में पंक्ति संख्या–10 में शब्द ''जायेगा'' के बाद ''तीन अन्य स्थानों पर बी0एस0सी0 नर्सिंग कालेज खोले जायेंगे।'' कहा गया।

पेज नं0 8 में पंक्ति संख्या–12 में शब्द ''जायेगा'' के बाद ''जबकि श्रीमन्, आपके संज्ञान में है कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज देश का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज है जो और केवल 15000 रु0 में अपने बच्चों को एम0बी0बी0एस0 करवा रहा है।'' कहा गया।

पृष्ठ संख्या–10 की चौथी पंक्ति में ''सुरक्षा प्रदान करने हेतु'' के बाद ''पहली बार'' कहा गया।

पृष्ठ संख्या–11 की पहली पंक्ति में ''सुरक्षा प्रदान करने हेतु'' के बाद ''संस्थान'' कहा गया।

पृष्ठ संख्या–11 की दूसरी पंक्ति में ''शीघ्र किया जायेगा'' के बाद ''और यह भी प्रदेश का पहला मानसिक रोग चिकित्सालय होगा'' कहा गया।

पृष्ठ संख्या–11 की पाँचवी पंक्ति में "संयोजन दिये जायेंगे" के बाद "यह भी अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–13 में पहली पंक्ति में "स्थापना की" के स्थान पर "योजना बनाई" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–19 के "ऊर्जा" शीर्षक में "ऊर्जा का क्षेत्र हमारा बड़ा क्षेत्र है" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–22 की अन्तिम पंक्ति से पहली पंक्ति में "प्रारम्भ किये जाने का विचार है" के स्थान पर "प्रारम्भ किया गया है" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–23 की पहली पंक्ति में "का प्राविधान" के स्थान पर "का इसमें प्राविधान" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–23 की आठवीं पंक्ति में "कार्यों" हेतु वर्ष" के स्थान पर "कार्यों" के लिए वर्ष" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–23 की नौवीं पंक्ति में "का प्राविधान" के स्थान पर " का हमने प्राविधान" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–23 की ग्यारहवीं पंक्ति में "का प्राविधान किया गया है" के स्थान पर "का अतिरिक्त प्राविधान किया गया" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–23 की अंतिम पंक्ति में "स्वीकृत दी" के स्थान पर "स्वीकृत प्रदान कर दी गयी है" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–24 की बोल्ड हैडिंग "सड़क एवं सेतु" की पंक्ति 4 के अन्त में "सड़क एवं पुलों का बेहतर तरीके से निर्माण किया जाए" कहा गया।

पृष्ठ–25 की दूसरी पंक्ति के अन्त में "क्योंकि जिस तरीके से देहरादून में यातायात का बहुत दबाव था इस मार्ग की स्वीकृति के बाद देहरादून में यातायात का दबाव काफी कम हो जायेगा" कहा गया है।

पृष्ठ–25 की पाँचवी पंक्ति के अन्त में "श्रीमन्, यह विभाग बहुत तेजी से प्रगति पर है और इस वर्ष यह भी अपने जीवन पर आ जायेगा" कहा गया।

पृष्ठ–25 के शीर्षक "औद्योगिक विकास" की द्वितीय पंक्ति में "औद्योगिक इकाईयाँ प्रदेश में आयें, उसके लिए हम संकल्परत हैं" कहा गया।

पृष्ठ–25 के शीर्षक "औद्योगिक विकास" की सातवी पंक्ति में "जहाँ मैदानी क्षेत्र में तराई के क्षेत्र में हरिद्वार हो या ऊधमसिंह नगर हो या देहरादून हो, औद्योगिक इकाईयाँ पूरे देश से और दुनियाँ से आ रही है। वही श्रीमन्, पलायन रूक सके और वहाँ पर कच्चे माल पर आधारित योजनायें पहाड़ के नौजवान अपने हाथों में ले सकें और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। श्रीमन्, औद्योगिक विकास नीति भविष्य में मील का पत्थर साबित होगी" कहा गया।

पृष्ठ–26 के अन्त में "हिमाद्री विकास योजना भी उत्तराखण्ड के लिए एक अद्‌भुत योजना साबित होगी।" कहा गया।

पृष्ठ–27 की नवीं पंक्ति के अन्त में "टिहरी झील के निर्माण के बाद पूरी दुनिया में अपने प्रकार का एक पर्यटक स्थल बनेगा और उसके इर्द–गिर्द जो अतिक्रमण हो रहा है, वह उसकी सुन्दरता में बाधक बनेगा, इसलिए इसके तत्काल विकास के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है," कहा गया।

पृष्ठ–27 के शीर्षक "कुम्भ मेला" की द्वितीय पंक्ति में "श्रीमन्, हमारा सौभाग्य है कि दुनिया का यह सबसे बड़ा मेला है। इस समय इस महाकुम्भ में 5 करोड़ से 6 करोड़ तक लोगों के सम्मिलित होने का अनुमान है।" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–28 की पाँचवी पंक्ति में "प्रयत्नशील है" के बाद "श्रीमन्, जैसा कि आपके संज्ञान में है कि जितनी भी पेंशन, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे निराश्रित पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, उनको दुगना कर दिया गया है। पहले यह होता था कि एक सुनिश्चित संख्या होती थी और यह प्रतीक्षा होती थी कि किसी विधवा की मृत्यु होगी तब किसी दूसरी विधवा को पेंशन मिलेगी। श्रीमन्, पेंशन को भी बढ़ाया गया है। पेंशन, जो पहले थी, उसको हमने बढाया है। पहले की अपेक्षा पेंशन में सभी क्षेत्रों में, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, उसमें बढ़ोत्तरी की गयी है" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–29 की तृतीय पंक्ति में "प्राविधान है" के बाद "मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूँ कि ये पिछली बार से बढ़कर है और आपके सामने जब आंकड़े आएंगे तो आपको संतुष्टि होगी।" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–29 की नवीं पंक्ति में "व्यवस्था है" के बाद "श्रीमन्, हम आपके माध्यम से सभी सदस्यों को भी आश्वस्त कर रहे हैं कि हम आंकड़ों के साथ इसी सदन में साबित करेंगे कि तब क्या था और अब क्या है।" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–30 की द्वितीय पंक्ति में "प्राविधान है" के बाद "श्रीमन्, यह भी जनरल खण्डूडी जी की सरकार की अविरल योजना है, जिसको हम लगातार आगे बढ़ाना चाहेंगे" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–30 की अन्तिम पंक्ति में "प्राविधान है" के बाद "श्रीमन्, जैसा कि सबको पता है कि पूरे देश के अन्दर उत्तराखण्ड ऐसा प्रदेश है, जिसमें हर परिवार से औसतन एक व्यक्ति सेना में भर्ती होता है और राष्ट्र की सीमाओं पर अपने प्राण हथेली पर रखकर तैनात रहता है।" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–31 की छठी पंक्ति में "प्रस्तावित है" के बाद "मान्यवर, यह योजना देश में पहली बार हमारे उत्तराखण्ड राज्य में शुरू की गयी है।" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–37 के पंक्ति संख्या–11 में "कदम बढ़ाये हैं" के बाद "श्रीमन्, जो दून चिकित्सालय में एम0आर0आई0 मशीन स्थापित की गई वह विश्व के मानकों पर खरा उतरती है और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत सारे प्रदेशों में यह मशीन उपलब्ध नहीं है। लेकिन हमने अपने प्रदेश में इसे उपलब्ध कराया है।" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–38 में पहली पंक्ति में "उसके बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है" तथा द्वितीय पंक्ति के अन्त में "हर ब्लाक स्तर पर हमारी 108 पहुँचे, यह हमारी संकल्पना है।" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–39 की तीसरी पंक्ति के अन्त में "हम पूरी तरह से उसको सशक्त करना चाहते हैं।" तथा पांचवी पंक्ति में "देश की मुख्य पूँजी है" के बाद "उत्तराखण्ड को शिक्षा का प्रदेश माना जाता है, पूरे देश और दुनिया का बच्चा उत्तराखण्ड की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने आता है।" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–42 में प्रथम पंक्ति से पहले "श्रीमन्, हम सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखण्ड देश की संस्कृति का प्राण है।" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–44 की दूसरी पंक्ति में "स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन से" पहले "श्रीमन्, क्योंकि यह प्रदेश दो–दो अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा है, इसलिए सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–45 में शीर्षक आपदा प्रबन्धन के बाद "श्रीमन्, यह राज्य तमाम भौगोलिक स्थितियों से जुड़ा है, दैवीय और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियां तमाम समय में यहाँ घटती रहती हैं। इसलिए आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में भी सरकार ने विशेष व्यवस्था की है।" कहा गया।

पृष्ठ–48 की पंक्ति संख्या–13 के बाद "श्रीमन्, पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण आवास योजना इस सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जिससे आम जनता को आवास मिलेगा। इसमें श्रीमन्, जो बी0पी0एल0 में नहीं हैं, लेकिन जिसकी आर्थिक स्थिति बी0पी0एल से भी बदतर हो रही है, ऐसे लोगों को भी पं0 दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत आच्छादित किया जायेगा।" कहा गया।

पेज नं0–50 में सबसे पहले "पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड धरती का स्वर्ग है। प्रकृति ने जितनी बेशुमार सम्पत्ति उत्तराखण्ड को बिखेरी है श्रीमन्, शायद दुनिया में कहीं नहीं है इसलिए" कहा गया।

पेज नं0–50 में पंक्ति सं0–9 के बाद "श्रीमन्, औली आज पूरे एशिया का अपने प्रकार का एक अद्‌भुत स्थल है, जो निकट भविष्य में इस उत्तराखण्ड के लिए रीढ़ की हड्‌डी बन सकता है आर्थिक दिशा में।" कहा गया।

पेज नं0–51 में पंक्ति सं0–9 में शब्द "नानकमत्ता" के बाद "आदि ग्रामों को हमने चिन्हित किया है जिन्हें पर्यटन ग्रामों के रूप में विकसित किया जायेगा।" कहा गया।

पेज नं0–52 में पंक्ति सं0–13 में शब्द "गौचर एवं चिन्यालीसौंड़" के बाद "श्रीमन्, गौचर चमोली जिले में बद्रीनाथ के निकट और चिन्यालीसौंड़ गंगोत्री, यमुनोत्री के निकट इन" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–55 में "नियोजन" शब्द के बाद "श्रीमन्, नियोजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, आज प्रदेश की प्रगति के लिए" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–56 की नौवीं लाईन "प्राविधान है" के बाद "श्रीमन्, भारत सरकार की बहुत सारी योजनायें हैं जो वह निजी सहभागिता के क्षेत्र में करती है और हम यह कोशिश करेंगे कि भारत सरकार की जो भी इस तरह की योजनायें हैं उसका हम इस राज्य के विकास के लिए उपयोग करेंगे।" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–60 में द्वितीय पंक्ति के सहयोग शब्द के बाद "सदन में सभी जितने माननीय सदस्य हैं उनके सहयोग से" और इसी पंक्ति के शब्द "करने में" के बाद "आपके आशीर्वाद से करने में" कहा गया तथा इसी पृष्ठ के 13वें लाइन शब्द "सका" के बाद "मैं इस अवसर पर आदरणीय जनरल खण्डूड़ी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनके मार्गदर्शन में मैंने यह बजट पूरा किया है।" कहा गया।

पृष्ठ संख्या–61 में पांचवी पंक्ति के अन्त में "श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि यह दुनिया का अद्‌भुत प्रदेश है, जहाँ उत्तराखण्ड भारत का भाल है, माथा है, वहीं भारत की संस्कृति का प्राण भी है। श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि यह कालिदास की जन्मस्थली है, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने गीताञ्जली भी इसी धरती पर लिखी है। श्रीमन्, जिसके नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा वह भरत की जन्म स्थली भी इसी उत्तराखण्ड के अन्दर है। श्रीमन्, जिस आयुर्वेद के लिए दुनिया आज पागल है, उस आयुर्वेद के जन्मदाता चरक ऋषि की जन्म स्थली भी यहीं है। चार वेदों को लिखने वाले जो वेदव्यास है, उनकी भी जन्म स्थली इसी स्थान पर है। इसलिए श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक प्रकार से जो मान और सम्मान, गौरव पूरे देश और दुनिया में उत्तराखण्ड को मिला है वह माथा बनकर उभर रहा है, इस दिन का जो अभिनव प्रदेश है, यह अभिनव प्रदेश,

धरती का स्वर्ग कहलाने की पूरी ताकत रखता है। यह अभिनव प्रदेश, जो आर्थिक दृष्टि से देश का एक माडल स्टेट बन सकता है। मेरा विश्वास है कि इन सबके सहयोग से हम इस राज्य को देश के लिए मॉडल स्टेट के रूप में विकसित कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः सभी सदस्यों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद।'' कहा गया।

उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2009 (क्रमागत)

श्री किशोर उपाध्याय—

मान्यवर, मैं आभारी हूँ आपका। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2009, हम लोग इसका स्वागत करते हैं क्योंकि परा चिकित्सा से जुड़े हुए इस प्रदेश के लोग हैं जिनको विधेयक, नियम के न बनने के कारण अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पर जिस तरह से सरकार सदन के समक्ष इस विधेयक को लाई है उसमें मान्यवर, अगर हम देखें तो इस विधेयक में परा चिकित्सा से सम्बन्धित कौन—कौन से क्षेत्र हैं विधेयक में मान्यवर, उसका कहीं उल्लेख नहीं है और जब विधेयक में मान्यवर, कोई उल्लेख नहीं है कि इसमें कौन—कौन से क्षेत्र गवर्न होंगे, मान्यवर, सरकार को यह जानकारी नहीं है कि परा चिकित्सा में कौन—कौन से विषय आते हैं यह तो मान्यवर, एक अपूर्ण विधेयक है। उसके अलावा मान्यवर, अगर आप देखें अध्याय—2 में, परिषद् का मुख्यालय कहाँ होगा ? सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि इस परिषद् का मुख्यालय सरकार कहाँ बनायेगी। इस सदन को मान्यवर, जानने का अधिकार है, यह जानने का हक है। मुझे तो यह लगता है मान्यवर, जिस तरह से सरकार की स्थिति है कम से कम दो दायित्वधारी का इस विधेयक में समायोजन हो सके इसलिए विधेयक में एक अध्यक्ष की और एक उपाध्यक्ष की व्यवस्था निश्चित कर दी गयी है। जिससे जो थोड़ा असंतुष्ट आत्माएँ हैं कहीं न कहीं उनको संरक्षण दिया जा सके।

मान्यवर, इसमें सबसे बड़ी जो कमी है, इस परिषद् को पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में रखने की राज्य सरकार ने व्यवस्था की है। इसके अलावा मान्यवर, अगर आप देखेंगे कि जब आज इण्टरनेट का जमाना है सारी सूचनाएँ उपलब्ध हैं। आर0टी0आई0 का जमाना है लेकिन विधेयक में यह व्यवस्था कर रखी है मान्यवर, कि परिषद् की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त गोपनीय होगा। मान्यवर, ऐसी गोपनीयता की क्या आवश्यकता है ? इसका कहीं पर इस विधेयक में उल्लेख नहीं है और सबसे बड़ी जो विडम्बना है कि यह विधेयक जो है, जबकि हर तरफ यह आवाज पूरे देश में, पूरे विश्व में उठ रही है कि इंस्पेक्टर राज का खात्मा हो, यह विधेयक जो है इंस्पेक्टर राज को पल्लवित करता है। उसके अलावा मान्यवर, पूरी तरह से किस तरह से परा चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं मान्यवर, उनका किस तरह से शोषण हो, सुविधा शुल्क की पूरी व्यवस्था सरकार ने इस विधेयक में कर रखी है। उसके अलावा अगर आप देखें कि इस विधेयक के अन्दर सद्भाव पूर्वक की गयी कार्यवाही, तो सद्भावपूर्वक कार्यवाही क्या होगी मान्यवर, उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, कहीं कोई उसके बारे में जानकारी नहीं है और उसमें किसी परिषद् के अधिकारी या अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं है।

मान्यवर, इसके अलावा इस विधेयक द्वारा संविधान और न्यायपालिका के अधिकारों पर भी अतिक्रमण किया गया। कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी और राज्य सरकार अपना पूरा–पूरा नियंत्रण इस विधेयक के द्वारा इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों पर रखना चाहती है कि राज्य सरकार समय–समय पर परिषद् की ओर से निर्देश जारी कर सकेगी कि राज्य सरकार की राय लें इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति में और उसके लिए सहायता हो, तो फिर परिषद् की आवश्यकता क्या है। मान्यवर, इसके अलावा इसमें यह भी व्यवस्था नहीं है कि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम तथा अधिनियम बनाये जाने के पश्चात् उन्हें यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा, कोई समय सीमा तय नहीं की गयी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए या एक माह में या जो भी समय आप निश्चित समझें, वह अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करे, तो मैं इस विधेयक का इस रूप में विरोध करता हूँ।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, राज्य सरकार द्वारा इस परिषद् के गठन की विस्तृत चर्चा की गयी और माननीय सदस्य आदरणीय श्री किशोर उपाध्याय जी ने इस संदर्भ में जो कहा और विसंगतियों को उजागर करते हुए अपनी बात को रखा है उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। इसमें राज्य सरकार द्वारा परिषद् की निधि की बात की गयी है कि परिषद् की अपनी स्वयं की निधि होगी, ऐसी सभी राशियाँ जो उस राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संगत की जाए तथा परिषद् की सभी प्राप्तियाँ जिसके अन्तर्गत ऐसी धनराशि भी है जिसे कोई अन्य प्राधिकारी या कोई व्यक्ति परिषद् को सौंप सकेगा, निधि में जमा की जायेगी और परिषद् द्वारा सभी सन्दाय निधि से किया जाए। मान्यवर, इस पर स्पष्ट नहीं किया गया कि कोई व्यक्ति परिषद् को वित्तीय धनराशि क्यों सौंपेगा, क्या उसका मन्तव्य होगा या किन आधारों पर कोई व्यक्ति उस धनराशि को उस परिषद् की निधि में देगा और उस निधि से उस व्यक्ति को, उस समुदाय को, और उस समाज को और उस क्षेत्र को क्या लाभ मिल सकेगा, यह मन्तव्य उसमें साफ नहीं किया गया। मान्यवर, निधि से सम्बन्धित बैंक में ऐसी रीति जो परिषद् द्वारा विकसित की जाए, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए जमा की जाए, उसमें निहित की जाए।

मान्यवर, इस परिषद् की निधि बैंक में जमा होगी तो यह स्वरूप कोई अलग से तो नहीं है, क्योंकि सरकार का और सरकार के अधीन जो परिषद् है और परिषद् के अधीन वह सभी परिचालन होगा जो पूर्व में अन्य परिषदों के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा इसमें कहीं उल्लेख भी नहीं किया गया है। परिषद् आगामी वित्तीय वर्ष के बाबत बजट ऐसे प्रारूप में और प्रत्येक वर्ष ऐसे समय पर जो विहित किया जाय तैयार करेगी जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियाँ और व्यय दर्शित किया जायेगा। इस पर ऐसी बैठक जिसमें बजट

पारित किया गया हो के 15 दिन के भीतर राज्य सरकार को अग्रसित किया जायेगा। इस पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी गयी है कि बजट को अग्रेषित करने के बाद वह इस परिषद् का बजट पारित माना जाय। अगर वह पारित माना जाय तो अग्रेषित मात्र क्या सूचना के लिए ही राज्य सरकार को संदर्भित किया जायेगा ? यह उल्लेख इसमें कहीं दूर–दूर तक नहीं है। माननीय किशोर उपाध्याय जी के द्वारा और मैं स्वयं भी इसका विस्तृत परीक्षण कराने के लिए, विश्लेषण कराने के लिए माननीय अध्यक्ष जी, आपसे आग्रह करता हूँ कि सरकार इसको प्रवर समिति को सौंप दे और इसमें जो कमियाँ रह जायेंगी, उस पर विस्तृत चर्चा हो जायेगी। इसका परीक्षण करने के बाद, इसको हम सब लोग ध्वनिमत से पारित तब करेंगे, पहले इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय किशोर जी ने और माननीय गुनसोला जी ने महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनके द्वारा कुछ जिज्ञासाएं भी व्यक्त की गयी हैं। इसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि इस विधेयक के धारा तीन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि परिषद् का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिश्चित किया जायेगा। श्रीमन्, अधिसूचना द्वारा मुख्यालय के स्थापना की व्यवस्था की जायेगी और उसके बाद आपने यह कहा कि आखिर किसके लिए यह बनाया गया है। इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि धारा–20, जिसमें यह परा चिकित्सा शिक्षा की अर्हता घोषित किया जाना और उसका प्राविधान है तथा उसके खण्ड–2 के 1 (च) में परा चिकित्सा परिषद् की परिभाषा है मान्यवर, कि परा चिकित्सा परिषद् जो हम बनाने जा रहे हैं इसमें किन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा और किनको इसके माध्यम से लाभ मिलेगा। एक विषय और आपने उठाया था कि इसके माध्यम से हम इंस्पेक्टर राज को कायम कर रहे हैं इसमें कहीं से कहीं तक कोई अपील का अधिकार नहीं है। इसके सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान धारा–30 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। धारा–30 में इस बात का स्पष्ट रूप से प्राविधान किया गया है कि परिषद् द्वारा दिये गये आदेशों के विरूद्ध अपील करने का प्राविधान इसमें रखा गया है और इस बात की पूरी व्यवस्था इसके माध्यम से है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध यदि कोई कार्यवाही होती है तो उसके विरूद्ध वह अपील कर सके।

माननीय गुनसोला जी ने परिषद् की निधि के सम्बन्ध में अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है मैं आपका ध्यान धारा–32 की ओर ले जाना चाहूँगा। मान्यवर, इसकी धारा–32 में इस निधि की स्थापना की बात कही गयी है, जिसमें आपने आपत्ति की थी कि यह पैसा कहाँ से आएगा। श्रीमन्, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि यह परिषद्, जिसके माध्यम से विभिन्न विषयों के परा चिकित्सा से सम्बन्धित विषयों का रजिस्ट्रेशन होगा और विभिन्न क्रियाकलाप जो इस विधेयक के माध्यम से सम्पन्न होंगे, उन क्रियाकलापों का

संचालन करने के लिए निधि की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी। रजिस्ट्रेशन फीस भी यदि हमको जमा करनी है तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था करनी होगी। राज्य सरकार के माध्यम से भी यदि कोई सहायता दी जाती है, तो वह भी इस निधि के खाते में रखी जाएगी। इसके साथ–साथ यदि कोई भी व्यक्ति परिषद् के कार्य को सुचारू करने के लिए कोई धनराशि दान देना चाहता है, तो वह धनराशि भी इसी खाते में रखी जाएगी, जिसका संचालन परिषद् के माध्यम से किया जाएगा।

श्रीमन्, एक विषय आपने बजट से सम्बन्धित रखा था, तो इसकी धारा–33 में बजट का विस्तृत विवरण दिया गया है। आपने यह आशंका जताई थी, आपकी आशंका को देखते हुए मुझे लगा कि कहीं व्यवस्था निरंकुश तो नहीं जो जाएगी, वे बजट खर्च कर देंगे और उसके बाद राज्य सरकार को अवगत करा देंगे। श्रीमन्, ऐसा नहीं है। इसकी धारा–33 की उपधारा–3 में स्पष्ट उल्लेख है– "यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि उसका इस प्रकार अग्रेषित किये गये बजट के प्राविधान इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त नहीं, तो वह बजट को उसमें ऐसे उपान्तरण करने के लिए उपाय जैसे कि राज्य सरकार द्वारा सुझाये जायें, परिषद् को वापस कर देंगी।" अर्थात् यदि परिषद् की मंशा उस बजट या उस निधि का दुरूपयोग करने की है या राज्य सरकार यह समझती है कि बजट का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है तो वह उस बजट को परिषद् को वापस कर देगी कि आप इस बजट को ठीक करके भेजें। इस प्रकार से इस विधेयक में सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से परफैक्ट हैं। यह विधेयक इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस समय राज्य के अन्दर इस तरह की व्यवस्था कोई नहीं है कि यहाँ परा चिकित्सकों को सम्मान दे सकें, वे राज्य सरकार में या अन्य निजी क्षेत्रों में सम्मानजनक तरीके से अपनी सेवाएं दे सकें। अपनी प्राईवेट प्रैक्टिस भी सम्मानजनक तरीके से कर सकें। ऐसी व्यवस्था आज तक नहीं थी, यह व्यवस्था सरकार ले कर आयी है। जब मैंने इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव कार्यसूची में नहीं देखा तो मैंने सोचा कि सम्भवतः आपने सर्वसम्मति से इसको पारित करने का निर्णय लिया है। इसी वजह से आपने प्रवर समिति का प्रस्ताव नहीं रखा है। निश्चित रूप से आपने इसके अन्य प्राविधानों को काफी सराहा है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया जाएगा।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मुख्यालय के विषय में इसकी धारा–3 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि "परिषद् का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिनियम द्वारा

विनिश्चित किया जाए।'' अभी इसके विनियमन होंगे, उसके बाद अन्य प्रक्रियाएं संपादित होंगी, उसके बाद अधिनियमित होगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड परा चिकित्सा विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–47, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2009

परा चिकित्सा परिषद् के गठन, परा चिकित्सा की शिक्षा में समन्वित विकास के लिए ऐसी शिक्षा के मानकों को विनियमित करने के अनुरक्षण करने की दृष्टि से, परा चिकित्सकों का रजिस्टर रखने और उसमें संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत के गणराज्य के साठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमि हो:–

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2009

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषायें

2\. (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) ''इस अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ख) ''आयुर्विज्ञान प्रयोगाशाला'' से ऐसी प्रयोगशाला अभिप्रेत है, जो अर्हित तकनीकी व्यक्तियों द्वारा नैदानिक, उपचारार्थ और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए चलाई जा रही है;

(ग) ''तकनीशियन'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज है;

(घ) ''निधि'' से धारा–32 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित परिषद् की निधि अभिप्रेत है;

(ङ) ''परिषद्'' से धारा–3 के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् अभिप्रेत है;

(च) '' परा चिकित्सा शिक्षा'' से शिक्षा अनुसंधान या प्रशिक्षण के कार्यक्रम या क्षेत्र अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार यथास्थिति, परा चिकित्सा परिषद् के परामर्श से अधिसूचना द्वारा आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला, प्रौद्योगिकी या विकिरण निदान या विकिरण चिकित्सा या नाभिकीय चिकित्सा या भौतिकी चिकित्सा की विधा घोषित करे;

(छ) ''परा चिकित्सा व्यवसायी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज हो;

(ज) ''परा चिकित्सा विषय'' से ऐसे विषय अभिप्रेत हैं, जिन्हें विनियमों द्वारा विहित किया जाय;

(झ) ''परा चिकित्सा अर्हता'' से ऐसी अर्हता अभिप्रेत है, जिन्हें विनियमों में विहित किया जाय;

(ञ) ''भौतिक चिकित्सा'' से भौतिक कारकों के माध्यम से, इसके अन्तर्गत ताप, शीत प्रकाश, जल मालिश, किसी व्यक्ति को निःशक्तता के निवारण या सुधार करने के उदेश्य से विद्युत या शारीरिक व्यायाम भी है, चिकित्सीय रूप से निदेशित चिकित्सा अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत व्यवसायिक चिकित्सा भी है;

(ट) ''मजिस्ट्रेट'' से प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है।

(ठ) ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी'' से धारा–16 में नियुक्त सचिव/रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(ड) ''रजिस्टर'' से धारा–25 की उपधारा (1) के अधीन रखा गया रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ढ) "विश्वविद्यालय" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा–2 के खण्ड (च) के अधीन परिभाषित राज्य में स्थित किसी विश्वविद्यालय से (केन्द्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर) अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत राज्य में स्थित कोई संस्था भी है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा–3 के अधीन सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया है;

(ण) "विकिरण निदान" से आयनकारी विकिरण (एक्सरे) अंतर्वलित करते हुए सभी प्रकार की नैदानिक क्रियाविधियाँ अभिप्रेत है;

(त) "विकिरण चिकित्सा" से सील किया हुआ आयनकारी विकिरण स्रोतों को अंतर्वलित करते हुए किसी प्रकार की उपचारार्थ क्रिया विधि अभिप्रेत है;

(थ) "विनियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

(द) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ध) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(न) "सदस्य" से परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी है;

(प) "संस्था" से कोई संस्था अभिप्रेत है, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, जो इस अधिनियम के अधीन शिक्षा प्रदान करने के लिए विधि द्वारा स्थापित अथवा मान्यता प्राप्त हो;

(फ) "समिति" से धारा–13 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

अध्याय–2

उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् और अन्य समितियां

परिषद का गठन

3. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् का गठन करेगी।

(2) उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और

उसको जंगम और स्थावर सम्पत्ति को अर्जित करने, धारित करने और उसका निपटारा करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद ला सकेगी या उसके विरूद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(3) परिषद् का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(4) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी; अर्थात्:–

(क) अध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा परिषद् के सदस्यों में से, नियुक्त किया जाय;

(ख) उपाध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा परिषद् के सदस्यों में से नियुक्त किया जाय;

(ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अपर निदेशक स्तर का एक अधिकारी, जो परा चिकित्सा से सम्बन्धित होगा;

(घ) राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग का एक ऐसा अधिकारी, जो उप सचिव के स्तर से न्यून न हो;

(ङ) राज्य सरकार का वित्त विभाग का एक ऐसा अधिकारी, जो उप सचिव के स्तर से न्यून न हो;

(च) राज्य सरकार का चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक सदस्य, जो उप सचिव के स्तर से न्यून न हो;

(छ) तीन सदस्य, जो निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए:–

(I) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,

(II) उत्तराखण्ड तकनीकी शिक्षा परिषद्, और

(III) उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद्।

(ज) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परा चिकित्सा संस्थाओं के अध्यापकों में से राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाने वाले चार सदस्य;

(झ) परा चिकित्सा शिक्षा संस्था को सम्बद्धता प्रदान करने वाले प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक–एक सदस्य;

(ञ) राजकीय मेडिकल कालेज एवं राज्य के आयुर्विज्ञान के मेडिकल प्रैक्टिसनर्स में से राज्य सरकार द्वारा नामित चार सदस्य जो परा चिकित्सा विषय के ज्ञाता हों;

(ट) पंजीकृत परा चिकित्सक व्यवसायियों में से पाँच सदस्य, जो आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकी, भौतिक चिकित्सा व्यवसाय से हों, प्रत्येक से न्यूनतक एक निर्वाचित सदस्य;

परन्तु यह कि अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रथम बार परिषद् का गठन होने की दशा में इस प्रवर्ग के अन्तर्गत सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामित किया जायेगा।

पदावधि और आकस्मिक रिक्ति

4. (1) परिषद् का कोई सदस्य उसकी नियुक्ति की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा।

(2) किसी सदस्य का पद रिक्त हुआ समझा जायेगा, यदि परिषद् की राय में वह परिषद् के तीन लगातार सामान्य बैठकों में बिना पर्याप्त कारणों के अनुपस्थित रहा है या वह धारा–5 के अधीन सदस्य नहीं रह जाता है।

(3) परिषद् में कोई आकस्मिक रिक्ति नई नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी और रिक्ति को भरने के लिए इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति केवल उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर वह नियुक्त हुआ है।

(4) परिषद् का कोई सदस्य पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।

सदस्यता की समाप्ति

5. (1) धारा–3 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) से (ञ) तक के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामित/नियुक्त कोई सदस्य उसकी उस सेवा समाप्त होने पर, जिसके कारण वह नियुक्त किया गया था, परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) धारा–3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) के अधीन निर्वाचित कोई सदस्य रजिस्टर से उसका नाम हटाये जाने पर परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा।

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

6. सरकार द्वारा धारा–3 की उपधारा (4) के खण्ड (क), (ख) और (छ) से (ट) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित रूप में अपने हस्ताक्षर से अपनी सदस्यता से किसी भी समय त्यागपत्र दे सकेगा;

परन्तु यह कि ऐसा सदस्य, जिसने इस धारा के अधीन अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया है, तब तक परिषद् का पद धारण करता रहेगा, जब तक राज्य सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर लिया जाता है।

सदस्यता से हटाया जाना और रिक्ति

7. (1) परिषद्, उपधारा (2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसके कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मद देने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा किसी समय राज्य सरकार को किसी सदस्य को उसके पद से हटाये जाने की सिफारिश कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से परिषद् में उस सदस्य का बना रहना लोक हित में नहीं है या उक्त व्यक्ति परिषद् के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) राज्य सरकार, परिषद् के किसी सदस्य को हटा सकेगी, यदि वह–

(क) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता, अंतर्वलित हो; या

(ख) सक्षम न्यायालय द्वारा अनुन्मोचित दिवालिया घोषित किया गया हो; या

(ग) विकृतचित्त का हो जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; या

(घ) सदस्य के रूप में कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने के लिए असमर्थ हो गया है; या

(ङ) परिषद् के लगातार तीन बैठकों में बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहा है; या

(च) उसने, यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपने पद का दुरूपयोग किया है, जिससे उसका पद पर बना रहना लोक हित के प्रतिकूल होगा; या

(छ) धारा–3 की उपधारा (4) के खण्ड (ट) के अधीन चयनित सदस्य का नाम रजिस्टर से निकाल दिया हो;

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति उपधारा (2) के खण्ड (घ), खण्ड (ङ) तथा खण्ड (च) के अधीन तब तक नहीं हटाया नहीं जायेगा, जब तक सदस्यों को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो।

परिषद् की बैठक

8. (1) परिषद की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और वह अपनी बैठकों के कारवार के समव्यवहार के सम्बन्ध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का, जिसके अन्तर्गत बैठकों में गणपूर्ति भी है, अनुपालन करेगी, जो विनियमों द्वारा अवधारित किया जाये;

परन्तु यह कि परिषद एक वर्ष में न्यूनतम एक बार बैठक करेगी।

(2) परिषद् का अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा।

(3) यदि किसी कारण से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष परिषद् की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई अन्य सदस्य इस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) ऐसे सभी प्रश्न जो परिषद् की किसी बैठक के समक्ष आते हैं, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे और बराबर मत होने की दशा में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय और निर्णायक मत होगा और वह उसका उपयोग करेगा।

रिक्ति आदि परिषद् की कार्रवाईयों को अविधिमान्य नहीं करेगी

9. परिषद् का कोई कार्य या कार्रवाई:–

(क) परिषद् में किसी रिक्त या उसके गठन में किसी त्रुटि; या

(ख) परिषद् में उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में किसी त्रुटि; या

(ग) परिषद् की प्रक्रिया में मामले के गुणागुण पर प्रभाव न डालने वाली किसी अनियमितता के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगी।

बैठक का कार्यवृत्त एवं कार्यवाही की वैधता

10. (1) परिषद की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त गोपनीय होगा एवं कोई भी व्यक्ति परिषद् के पूर्व संकल्प के बिना बैठक की कार्यवाही अथवा उसके अंश को प्रकट नहीं करेगा;

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति परिषद् की बैठक के उन निर्णयों को प्रकट अथवा प्रकाशित कर सकेगा, जिसके लिए परिषद् द्वारा संकल्प लिया जा चुका है एवं यदि परिषद् के किसी संकल्प द्वारा प्रकाशन को सर्वथा गोपनीय रखने का संकल्प न लिया गया हो।

(2) किसी भी व्यक्ति द्वारा परिषद् की सदस्यता अथवा अध्यक्षता, उपाध्यक्षता अथवा किसी बैठक के पीठासीन अधिकारी की हैसियत से किये गये कार्य, उनके चुनाव अथवा नामांकन के दोष अथवा निरर्हता के कारण समाप्त नहीं होंगे अथवा परिषद् के उन बैठकों की कार्यवाही, जिसमें उनके द्वारा अध्यक्षता की गई हो भी वांछित नहीं होगी, यदि बैठक के निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिये गये हों।

(3) जब परिषद् का कोई पद रिक्त हो तो परिषद् के निरन्तर बने सदस्य इस प्रकार कार्य करेंगे, जैसे कि वह रिक्ति घटित न हुई हो।

(4) परिषद् द्वारा किये गये किसी भी कार्य पर मात्र इस आशय से प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकेगा कि उसमें कोई रिक्ति रह गई हो अथवा परिषद् के गठन में किसी प्रकार दोष हो।

(5) परिषद् के प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त इस प्रयोजन के लिये रखी जाने वाली पुस्तिका में अभिलिखित किये जायेंगे, जिसमें उपस्थित परिषद् के सदस्यों के नाम, कार्यवृत्त दर्ज किये जायेंगे और उसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा या उसी या ठीक आगामी बैठक में पुष्टिकरण के लिए हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(6) जब तक प्रतिकूल साबित न हो जाए, बैठक के कार्यवृत्त पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हस्ताक्षर कर दिये गये हों, परिषद् की बैठक सम्यक रूप से बुलायी गयी समझी जायेगी।

परिषद् के सदस्यों के भत्ते

11. परिषद् के सदस्यों को ऐसी यात्रा और अन्य भत्ते प्राप्त होंगे, जैसे कि विनियमों द्वारा विहित किये जाएं;

परन्तु यह कि परिषद् के सदस्य जो सरकारी कर्मचारी हों, ऐसे अन्य भत्ते प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए परिषद् के साथ व्यक्तियों को सहयोजित करने की शक्ति

12. (1) परिषद्, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जाएं, अपने साथ ऐसे व्यक्ति को, जिसकी सहायता या सलाह, वह इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित समझे, सहयोजित कर सकेगी।

(2) किसी प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन परिषद् के साथ सहयोजित कोई व्यक्ति उस प्रयोजन के लिए सुसंगत किसी चर्चा में भाग लेने का अधिकार रखेगा, किन्तु उसे परिषद् की किसी बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।

(3) सहयोजित व्यक्ति ऐसे भत्ते प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, जैसे विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।

परिषद् की समितियां

13. (1) परिषद् यथासम्भव शीघ्र अपने सदस्यों में ऐसे साधारण और विशिष्ट प्रयोजनों के लिए, जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे, ऐसी कार्यपालक समिति, अनुशासन समिति या किसी अन्य समिति का गठन करेगी, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए।

(2) किसी समिति का गठन, कार्यकाल और कृत्य ऐसे होंगे, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।

(3) इस धारा के अधीन गठित प्रत्येक समिति अपने अध्यक्ष का चयन करेगी; परन्तु यह कि–

(क) जहाँ अध्यक्ष ऐसी समिति का सदस्य है वहाँ वह ऐसी समिति का अध्यक्ष होगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि वह ऐसी समिति का सदस्य है, उसका अध्यक्ष होगा और दोनों की अनुपस्थिति में उस समिति के सदस्यों द्वारा चयनित कोई सदस्य उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) जहाँ अध्यक्ष, ऐसी समिति का सदस्य नहीं है किन्तु उपाध्यक्ष सदस्य है वहाँ वह उसका अध्यक्ष होगा और उसकी अनुपस्थिति में उस समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य उसका अध्यक्ष होगा।

परिषद् के कृत्य

14. (1) परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी कार्यवाही करे जो वह परा चिकित्सा शिक्षा और मानकों के अनुरक्षण के समेकित और एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के लिए ठीक समझे।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् के कृत्यों में निम्नलिखित होंगे:—

(क) रजिस्टर में नामों की प्रविष्टि, हटाए जाना या उसकी पुनः प्रविष्टि;

(ख) परा चिकित्सा विधा में व्यवसाय करने के लिए व्यक्तियों का रजिस्टर रखा जाना;

(ग) परा चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं वृत्तिक आचरण या यथास्थिति परा चिकित्सा व्यवसायों के सदाचार के मानकों का अवधारण;

(घ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से दान, अनुदान, संदान, पूर्तदान प्राप्त करना, वसीयतों और संदानों को प्राप्त करना तथा यथास्थिति वसीयतकर्ताओं, दानकर्ताओं या अन्तरणकर्ताओं के जंगम या स्थावर सम्पत्तियों का अन्तरण;

(ङ) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग;

(च) ऐसी सभी बातें करना जो परिषद् के सभी या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक या अनुषांगिक या सहायक हों।

परिषद् के सचिव/रजिस्ट्रार, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

15. (1) इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए परिषद्, ऐसे विनियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित बनाए जाएं, एक सचिव/रजिस्ट्रार, उतने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी, जो वह आवश्यक समझे;

परन्तु यह कि परिषद् का पहला सचिव/रजिस्ट्रार राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा, जो राज्य सरकार ठीक समझे और ऐसा सचिव तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) परिषद् द्वारा नियुक्त सचिव/रजिस्ट्रार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन होंगे, जो ऐसे पारिश्रमिक के हकदार होंगे, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।

(3) परिषद् द्वारा इस अधिनियम के अधीन तैनात किया गया रजिस्ट्रार या अन्य कोई अधिकारी या सेवक भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं0 45) की धारा–21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

सचिव/रजिस्ट्रार का परिषद् के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करना

16. धारा–15 के उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सचिव/रजिस्ट्रार परिषद् का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

सचिव/ रजिस्ट्रार के कर्तव्य

17. सचिव/रजिस्ट्रार के कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसा विनियमों में अवधारित किये जायं।

परिषद् के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन

18. परिषद् के सभी आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष या इस निमित उक्त परिषद् द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जायेंगे और उक्त परिषद् द्वारा जारी सभी अन्य लिखतें मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उक्त परिषद् के किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जायेंगी।

परा चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति

19. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी विश्वविद्यालय या संस्था को राज्य के अन्दर परा चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। राज्य सरकार ऐसी अनुमति ऐसे निर्बन्धनों के अधीन, जो वह आवश्यक समझे, दे सकेगी।

परा चिकित्सा शिक्षा की अर्हता घोषित किया जाना

20. (1) सरकार परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् समय–समय पर अधिसूचना द्वारा, किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा अनुदत्त शिक्षा को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त अर्हता के रूप में घोषित कर सकेगी।

(2) ऐसा विश्वविद्यालय या संस्था, जिसकी शिक्षा उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है, राज्य सरकार को उसके विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए आवेदन कर सकेगी;

परन्तु यह कि राज्य सरकार उपधारा (2) में दिये गये आवेदन को लेखबद्ध कारणों से नामंजूर कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों के लिए परा चिकित्सा शिक्षा में शिथिलता दे सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को या उसके पहले परा चिकित्सा व्यवसायी, जिसके अन्तर्गत व्यवसायिक चिकित्सक भी है, के रूप में व्यवसाय कर रहे हों।

परा चिकित्सा शिक्षा के लिए न्यूनतम मानक

21. परिषद्, विश्वविद्यालयों या संस्थाओं द्वारा मान्य अर्हताओं को अनुदत्त करने के लिए, विनियमों द्वारा अपेक्षित परा चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक अवधारित कर सकेगी।

विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा परा चिकित्सा शिक्षा के सम्बन्ध में परिषद् को सूचना भेजा जाना

22. परा चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विश्वविद्यालय या संस्था शिक्षा के मानक, पाठक्रम की अवधि, परीक्षा की स्कीम और अन्य अर्हता शर्तों के, जिनकी परिषद् समय–समय अपेक्षा करें, सम्बन्ध में परिषद् को सूचना देगा।

निरीक्षकों की नियुक्ति

23. (1) परिषद्, उतनी संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकेगी, जितनी वह किसी विश्वविद्यालय या संस्था में उसकी परा चिकित्सा शिक्षा की मान्यता के सम्बन्ध में ठीक समझे।

(2) निरीक्षक–

(क) ऐसे किसी विश्वविद्यालय या संस्था का, जो परा चिकित्सा शिक्षा प्रदान करता है;

(ख) किसी अनुमोदित परीक्षा में उपस्थित हो सकेगा; और

(ग) किसी ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था का निरीक्षण कर सकेगा, जिसने इस अधिनियम के अधीन अपने परा चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम या परीक्षा की मान्यता के लिए आवेदन किया है और ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था के किसी परीक्षा में उपस्थित हो सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अपने कृत्यों का अनुपालन करते समय कोई निरीक्षक परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा किन्तु वह परा चिकित्सा शिक्षा के मानकों की पर्याप्तता के

सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत कर्मचारीवृंद, उपस्कर, आवास, प्रशिक्षण और ऐसी परा चिकित्सा शिक्षा देने के लिए अन्य सुविधाएं हैं या प्रत्येक परीक्षा की अपर्याप्तता, जिसमें वह उपस्थित होता है, या कोई विषय, जिसके सम्बन्ध में परिषद् उसे रिपोर्ट देने की अपेक्षा करें, परिषद् को रिपोर्ट करेगा।

(4) परिषद्, ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति यथास्थिति, विश्वविद्यालय या संस्था को भेजेगीं और एक प्रति उस पर टिप्पणियों के साथ जो उक्त विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा किये गये हों, राज्य सरकार को भेजेगी।

मान्यता वापस लिया जाना

24. जहाँ परिषद् ने राज्य सरकार को यह रिपोर्ट दी है कि परा चिकित्सा शिक्षा का कोई मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम या कोई अनुमोदित परीक्षा विनियमों के अनुरूप नहीं चल रही है, वहाँ राज्य सरकार सम्बद्ध विश्वविद्यालय या संस्था को, यथास्थिति, परा चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम या परीक्षा को दी गयी मान्यता को वापस लेने के प्रश्न पर विचार करने के अपने आशय की सूचना देगी और यथास्थिति, उक्त विश्वविद्यालय या संस्था ऐसी सूचना की प्राप्ति से तीन मास के भीतर राज्य सरकार को इस विषय में ऐसा अभ्यावेदन भेजेगी, जो वह उचित समझे। उक्त अभ्यावेदन पर राज्य सरकार विनिश्चय करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

अध्याय–3

रजिस्टर

परा चिकित्सा व्यवसायी का रजिस्टर

25. (1) परिषद्, एक रजिस्टर रखेगी और उसमें विनियमों द्वारा अवधारित रीति से परा चिकित्सा व्यवसायियों के नाम दर्ज करेगी।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जो ऐसी परा चिकित्सा शिक्षा रखता है, जो राज्य सरकार द्वारा धारा–20 के अधीन अधिसूचित की जाए, रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने और उससे व्यवसाय प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का पात्र होगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति तब तक व्यवसाय करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसका नाम रजिस्टर में दर्ज न कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि ऐसे किसी व्यक्ति का नाम, जो राज्य सरकार द्वारा धारा–20 के अधीन अधिसूचित रूप से परा चिकित्सा शिक्षा रखता है, रजिस्टर में ऐसी अधिसूचना की तारीख से उसके किसी आवेदन का परिषद् द्वारा निपटान किए जाने तक रजिस्टर में दर्ज किया माना जाएगा, यदि उसने परिषद् को अपना नाम रजिस्टर में दर्ज कराने के लिए आवेदन ऐसी अधिसूचना के प्रवृत्त होने से छह माह के भीतर किया हो।

(4) ऐसा रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या–1 सन् 1872) के अधीन लोक दस्तावेज समझा जायेगा।

रजिस्टर में नाम दर्ज करना

26. (1) परिषद् किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐरी रीति से, ऐसी फीस के संदाय पर, जो दो हजार रुपये से अधिक न हो, अथवा जैसा विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, किये गये आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्टर में उसका नाम दर्ज कर सकेगी, यदि परिषद् का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी परा चिकित्सा शिक्षा रखता है।

(2) कोई व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है, यथास्थिति, सम्बन्धित विषय का परा भौतिक चिकित्सा व्यवसायी या आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला तकनीशियन या विकिरण चिकित्सा तकनीशियन कहलाने का हकदार होगा या भविष्य में राज्य सरकार द्वारा अन्य विधाओं को, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सम्मिलित करे।

(3) परिषद् किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर में दर्ज करने से लेखबद्ध कारणों और विनियमों द्वारा अवधारित रीति से इंकार कर सकेगी।

वृत्तिक 'आचरण' और रजिस्टर से नाम हटाया जाना

27. (1) परिषद् इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा व्यवसायों के लिए वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार तथा सदाचार संहिता के मानक अवधारित करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा बनाये गए विनियम यह विनिर्दिष्ट कर सकेंगे कि कौन से अधिक्रमण वृत्तिक अवचार का गठन करते हैं और ऐसे उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

(3) परिषद् किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जाँच के पश्चात्, यदि कोई हो, जो करना ठीक समझे, जहाँ उसका समाधन हो जाता है, किसी व्यक्ति का नाम धारा–25 की उपधारा (1) के अधीन रखे गये रजिस्टर से आदेश द्वारा हटा सकेगी;

(क) रजिस्टर में उसका नाम त्रुटि से या दुर्व्यपदेशन या सारवान तथ्य को छिपाने के कारण प्रविष्ट किया गया है;

(ख) वह किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या वृत्तिक रूप से किसी अवचार का दोषी रहा है या उसने उपधारा (1) के अधीन अवधारित वृत्तिक आचरण या शिष्टाचार या सदाचार संहिता के मानकों का अधिक्रमण किया है, जो परिषद् की राय में उसके नाम को रजिस्टर में बनाए रखने को अनुचित ठहराते हैं।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि कोई व्यक्ति, जिसके नाम को रजिस्टर से हटाने के लिए आदेश किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए जो विनिर्दिष्ट की जाए, पात्र नहीं होगा।

अवचार से सम्बन्धित जाँचों की प्रक्रिया

28. (1) जहाँ परिषद् की, किसी सूचना की प्राप्ति पर या उसे की गई किसी शिकायत पर प्रथमदृष्टया यह राय है कि कोई परा चिकित्सक व्यवसायी किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी रहा है, वहाँ परिषद् मामले को धारा–13 की उपधार (1) के अधीन गठित अनुशासन समिति को निर्दिष्ट करेगी और तदुपरान्त अनुशासन समिति ऐसी जाँच ऐसी रीति से करेगी, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये और ऐसी जाँच के परिणाम की परिषद् को रिपोर्ट करेगी।

(2) यदि ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर परिषद् का यह निष्कर्ष है, कि, परा चिकित्सा व्यवसायी किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी नहीं है तो वह तद्नुसार अपना निष्कर्ष उल्लिखित करेगी और यथास्थिति, कार्यवाही फाईल की जाए या शिकायत खारिज की जाए के निर्देश देगी।

(3) यदि परिषद् ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यह पाती है कि यथास्थिति, कोई परा चिकित्सा व्यवसायी अपनी किसी वृत्तिक प्रतिष्ठा में किसी अवचार का दोषी है या उसने वृत्तिक आचरण या शिष्टाचार या इस अधिनियम के अधीन विहित सदाचार संहिता के मानदण्डों का अधिक्रमण किया है, तो वह ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध धारा–27 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगी।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "परा चिकित्सा व्यवसायी" के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जो अभिकथित अवचार की तारीख को, यथास्थिति, परा चिकित्सा व्यवसायी था, भले ही वह जाँच के समय उस रूप में न रहा हो।

(4) इस धारा के अधीन किसी जाँच के प्रयोजनों के लिए परिषद् और उसकी अनुशासन समिति को निम्नलिखित विषयों के बावत वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती हैं; अर्थात्

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेजों की खोज और उसको प्रस्तुत करना; और

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

रजिस्टर में पुनः प्रविष्टि

29. परिषद् किसी ऐसे व्यक्ति के नाम को, जिसका नाम धारा–27 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्टर से स्थायी रूप से नहीं हटाया गया है, किसी आदेश द्वारा, ऐसी रीति से और दो हजार रुपये से अनधिक की ऐसी फीस के संदाय पर तथा ऐसी शर्तों और अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात्, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये, रजिस्टर में पुनः दर्ज कर सकेगी।

परिषद् द्वारा किये गये आदेशों के विरूद्ध अपील

30. (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन परिषद् नेः–

(क) रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम को दर्ज करने से इन्कार कर दिया है; या

(ख) रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम को हटाने का आदेश कर दिया है, वहाँ ऐसा व्यक्ति परिषद् के आदेश की प्राप्ति की तारीख को 30 दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा;

परन्तु यह कि राज्य सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति पर्याप्त कारणों से अपील फाईल नहीं कर सका था तो 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् भी ऐसी अपील ग्रहण कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन की गई अपील का निपटारा, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगी, जो विहित की जाए।

(3) उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

अध्याय–4

वित्त लेखा और संपरीक्षा

राज्य सरकार द्वारा संदाय

31. राज्य सरकार विधि द्वारा इस निमित्त किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात् परिषद् को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशियों का संदाय कर सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन परिषद् के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझी जाए।

परिषद् की निधि

32. (1) परिषद् की अपनी स्वयं की निधि होगी और ऐसी सभी राशियां, जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संदत्त की जाय तथा परिषद् की सभी प्राप्तियां (जिसके अन्तर्गत ऐसी धनराशि भी है, जिसे कोई अन्य प्राधिकारी अथवा कोई व्यक्ति परिषद् को सौंप सकेगा) निधि में जमा की जायेगी और परिषद् द्वारा सभी संदाय निधि से किये जाएंगे।

(2) निधि से सम्बन्धित सभी धन ऐसे बैंकों में ऐसी रीति से, जो परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए जमा किये जायेंगे और उसमें निहित किये जायेंगे।

(3) परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसी धनराशियां खर्च कर सकेगी, जिन्हें वह उचित समझे और ऐसी धनराशियों को परिषद् की निधि में से संदेय व्यय माना जायेगा।

बजट

33. (1) परिषद् आगामी वित्तीय वर्ष की बाबत बजट ऐसे प्रारूप में और प्रत्येक वर्ष ऐसे समय पर, जो विहित किया जाये, तैयार करेगी, जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किये जायं।

(2) ऐसी बैठक, जिसमें बजट पारित किया गया हो, के पन्द्रह दिन के भीतर, राज्य सरकार को अग्रेषित किया जायेगा।

(3) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि उसके इस प्रकार अग्रेषित किये गये बजट के प्राविधान इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त नहीं, तो वह बजट को उसमें ऐसे उपान्तरण करने के लिए उपाय जैसे कि राज्य सरकार द्वारा सुझाये जायें, परिषद् को वापस कर देगी।

(4) परिषद् इस बात के लिए सक्षम होगी कि ऐसी धनराशि का, जो आवश्यक हो एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक और ऐसे शीर्षक और गौण शीर्षकों में पुनर्विनियोग करे।

(5) परिषद् जैसा और जब अपेक्षित हो अनुपूरक बजट, ऐसे प्रारूप में और ऐसे दिनांक तक, जो विहित की जाये, पारित कर सकेगी और उपधारा (2), (3), (4) के उपबन्ध ऐसे अनुपूरक बजट में लागू होंगे।

वार्षिक रिपोर्ट

34. परिषद्, प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे प्रारूप और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाये, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का सही और पूरा लेखा–जोखा दिया जायेगा तथा उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी और सरकार उसको विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

लेखा और संपरीक्षा

35. (1) परिषद् अपने वार्षिक लेखा बन्द करने के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसे प्रारूप में लेखाओं का विवरण तैयार करेगी और उसे महालेखाकार को ऐसी तारीख तक अग्रेषित करेगी, जो राज्य सरकार उत्तराखण्ड के महालेखाकार के परामर्श से विहित करें।

(2) परिषद् के लेखाओं की महालेखाकार द्वारा ऐसे समय पर और ऐसे समय पर और ऐसी रीति से, जिन्हें वह उचित समझे संपरीक्षा कराई जायेगी।

(3) परिषद् द्वारा महालेखागार या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित लेखे तथा उन पर सपरीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को वार्षिक रूप में अग्रेषित की जायेगी जिसे सरकार द्वारा विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

अध्याय–5

प्रकीर्ण

क्लीनिकल स्थापन द्वारा परा चिकित्सा व्यवसायी के रूप में नियोजन पर प्रतिषेध

36. कोई भी क्लीनिकल स्थापन, जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम या स्वास्थ्य देखरेख के सम्बन्ध में अन्य संस्थाएं, किसी व्यक्ति को परा चिकित्सा व्यवसायी के रूप में तभी नियुक्त करेगी, जब उसका नाम परिषद् के रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया हो।

परा चिकित्सा व्यवसायी की रिपोर्ट को संज्ञान में न लिया जाना तथा स्वतंत्र व्यवसाय पर प्रतिबन्ध

37. परा चिकित्सा व्यवसायी की रिपोर्ट तब तक वैध नहीं समझी जायेगी जब तक कि ऐसी रिपोर्ट को विषय विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर न कर दिया गया हो। परा चिकित्सा व्यवासायी निजी व्यवसाय स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकेगा।

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधिक्रमण के लिए शास्ति

38. ऐसा कोई विश्वविद्यालय या संस्था का प्राधिकृत प्राधिकारी जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करेगा, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी न्यूनतम अवधि छः माह तथा अधिकतम अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से जो पाँच लाख रुपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जायेगा।

गैर वृत्तिक द्वारा वृतिक के रूप में व्यवसाय करने के लिए शस्ति

39 ऐसे व्यक्ति जिसका नाम इस अधिनियम के अधीन परिषद् के रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं किया गया है या जिसका नाम प्रविष्ट किया नहीं समझा जाता है, और वह, यथास्थिति, परा चिकित्सा

व्यवसायी के रूप में व्यवसाय कर रहा है, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने से जो बीस हजार तक का हो सकेगा, से दण्डित किया जायेगा।

प्रमाण पत्रों आदि का बेईमानी से उपयोग करने के लिए दण्ड

40. कोई व्यक्ति–

(1) जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि का बेईमानी से उपयोग करता है; या

(2) जो लिखित में अथवा अन्यथा, कोई मिथ्या या कपटपूर्ण घोषणा या अभ्यावेदन करके या प्रस्तुत करके या कराके इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन व्यवसाय करने का बेईमानी से प्रयास करता है; या

(3) जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्टर से सम्बन्धित किसी विषय में स्वैच्छया मिथ्या अभ्यावेदन करता है; या

(4) जिसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है और वह, यथास्थिति, परा चिकित्सक व्यवसायी के रूप में स्वैच्छया व्यवसाय करता है, वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डित किया जायेगा और किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडित किया जायेगा।

अपराधों का संज्ञान

41. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान परिषद् के सचिव/रजिस्ट्रार द्वारा या परिषद् द्वारा इस निमित्त परिषद् द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, लिखित में किये गये परिवाद पर संज्ञान करेगा अन्यथा नहीं।

(2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

राज्य सरकार द्वारा निर्देश

42. (1) राज्य सरकार समय–समय पर परिषद् को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जो सरकार की राय में इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति में और उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए

सहायक है और वह परिषद् किन्हीं, ऐसे निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए आबद्ध होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी निर्देशों में, कोई विनियम बनाने या पहले से बनाए गए किन्हीं विनियमों में संशोधन करने या उनको प्रतिसंहृत करने के लिए परिषद् को दिये गए निर्देश भी सम्मिलित हैं।

(3) यदि राज्य सरकार की राय में, परिषद् ने इस धारा के अधीन जारी किये गये निर्देशों को प्रभावी करने में लगातार व्यतिक्रम किया है तो राज्य सरकार, परिषद् को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा परिषद् को विघटित कर सकेगी और उसके पश्चात् एक नई परिषद् का ऐसी तारीख से, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गठन कर सकेगी।

(4) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन परिषद् का विघटन करने वाला कोई आदेश पारित करती है, वहाँ वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार परिषद् के गठन के लम्बित रहने तक किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी निकाय को परिषद् के कार्यों का प्रबन्ध ग्रहण करने या ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जायं।

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही के लिए संरक्षण

43. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही या किये जाने के लिए आशायित किसी बात की बाबत कोई बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार, परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव या परिषद् के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति

44. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा; अर्थात्

(क) धारा–30 की उपधारा (1) के अधीन अपील फाईल करने की रीति;

(ख) धारा–30 की उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटारा करने के लिए प्रक्रिया;

(ग) धारा–33 के अधीन परिषद् का बजट तैयार करने के लिए प्रारूप और समय;?

(घ) धारा–34 के अधीन परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट करने के लिए प्रारूप और समय;

(ङ) धार–35 के अधीन लेखा बही रखे जाने का प्रारूप और रीति; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किये जाने के लिए अपेक्षित हो, या विहित किया जाए।

विनियम बनाने की शक्ति

45. (1) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा; अर्थात्:–

(क) धारा–8 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् की बैठक व समय, स्थान उसकी प्रक्रिया और गणपूर्ति;

(ख) धारा–12 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् के गैर सदस्य सहयोजित करने की रीति और प्रयोजन;

(ग) धारा–13 की उपधारा (1) के अधीन किसी समिति की संरचना कालावधि और कृत्य;

(घ) धारा–15 की उपधारा (1) के अधीन सचिव/रजिस्ट्रार अन्य कर्मचारी, नियुक्ति, सेवाशर्तें और पारिश्रमिक;

(ङ) धारा–17 के अधीन सचिव/रजिस्ट्रार के कर्त्तव्यों के लिए विनियम;

(च) धारा–20 तथा 21 के अधीन मान्यता प्राप्त अर्हताएं अनुदत्त करने हेतु शिक्षा के न्यूनतम मानक;

(छ) धारा–25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर का अनुरक्षण;

(ज) धारा–26 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि के लिए रीति और फीस का संदाय;

(झ) धारा–26 की उपधारा (3) के अधीन नाम प्रविष्टि करने के इंकार करने की रीति;

(ञ) धारा–27 की उपधारा (1) के अधीन वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार तथा सदाचार संहिता के मानदण्ड;

(ट) धारा–28 की उपधारा (1) के अधीन अनुशासन समिति द्वारा जांच की रीति;

(ठ) धारा–29 के अधीन पुनः प्रविष्टि करने की रीति उसकी फीस का संदाय, शर्तें और अपेक्षाएं;

(ढ) परा चिकित्सा व्यवसायियों में से पाँच सदस्यों के निर्वाचन करने की रीति; और

(ण) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां तथा कर्तव्य।

नियमों और विनियमों का विधान सभा में रखा जाना

46. इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम तथा विनियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

47. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो इस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो,

परन्तु यह कि ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष के बाद जारी नहीं किया जा सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–47, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 विधान सभा की प्रवर समिति के सुपुर्द

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009, जो उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्रस्तुत हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, चूँकि पूर्व में इससे मिलते–जुलते चार विधेयक विधान सभा की प्रवर समिति के विचारार्थ हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 जो उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्रस्तुत हुआ है, को विधान सभा की प्रवर समिति, जो पूर्व से ही इस विषय से सम्बन्धित अन्य विधेयकों पर विचार कर रही है, के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

जनपद हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र को जंगली जानवरों (वन रोज आदि) से प्रभावित क्षेत्र घोषित कर इनको मारे जाने हेतु विशेष नीति बनाये जाने विषयक नियम–51 के अन्तर्गत चर्चा

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि माननीय सदस्य कुंवर प्रणव सिंह अभी सदन में उपस्थित नहीं है और अभी आने वाले हैं। मैं भी इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ, मेरा अनुरोध है कि श्री प्रणव के आने तक मेरे विचारों को भी सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, जनपद हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र को जंगली जानवरों (जंगली जानवरों, वन रोज आदि) से "प्रभावित क्षेत्र" घोषित कर, इस परिक्षेत्र में इनको मारे जाने हेतु विशेष नीति गठित करने विषयक दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–12 के सम्बन्ध में कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" द्वारा दी गई सूचना पर, नियम–51 के अन्तर्गत चर्चा का यह प्रस्ताव हमारे सामने आया है। मान्यवर, हमारा सरकार से यह आशय और अनुरोध है कि लक्सर क्षेत्र ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के अन्दर जंगली जानवरों का आतंक प्रायः सुना और देखा गया है। आजकल तो ऐसा लगने लगा है कि वन क्षेत्र में, विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र से लगे वन क्षेत्र हैं, उनमें वनाग्नि होने के कारण, अब जंगलों में वन्य जन्तुओं के लिए भरण–पोषण और भोजन शायद कम हो गया है और उसकी वजह से यह वन्य जन्तु सीधे–सीधे आबादी की ओर अपना रूख कर रहे हैं। उस क्षेत्र के पास जो आबादी होती है, वह इससे प्रभावित होती है। आजकल कई क्षेत्रों में यह देखा जा रहा है कि बाघों का आतंक जारी है और कई–कई जगहों पर तो वन विभाग ने बाघों के आतंक को समाप्त करने के लिए शिकारियों को कान्ट्रेक्ट बेसिस पर हायर किया है। और तब जाकर उस क्षेत्र की आबादी को राहत दी गयी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुनसोला जी, ये जो चर्चा है, क्षेत्र विशेष के लिए है, क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित है। जनपद हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र को जंगली जानवरों....। (व्यवधान)

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, ये जो उन्होंने क्षेत्र विशेष के लिए लगाया है, वरना ये तो पूरे प्रदेश के जंगली जानवरों के लिए होना चाहिए, यह तो चर्चा है पूरे प्रदेश के लिए।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परन्तु यदि आप प्रत्यक्ष सूचना दे देंगे, जो जनरल सूचना होगी तो उस पर विचार किया जायेगा, परन्तु जो सूचना है, ये मात्र एक क्षेत्र से सम्बन्धित है तो उस क्षेत्र तक सीमित ही रखी जाएगी वो। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें चर्चा जो माननीय सदस्यगण ने लिखित में दी है, वो चर्चा की शुरूआत कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

और ये भी प्राविधान है कि जिस माननीय सदस्य ने यह सूचना दी है, वही चर्चा की शुरूआत भी करेंगे और माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। (व्यवधान) मेरा अनुरोध ये है कि पहली बात तो यह है कि जिस माननीय सदस्य ने लिखकर दिया है वही चर्चा की शुरूआत करेंगे। ये देखिए उत्तरांचल विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–51 (5) को देखें "सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मत लिए जायेंगे। जिस सदस्य ने सूचना दी हो, वह एक संक्षिप्त वक्तव्य द्वारा उस विषय का पुरःस्थापन करेंगे।" दूसरी बात यह भी है कि जो चर्चा है, वह उसी क्षेत्र से सम्बन्धित है, इसे जनरल नहीं कर सकते हैं आप। अगर जनरल कराना है तो एक और सूचना दे दीजिए, जनरल में शिफ्ट हो जायेगी। (व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, जंगली जानवरों का जो आतंक है, उसका प्रभावित क्षेत्र लक्सर ही है और लक्सर के प्रभावित क्षेत्र के लिए वन विभाग वन की विशेष नीति बनाए कि कम से कम आदमियों को बचाया जा सके, फसलों को बचाया जा सके और जानवर को उस स्थिति में लाकर, क्योंकि अब यह स्थिति बन गयी है लक्सर में कि जानवर ज्यादा, जानवरों का आतंक ज्यादा, फसलों का नुकसान और क्षेत्र विशेष का नुकसान ऐसा लगने लगा है मान्यवर, अध्यक्ष जी, कि उस क्षेत्र में आदमी अगर गलती से अपनी सुरक्षा के लिए जानवर को मार दे तो मैं समझता हूँ कि वन विभाग उन तमाम नीतियों के तहत उस किसान को, क्षेत्र विशेष के आदमी को पूरी तरह से जो भी कायदा और कानून हो, उसके तहत उसको निरूद्ध कर सकता है, लेकिन जब जानवर आदमी को या बच्चे को या तमाम किसी परिसम्पत्ति को नुकसान पहुँचाता है, तो उसको कैसे निरूद्ध किया जाय, किसमें निरूद्ध किया जाय, यह वन नीति का एक हिस्सा हो सकता है। यह बहुत ही सेंस्टिव मैटर है इसलिए वन विभाग इसमें वन नीति तय करके लक्सर क्षेत्रवासियों को इस आतंक से राहत दिलायें। यही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, इसमें कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो बतायें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" द्वारा यह तारांकित प्रश्न दिया गया था जिसमें आपने आधे घन्टे की चर्चा स्वीकृत की है। इसमें मेरा इतना कहना है कि जंगली जानवर विशेषकर लक्सर क्षेत्र जो उस वन क्षेत्र से घिरा हुआ है इसके साथ–साथ हरिद्वार जनपद के अन्य क्षेत्र भी हैं वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि जंगली जानवरों द्वारा विशेषकर जंगली हाथियों द्वारा जानमाल को हर वर्ष नष्ट किया जाता है, परन्तु सरकार द्वारा उसके देखभाल के लिए कोई नीति नहीं बनायी गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा क्योंकि यह एक गम्भीर समस्या है, किसानों से सम्बन्धित समस्या है, नवजवानों से भी सम्बन्धित है, विशेषकर हरिद्वार के उस क्षेत्र से सम्बन्धित है जो वन क्षेत्र से लगा हुआ है, उसमें एक ऐसी योजना बनायी जाय, जिससे वहाँ के किसानों की जानमाल की सुरक्षा की जा सके।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से 3–4 स्पष्टीकरण चाहूँगा। कुछ साल पहले उत्तराखण्ड में सुअर एक पीड़क जन्तु के रूप में उसका चयन हुआ था और उसको मारने की इजाजत सरकार ने दी थी, उसकी नियमावली इतनी ज्यादा कठोर है कि वह किसी भी किसान की, किसी भी कृषक की फसल का नुकसान करता है तो उसको मारने का प्राविधान नहीं हो पाया। इसके सरलीकरण करने की आवश्यकता है। इसी तरह वन रोज को भी उत्तराखण्ड में पीड़क जन्तु घोषित करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उच्च आदेशों की आवश्यकता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो वन्य पशु फसल उजाड़ते हैं उसका मुआवजा बहुत कम है, इसे बढ़ाये जाने की क्या सरकार की कोई योजना है? जो वन क्षेत्र हैं वहाँ से बाघ इसलिए आ रहे हैं कि वहाँ पर पीने का पानी नहीं मिलता है और चारा नहीं मिलता है, क्या कालागढ़ डैम से एक नहर नेशनल कार्बेट पार्क से निकले, जिससे वहाँ की वनस्पति को भी फायदा मिले, इस तरह की सरकार की कोई योजना है ?

वन एवं परिवहन मंत्री (श्री बिशन सिंह चुफाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र को जंगली जानवरों से प्रभावित क्षेत्र घोषित कर, इस परिक्षेत्र में इनको मारे जाने हेतु विशेष नीति गठित करने विषयक नियम–51 के अन्तर्गत माननीय सदस्य जोत सिंह गुनसोला जी ने श्री सुरेन्द्र राकेश जी और माननीय सदस्य डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी ने चर्चा की। इसमें विशेषकर लक्सर क्षेत्र में तीन वर्षों के अन्तर्गत जानवरों द्वारा किये गये जानमाल का जो नुकसान हुआ वह

वर्ष 2006–2007 और 2008 में किसी भी प्रकार, जानवरों द्वारा किसी की मृत्यु नहीं हुई है, जानवरों द्वारा किसी भी व्यक्ति को घायल नहीं किया गया। दो साल में किसी भी प्रकार की फसल को नुकसान नहीं पहुँचाया गया है। वर्ष2008–2009 में एक आदमी को घायल किया गया, वह मगरमच्छ द्वारा घायल किया गया। उसको 15 हजार रुपया मुआवजा दिया गया और जानवरों द्वारा 22 बार फसलों को नष्ट किया गया जिसका 35310 रुपये का मुआवजा दिया गया, अब किसी का मुआवजा शेष नहीं बचा है।

मान्यवर, प्रदेश में जंगली जानवरों से खेती को नष्ट किया जा रहा है। इस पर एक शासनादेश पारित किया गया। आदेश में जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुँचाने पर अपर वन प्रमुख और वन्यजीव पशुपालन उत्तराखण्ड द्वारा एक आदेश जारी किया गया और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा–11 (1) बी के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चिन्हित स्थानों पर जंगली सुअरों को नष्ट करने का अधिकार प्रभागीय वनाधिकारी स्तर को प्रदत्त किया गया कि जिस क्षेत्र में जंगली सुअरों द्वारा और नील गाय द्वारा जहाँ पर फसलों को नष्ट किया जाता है उस क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए उस क्षेत्र के ग्राम प्रधान द्वारा रेंज अधिकारी को सूचना दी जायेगी और उसके बाद रेंज अधिकारी उसकी सूचना वन प्रभाग अधिकारी के माध्यम से उस सूचना को अपर प्रमुख वन संरक्षक, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड को देगा। सम्बन्धित ग्राम प्रधान चिन्हित जंगली सुअर/सुअर समूह को नष्ट करने की माँग अपने निकटतम रेंज अथवा सीधे प्रभागीय कार्यालय को औचित्य सहित देगा। मान्यवर, इसमें प्रभागीय अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे ग्राम प्रधान की पुष्टि के उपरान्त स्थानीय शिकारी नियुक्त करके उन्हें चिन्हित जंगली सुअरों को मारने की अनुमति प्रदान करेंगे।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, अभी तक कोई समूह नहीं मारा गया। यही तो मेरा कहना है इसका सरलीकरण किया जाए। मान्यवर, वनरोज भी नहीं मारा गया।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, वनरोज के लिए भी आदेश किया गया है। लेकिन यह उसी क्षेत्र में ज्यादा सीमित किया गया।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इसका सरलीकरण कर दिया जाए, चिन्हित कर दिया जाए।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, चिन्हित तो ये पूरे का पूरा प्रदेश जो कृषि से जुड़ा हुआ है यह सब इन जानवरों से प्रभावित क्षेत्र है। कब ग्राम प्रधान इसकी परमीशन लेगा? सभी किसानों को कहाँ परमीशन दी जायेगी ? किसके पास लाइसेंस है ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, ग्राम प्रधान केवल रेंज अधिकारी को सूचित करेगा। रेंज अथवा प्रभागीय कार्यालय में ग्राम प्रधान का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर सामान्यतया अनुमति प्रदान करने अथवा न करने जैसी भी स्थिति हो पर निर्णय लेना आवश्यक होगा।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र एकेश्वर ब्लाक में ग्राम रिगवाड़ी में एक जंगली सुअर द्वारा महिला को मार दिया गया।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, इसकी सूचना ग्राम प्रधान सीधे रेंज अधिकारी को देगा।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, जंगली सुअर महिलाओं और बच्चों पर आक्रमण कर रहे हैं, मार रहे हैं और उनको मारने के लिए इतनी लम्बी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मारने की जिम्मेदारी रेंज अधिकारी को दे दी जाए।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, जंगली सुअर और नील गाय शब्द यहाँ पर आया उसकी आख्या में माननीय मंत्री जी से चाहूँगा। वन विभाग द्वारा वन रोज की संज्ञा दी गई है लेकिन नील गाय शब्द आ जाने से उसमें धार्मिक पुट आ जाता है। जंगली जानवरों को सैड्यूल चार की श्रेणी में लिया गया है। सैड्यूल चार में जंगली सुअर भी आता है और वन रोज भी आता है। जब ये सैड्यूल चार के जानवर आबादी वाले क्षेत्र में जायें और किसानों के खेत्तों का नुकसान कर रहे हैं, किसानों के फसलों का नुकसान कर रहे हैं। आबादी वाले क्षेत्र में रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोग घायल हो रहे हैं। तो क्या इनको जंगली जानवरों की श्रेणी में रखना उचित है ? क्यों न इनको ''फसल भक्षक जानवरों'' की श्रेणी के रूप में रखा जाय। ये जानवर जंगलों में कहाँ विचरण कर रहे हैं, ये तो हमारे किसानों के खेतों को बरबाद कर रहे हैं और जहाँ नील गाय का सम्बन्ध है। यह अंग्रेजों के समय में इस जानवर के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है। जिससे इसको हिन्दुस्तानी लोग नहीं मार सकें और अंग्रेज इसका शिकार कर सकें। अगर इसको आप देखें तो इसके दो थन होते हैं जबकि दो थन बकरी के हुआ करते हैं। खुर देखें तो खुर इसके घोड़े की तरह हैं। अगर धड़ देखें तो इसकी गर्दन जिराफ की तरफ है, यह एक हाइब्रिड है एन्टेलोप श्रेणी का।

मान्यवर, मेरा आपसे यह आग्रह है कि इनका भीषण प्रकोप हो रहा है और देखने में भी आ रहा है। प्रकृति का एक इकोलोजिकल बैलेंस होता है। अगर उसमें आप पीछे जायें तो डार्विन थ्योरी को भी देखें। ओवर प्रोडक्शन ऑफ आफस्प्रिंग स्ट्रगल फॉर रजिस्टेन्स, सरवाइवल ऑफ फिटैस्ट लेकिन जब इसमें कॉम्पिटीशन ही नहीं होगा और इनका ओवर प्रोडक्शन होता रहेगा। मेरा यह कहना है कि इसके चक्र को तोड़ना होगा। इस पर वन विभाग क्या प्रयास कर रहा है ? माननीय मंत्री जी को इस पर थोड़ा उल्लेख करना चाहिए। इसके अलावा मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक अजीब सा मामला हो गया है। शेरपुर बेला क्षेत्र में, जनपद हरिद्वार के तहसील लक्सर के विकास खण्ड खानपुर के शेरपुर बेला में वहाँ पर पालतू गाय है जो कभी डोमैस्टिकेटेड मवेशी के श्रेणी के रूप में आते थे। वो मवेशी जाकर जंगलों में चले गये हैं उनका प्रजनन हुआ, उनकी संख्या बढ़ी, और आज वो इस तरह खेतों को बरबाद कर रहे है। उनके सामने आज नील गाय का प्रकोप भी छोटा पड़ रहा है। मान्यवर, जानवर पालतू है उसकी रखवाली के लिए हथियारों को लेकर जाना पड़ता है। कोई आदमी रात में सिंचाई करने या पानी लेने के लिए गया या जो सब्जियां बोयी हुई रखी रहती हैं, उसकी रखवाली के लिए गये तो उनके द्वारा आक्रमण कर उन्हें मार दिया जाता है।

मैं यह नहीं कहता कि पालतू गायों को मारा जाय। मेरा अभिप्राय यह है कि इसमें इन जानवरों को पकड़ करके जंगलो में छोड़ने वाले लोग भी हैं। उनका मात्र यह कहना है कि शासन में हमें अनुमति मिल जाय और हमारे खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी। हम हत्या नहीं करेंगे मात्र उनको जंगलों में छोड़ देंगे। शेरपुर बेला के लिए इन पालतू जानवरों के लिए विशेषकर यह व्यवस्था होनी चाहिए। जंगली सुअर और बन्दरों का मामला है। मंत्री जी द्वारा कुछ कहा गया उस समय मैं मौजूद नहीं था, मैं माफी चाहता हूँ। मंत्री जी ने बताया कि उसमें एक सप्ताह का समय होना चाहिए। आप जरा उल्लेख कर देंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जो विगत तीन वर्षों में आपके लक्सर क्षेत्र में जंगली जानवरों द्वारा क्षति पहुँचायी गयी है। वर्ष 2006–07–08 में किसी प्रकार की जंगली जानवरों द्वारा कोई क्षति नहीं की गयी है।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, आपको मैं अपनी एक हजार बीघे की जमीन दिखाऊँ तो वहाँ पाँच सौ बीघे जमीन की क्षति हो चुकी है। यह रिपोर्ट की जानकारी किसने दी मान्यवर ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, अब वर्ष 2008–09 की रिपोर्ट है।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, 2008–09 की जमीन के बारे में ही आपको दिखा दूँगा चाहे आप वहाँ का दौरा बना लीजिए।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, यहाँ पर 22 बार जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नष्ट किया गया है और एक आदमी को घायल किया गया है। इसमें जो मुआवजा मिला वह 35310 रुपये है। यह लक्सर विधान सभा के पूरे क्षेत्र में मात्र 22 बार क्षति पहुँचायी गयी है।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, 22 बार तो एक गाँव में आ जाते हैं। पूरे क्षेत्र में तो असंख्य बार हो जाते हैं, इसमें और असलियत में बहुत अन्तर है। (व्यवधान)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, एक सप्ताह के अन्तर्गत शिकारी वहाँ पर तैनात किया जायेगा और शिकारी द्वारा केवल बन्दूक और राइफल द्वारा जानवर को मारा जायेगा और अन्य चीजों से नहीं मारा जायेगा। उसी क्षेत्र में जिस क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा चिन्हित किया जायेगा और अन्य क्षेत्र में नहीं।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, शिकारी के अलावा अन्य जो गाँव में लाइसेंसी बन्दूक धारी लोग हैं और गाँव–गाँव में शिकारी जाने से रहे।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, शिकारी कोई भी हो सकता है जो शिकार करना जानता हो। यह वहाँ का ग्राम प्रधान लिखकर देगा कि यह आदमी शिकारी है और इसके पास लाईसेंस है। (व्यवधान) केवल जंगली सुअर और नील गाय के लिए यह परमीशन है।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, नील गाय शब्द का आप इस्तेमाल मत कीजिए। यह ऑफिशली भी गलत है आप वन मंत्री हैं। मान्यवर, नील गाय नहीं वनरोज होता है।

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, अगर किसी जानवर को मारा जाता है तो उसकी सीमा क्या होगी ? कोई–कोई जानवर पाँच दिन में प्राण त्यागते हैं और 3–5 किलोमीटर दूर जाकर मरता है तब तो जहाँ वह जानवर मरा वहाँ के किसी ने अगर शिकायत की तो वहाँ के लोगों को सजा खानी पड़ेगी और उसका लाईसेन्स रद्द होगा।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, वह सीमा जो ग्राम प्रधान बतायेगा।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, आप समझे नहीं। मैं बताता हूँ। जंगली सुअर है सर्दियों में उसके ऊपर चर्बी बहुत हो जाती है। एल0जी0 का छर्रा भी घुस नहीं पाता है। रायफल की गोली आपने मारी और वह 3 किलोमीटर दूर जाकर मरा तो गाँव का ग्राम प्रधान कहाँ से वहाँ आया। क्योंकि ग्राम प्रधान का एक छोटा सा क्षेत्र है। किसी ने झूठी शिकायत कर दी कि साहब इसने मरवाया जिसके पास रायफल हो। तब तो उसका रायफल का लाईसेंस निरस्त हो गया। इस चीज को कहना चाह रहे हैं हम लोग।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

गोली तो उसी क्षेत्र में चलायी और ग्राम प्रधान बतायेगा।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, इसकी पुष्टि कौन करेगा ? ग्राम प्रधान का एक छोटा सा एरिया है और वह जानवर 3 किलोमीटर दूर जाकर मरा तब क्या होगा ? इसमें हम आपसे यह कहना चाह रहे हैं कि इसको गाँव की परिधि में न रखें। इसमें दिक्कतें आ रही हैं। यह हमारा सुझाव है। माननीय मंत्री जी, अगर यूनिट छोटी बनी तो मुकदमें बहुत दर्ज होंगे।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, इस पर अभी हमारी कोई नीति नहीं बनी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप इस विषय पर विचार कर लीजिए।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

ठीक है। हम इस पर विचार करेंगे।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अनतर्गत श्री गोपाल सिंह रावत, श्री केदार सिंह रावत, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री नारायण पाल तथा श्रीमती आशा नौटियाल की कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से विधान सभा क्षेत्र भिकियासैंण में भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त भी राजकीय महाविद्यालय में भवन आदि न बनाए जाने से

उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना को नियम–53 में वक्तव्य के लिए तथा जनपद उत्तरकाशी में वन विभाग द्वारा इमारती प्रकाष्ठ के बिक्री न खोलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएँ अस्वीकार की गईं।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 6 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

देहरादूनः

दिनांक 14 जुलाई, 2009

महेश चन्द्र,

सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–2 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–14 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्रीमती अमृता रावत, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–02 का संलग्नक

व्यय–विवरण

वित्तीय वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान एन0आर0एच0एम0/राज्य बजट से पं0 दीन दयाल उपाध्याय देवभूमि 108 आपातकालीन सेवा हेतु अवमुक्त धनराशि तथा उसके सापेक्ष व्यय का विवरण :–

(धनराशि रु0 में)

वर्ष	एन0आर0एच0एम0 से प्राप्त धनराशि	राज्य बजट से प्राप्त धनराशि	कुल धनराशि
2007–08	—	8,50,00,000.00	8,50,00,000.00
2008–09	10,00,00,000.00	6,10,00,000.00	16,10,00,000.00
2009–10	3,00,00,000.00	—	3,00,00,000.00
योग	13,00,00,000.00	14,60,00,000.00	27,60,00,000.00

पं0 दीन दयाल उपाध्याय देवभूमि 108 आपातकालीन सेवा योजना में वित्तीय वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान जनपदवार व्यय विवरण :–

(धनराशि रु0 में)

जनपद	2007–08	2008–09			2009–10			योग
	पूंजीगत व्यय संचालन व्यय कुल व्यय	पूंजीगत व्यय	संचालन व्यय	कुल व्यय व्यय	पूंजीगत व्यय	संचालन व्यय	कुल व्यय व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देहरादून		38058280	13900900	51959180	151431	1391505	1542936	53502116
टिहरी		5837821	6747352	12585173	0	869691	869691	13454864
चमोली		7158873	8343925	15502798	0	1217567	1217567	16720365
उत्तरकाशी		3768860	6736069	10504929	0	695751	695751	11200680
हरिद्वार	शून्य	5837821	4456863	10294684	0	869691	869691	11164375
रूद्रप्रयाग		7158873	5184629	12343502	0	1217567	1217567	13561069

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पौड़ी		14817747	14036298	28854045	0	2435133	2435133	31289178
नैनीताल		8664463	8699345	17363808	0	1391505	1391505	18755313
बागेश्वर		3390017	3305977	6695994	0	521814	521814	7217808
अल्मोड़ा		10029290	8834744	18864034	0	1739381	1739381	20603415
पिथौरागढ़		10927729	9015275	19943004	0	1913319	1913319	21856323
चम्पावत		3390017	3791154	7181171	0	521814	521814	7702985
ऊधमसिंह नगर		5837821	4558412	10396233	0	869691	869691	11265924
योग	शून्य	124877612	97610943	222488555	151431	15654429	15805860	238294415

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–15 पर)

परिशिष्ट–अ

वित्तीय वर्ष 2008–09 के अन्तर्गत विधान सभावार स्वीकृत योजनाओं का विवरण :–

क्र0 सं0	विधान सभा क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2008–09	
		योजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत (लाख रु0)
1	2	3	4
	जनपद टिहरी गढ़वाल		
1.	टिहरी	04	18.08
2.	प्रताप नगर	06	25.27
3.	नरेन्द्र नगर	03	17.23
4.	देव प्रयाग	06	19.72
5.	घनसाली	10	20.00
	जनपद चमोली		
1.	कर्ण प्रयाग	02	20.01
2.	पिण्डर	01	13.00
3.	नन्द प्रयाग	01	4.95

1	2	3	4
	जनपद नैनीताल		
1.	नैनीताल	04	19.49
2.	मुक्तेश्वर	03	20.58
	जनपद उत्तरकाशी		
1.	यमुनोत्री	01	12.40
2.	पुरोला	03	16.47
3.	गंगोत्री	03	15.00
	जनपद अल्मोड़ा		
1.	रानीखेत	02	20.85
2.	अल्मोड़ा	01	5.20
3.	द्वाराहाट	03	22.15
	जनपद रूद्रप्रयाग		
1.	केदारनाथ	05	17.15
	जनपद पौड़ी गढ़वाल		
1.	श्रीनगर	03	8.65
2.	पौड़ी	01	17.84
3.	यमकेश्वर	02	19.99
4.	धूमाकोट	11	20.62
5.	कोटद्वार	03	6.67
6.	लैंसडाउन	01	8.80
	जनपद ऊधमसिंह नगर		
1.	जसपुर	01	19.95
2.	गदरपुर	01	17.66
3.	सितारगंज	04	22.28
4.	काशीपुर	01	4.36
5.	बाजपुर	02	17.81

1	2	3	4
	जनपद हरिद्वार		
1.	भगवानपुर	03	20.98
2.	बहादराबाद	01	20.00
3.	हरिद्वार	01	19.29
	जनपद देहरादून		
1.	लक्ष्मणचौक	01	18.58
2.	सहसपुर	03	17.90
3.	विकास नगर	01	16.71
4.	ऋषिकेश	04	17.21
	जनपद पिथौरागढ़		
1.	गंगोलीहाट	03	18.94
2.	धारचूला	02	11.87
3.	डीडीहाट	04	20.00
4.	पिथौरागढ़	06	20.00
5.	कनालीछीना	05	19.64
	जनपद बागेश्वर		
1.	बागेश्वर	07	22.25
2.	कपकोट	08	21.00
3.	काण्डा	24	20.00
	जनपद अल्मोड़ा		
1.	सोमेश्वर	12	18.85
2.	भिक्यासैंण	14	19.59
	जनपद चम्पावत		
1.	चम्पावत	05	20.00

परिशिष्ट–ब

वित्तीय वर्ष 2007–08 के अन्तर्गत विधान सभावार स्वीकृत योजनाओं का विवरण :–

क्र0 सं0	विधान सभा क्षेत्र का नाम	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत (लाख रु0)
1	2	3	4
	जनपद–हरिद्वार		
1.	मंगलौर	01	21.42
2.	लण्ढौरा	01	22.30
3.	लक्सर	01	25.69
4.	इकबालपुर	01	23.03
5.	लालढांग	01	21.25
6.	भगवानपुर	01	19.74
7.	हरिद्वार	01	26.61
8.	बहादराबाद	01	20.00
9.	रुड़की	01	19.69
	जनपद–ऊधमसिंह नगर		
1.		02	36.17
	जनपद–बागेश्वर		
1.		06	31.02
	जनपद–नैनीताल		
1.		14	58.18
	जनपद–अल्मोड़ा		
1.		01	19.72
	जनपद–चम्पावत		
1.		06	39.34
	जनपद–पौड़ी		
1.		02	24.75

1	2	3	4
	जनपद–टिहरी		
1.		06	40.96
	जनपद–चमोली		
1.		07	108.43
	जनपद–देहरादून		
1.		02	49.73
	जनपद–उत्तरकाशी		
1.		03	52.03
	जनपद–रूद्रप्रयाग		
1.		05	14.17

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–5 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–18 पर)

परिशिष्ट–अ

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 में दैनिक वेतन/न्यूनतम वेतन/ संविदा में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

वर्ष	दैनिक वेतन/न्यूनतम वेतन		योग
	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	
1	2	3	4
1985	–	08	08
1986	01	07	08
1987	–	03	03
1988	02	02	04
1989	06	03	09
1990	03	05	08
1991	–	04	04

1	2	3	4
1992	—	01	01
1993	04	07	11
1994	11	08	19
1995	04	01	05
1996	—	02	02
1997	—	—	—
1998	—	—	—
1999	—	—	—
2000	—	—	—
2001	—	—	—
2002	01	02	03
योग	32	53	85

समय–समय पर जॉब/वर्क चार्ज में रखे गये कर्मचारी–

क्रमांक	कक्ष का नाम	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	योग
1.	विपणन कक्ष	—	28	08	36
2.	पर्यटन कक्ष	—	48	153	201
3.	निर्माण कक्ष	01	19	23	43
4.	अन्य	—	19	19	38
	योग	01	114	203	318

परिशिष्ट–ब

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 में दैनिक वेतन/न्यूनतम वेतन/ संविदा में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

वर्ष	दैनिक वेतन/न्यूनतम वेतन		योग
	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	
1983	–	16	16
1984	–	13	13
1985	–	04	04
1986	01	18	19
1987	03	03	06
1988	06	07	13
1989	04	06	10
1990	–	01	01
1991	02	07	09
1992	08	09	17
1993	06	28	34
1994	18	19	37
1995	25	24	49
1996	22	23	45
1997	63	64	127
1998	09	20	29
1999	–	03	03
2000	02	06	08
2001	61	52	113
2002	59	29	88
2003	04	13	17
2004	04	03	07
2005	14	01	15
2006	02	–	02
2007	01	–	01
योग	314	369	683

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–27 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–28 पर)

अतारांकित प्रश्न सं0–27 का संलग्नक–1

विगत दो वर्षों में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की विधान सभा क्षेत्रवार सूची

क्र0सं0	जनपद का नाम	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	विधान सभा क्षेत्र	स्थापना वर्ष
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र				
1.	टिहरी	कीर्तिनगर	देवप्रयाग	2007–08
2.	उत्तरकाशी	चिन्यालीसौड़	यमुनोत्री	2007–08
3.	हरिद्वार	बहादराबाद	बहादराबाद	2007–08
4.	हरिद्वार	खानपुर	लक्सर	2007–08
5.	हरिद्वार	मंगलौर	मंगलौर	2007–08
6.	देहरादून	सहसपुर	सहसपुर	2007–08
7.	देहरादून	रायपुर	डोईवाला	2007–08
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र				
1.	चम्पावत	बनबसा	चम्पावत	2007–08
2.	हरिद्वार	सिकरोढ़ा	भगवानपुर	2007–08
3.	हरिद्वार	रायसी	लक्सर	2007–08
4.	हरिद्वार	सुल्तानपुर–आदमपुर	लक्सर	2007–08
5.	हरिद्वार	पिरान–कलियर	रुड़की	2007–08
6.	रूद्रप्रयाग	ल्वाड़ी	केदारनाथ	2007–08
7.	रूद्रप्रयाग	बैनाली	रूद्रप्रयाग	2007–08
8.	रूद्रप्रयाग	दर्गाधार (बावई)	रूद्रप्रयाग	2007–08
9.	चमोली	मालसी	कर्णप्रयाग	2007–08
10.	पौड़ी	बूंगीधार	थलीसैंण	2007–08
11.	बागेश्वर	पोथिंग	कपकोट	2007–08
12.	बागेश्वर	पालडीछीना	काण्डा	2007–08
13.	बागेश्वर	जखेड़ा	बागेश्वर	2007–08

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 विधान सभा / 146–26–06–2012–200 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।